लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price · Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20, बुधवार, 11 दिसम्बर, 1974/20, अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 20, Wednesday, December 11, 1974/Agrahayana 20, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
413	योजना तथा गैर योजना व्यय में कटौती	Cut in Plan and Non Plan Expenditure	1–4
414	उड़ीसा में विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य	Target for Power Generation in Orissa.	4–6
415	बटन दबाकर टेलीफोन करने की प्रणाली	Push Button Telephones .	6–7
417	अगरतला में आदिवासी बंगाली दंगों में ईसाई मिशनरियों की भूमिका	Role of Christian Missionaries in TribalBe ngalee Clash in Agartala . . .	7–11
418	नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Netaji Inquiry Commission . . .	11–13
419	विद्युत परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब	Delay in execution of Power Projects . . .	13–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
416	तारापुर परमाणु बिजलीघर की पूरी मरम्मत	Overhauling of Tarapur Atomic Power Station . .	15
420	बुलन्दशहर से निर्यातोन्मुखी टेक्सट्यूराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन' संयंत्र की स्थापना	Setting up of Export-Oriented Texturised Vegetable Protein Plant at Bulandshahr .	15–16
421	बिजली के टाइप राईटरों का निर्माण	Manufcture of Electric Typewriters	16
422	गुजरात के विकास में असन्तुलन	Imbalance in Development of Gujarat . . .	16–17
423	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (मिनीमम नीड्स प्रोग्राम) क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to States for Implementation of 'Minimum Needs Programme' .	17–18

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—43 LSS/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
424	कागज बनाने की मशीनों के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Paper Manufacturing Machinery . .	18
425	विश्व के प्रमुख नगरों में डायल घुमा कर सीधे टेलिफोन करने की व्यवस्था	S.T.D. extension to Major World Cities . . .	18
426	आकाशवाणी, रांची में वाणिज्यिक डिवीजन बनाना	Introduction of Commercial Division in A.I.R. Ranchi .	18–19
427	बेरोजगार वैज्ञानिकों एवं शिल्प-शास्त्रियों की गैर-सरकारी क्षेत्र में भर्ती	Recruitment of Jobless Scientists and Technologists in Private Sector.	19
428	कृषि और उद्योग के लिये बिहार को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Bihar for Agriculture and Industry .	19
429	'फ्यूल एफिशियन्सी' समिति	Fuel Efficiency Committee .	19–20
430	ऊर्जा आयोग	Energy Commission . .	20
431	दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के उपभोक्ताओं पर भुगतान के लिए बकाया धनराशि	Amount of Payments outstanding against Customers of D. E.S.U.	20
432	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने सम्बन्धी जाली मामले	Fake Cases of Pensions to Freedom Fighters	20–21
433	अत्यावश्यक वस्तुओं तथा व्यापक उपयोग की वस्तुओं विषयक समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही	Action on Recommendations of Committee on essential Commodities and Article of Mass Consumption . . .	22

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.			
3985	महाप्रबन्धक (टेलीफोन) दिल्ली के विरुद्ध कथित शिकायतें	Alleged Complaints against The General Manager (Telephones), Delhi . . .	22
3986	ट्रैक्टर के कारखानों की स्थापना	Setting up of Tractor Factories	22–23
3989	उड़ीसा के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	Rural Electrification Scheme for Orissa	23
3990	पांचवी योजना में राजस्थान में बिजली का उत्पादन	Generation of Power in Rajasthan in Fifth Plan . . .	23
3991	कतिपय जनजातियों की जनसंख्या में कमी	Decrease in Population of Certain Tribes . . .	23–24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3992	उद्योगों का वर्गीकरण	Classification of Industries .	24
3993	डाकघरों में पत्रों की छंटाई	Sorting of Letters in Post Offices	24–25
3994	गोआ के लिये हवाई डाक सेवा	Air Postal Service to Goa .	25
3995	मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन का लक्ष्य	Target for Generation of Power in M.P.	25
3996	दिल्ली में कच्चे माल के वितरण का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Distribution of Raw Material in Delhi .	25
3997	सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का उत्पादन	Production of newsprint in Public Sector . . .	25–26
3998	ईरान को सीमेन्ट का निर्यात	Export of Cement to Iran .	26
3999	फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त-पोषित फिल्में	Films financed by Film Finance Corporation . . .	26–27
4000	टैनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन आफ़ इण्डिया कानपुर में हड़ताल	Strike in TAFCO, Kanpur .	27
4001	मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये बिजली की कमी को पूरा करने की योजना	Scheme to meet shortage of power for Rural Electrification in M.P.	27
4002	'भागीरथ' में सहायक सम्पादक का रिक्त पद	Vacancy of an Assistant Editor in 'Bhagirath' . . .	27–28
4003	एक नागरिक के शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने के अधिकार के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement regarding the right of a citizen to do peaceful Agitation .	28–29
4004	नये प्रोद्योगतंत्रवादियों (टैक्नोक्रेट) को सहायता	Help to new Technocrats .	29
4005	ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा महाराष्ट्र के सांगली जिले को दी जाने वाली वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Sangli District of Maharashtra by R.E.C.	29
4006	आकाशवाणी के पटना स्टेशन द्वारा श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन का प्रचार	Publicity given to Agitation of Shri Jayaprakash Narayan by AIR, Patna	29–30
4007	केरल प्लान्टेशन्स (प्रिवेंशन आफ फ्रगमेन्टेशन एण्ड एलियेनेशन) बिल, 1971	Kerala Plantations (Prevention of Fragmentation and Alienation), Bill, 1971 . .	30

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4008	केन्द्रीय सूचना सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेडों के पद के लिये विज्ञापन	Advertisement for post of Junior Administrative Grade in Central Information Service .	30
4009	गया काटन एण्ड जूट मिल्स, गया के कर्मचारी	Employees of Gaya Cotton and Jute Mills, Gaya . .	31
4010	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वृहत कार्यक्रम बनाया जाना	Massive Programme Drawn by National Cooperative Development Corporation . .	31
4011	श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को शिक्षित बेरोजगारों का समर्थन	Support of Educated Unemployed to Shri Jayaprakash Narayan's movement . .	31
4012	देश में गावों का विद्युतिकरण	Electrification of Villages in the Country . . .	31–32
4013	राजस्थान में राणा प्रताप परमाणु बिजलीघर से अन्य राज्यों को बिजली भेजना	Diversion of Electricity from Rana Pratap Atomic Power Station in Rajasthan to other States	32–33
4014	इमारतों के निर्माण की जानकारी का निर्यात	Export of Know-how for construction of Buildings . .	33
4015	उच्च न्यायालयों में प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग	Use of Regional Languages in High Courts . . .	33–34
4016	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के लिए नए मार्ग निदेशक सिद्धान्त बनाना	Fresh Guidelines on Use of M.I.S.A. . . .	34
4017	सरकारी पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द करना	Discontinuance of Publication of Govt. Papers and Magazines	34
4018	बोहरा हाई प्रीस्ट द्वारा जमीन का सौदा	Land Deal by Bohra High Priest	34
4019	इण्डियन टेलिफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर द्वारा निर्मित उपकरण	Equipment manufactured by I.T.I., Bangalore . .	35
4020	रात्रि विमान डाक सेवा	Night Airmail Service . .	35
4021	महाराष्ट्र में पसोडीपाडा की भील बस्ती पर पुलिस द्वारा छापा मारना	Raid by Police on the Bhil Settlement of Pasodipada in Maharashtra . . .	35
4022	राज्यों से चालू वर्ष के दौरान और अधिक राशि आबंटित करने के लिए अनुरोध	Requests from States for more Allocations During Current Year	35–36

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4023	वैज्ञानिक पूल में वैज्ञानिकों के नाम सूचीबद्ध करने के लिए नियम बनाना	Rules for Enrolment of Scientists in the Scientists' Pool	36
4024	पश्चिम बंगाल में डाक मोटर गाड़ियां	Mail Vans in West Bengal .	36
4025	कागज उद्योग का विकास	Growth of Paper Industry .	36–37
4026	पूर्वी क्षेत्र में सी० आई० ए० की गतिविधियां	Activities of C.I.A. in Eastern Region	37
4027	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलचित्र विकास निगम के लिए वित्तिय सहायता की मांग	Financial Assistance Sought for Film Development Corporation by Andhra Pradesh Government . . .	37
4028	कागज मिलों के लिए मशीनरी की आयात	Import of Machinery for Paper Mills	38
4029	अधिष्ठापित क्षमता से कम सीमेन्ट का उत्पादन करने वाले सीमेन्ट निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Cement Manufacturers Producing less than Installed Capacity . .	38
4030	स्वतन्त्रता सेनानियों तथा आजाद हिन्द फौज में हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters and Ex-INA Personnel from Himachal Pradesh .	38–39
4031	डाक वस्तुओं की चोरी	Pilferage of Postal Articles .	39
4032	कच्चे माल की कमी के कारण लाइसेन्सों का कार्यान्वित न किया जाना	Non-Implementation of Licences due to Shortage of Raw Materials	39
4033	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देना	Grat of Pension to Freedom Fighters	40
4034	प्रधान मन्त्री द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध व्यंगपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने पर उनका विरोध	Protest by Women Demonstrators against the Insinuations made by Prime Minister against them . . .	40
4035	विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों के व्यक्ति	Census figures of Linguistic Identities . . .	40–41
4036	अपर दामोदर घाटी क्षेत्र के ऊर्जा संसाधनों के बारे में केन्द्रीय इन्धन अनुसन्धान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया अध्ययन	Study made by Scientists of Central Fuel Research Institute Re. Energy Resources of Upper Damodar Valley Region	41
4037	पंजाब वक्फ बोर्ड	Punjab Wakf Board . .	41–42

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4038	दरभंगा जिला, बिहार के सिरुआ ग्राम में हरिजनों पर हमला	Assault on Harijans in Sirua Village, Darbhanga District, Bihar	42
4039	टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि	Arrears of Telephone Dues .	42-43
4040	डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की कसौटी	Criteria for opening of Post Offices and P.C.O's . .	43-44
4041	विदेशी पर्यटकों का शिलांग और मेघालय में प्रवेश	Entry of Foreign Tourists to Shillong and Meghalaya .	44-45
4042	कलकत्ता रेलवे डाक सेवा सर्किल में कर्मचारियो की संख्या	Strength of Calcutta R.M S. Circle	45
4043	दिल्ली में फिल्मों के वितरण और सिनेमाघरों के प्रबन्ध को अधिकार में लेना	Take over of distribution of Films and the Management of Cinema Halls in Delhi .	45-46
4044	दिल्ली सिख्ख गुरुद्वारा चुनाव	Delhi Sikh Gurdwara Elections	46
4045	मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनायें	Rural Electrification Projects in M.P. . . .	46-47
4046	हिमाचल प्रदेश में सिओल परियोजना के लिए भर्ती किये गये श्रमिकों को मजूरी	Wages to Labour employed for Seul Project in Himachal Pradesh . . .	47
4047	दादर तथा नागर हवेली में कोयले का अभाव	Shortage of Coal at Dadra and Nagar Haveli . . .	47-48
4048	एटा अलीगंज के लिये सोधे डायल घुमाकर टलीफोन करने की व्यवस्था	Etah-Aliganj Direct Dialling .	48
4049	रेलवे हड़ताल पर आकाशवाणी से रेल कर्मचारियों के व्यक्तव्यों का प्रसारण	Broadcast of Statements on Railway Strike by Railway Workers from AIR . .	48
4050	वर्ष 1975 में विशेष डाक टिकटों का जारी किया जाना	Issue of Special Postal Stamps in 1975	48-49
4051	सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जातियों/ जनजातियों पर अत्याचार	Atrocities on Scheduled Castes/ Tribes by Caste Hindus .	49
4052	अमरीका में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक तकनीकी का भारत को हस्तान्तरण	Transfer of Modern Technology to India by Indian Scientists in U.S.A. . . .	49
4054	जल-ऊर्जा तथा सिचाई परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Hydraulic Energy-cum-Irrigation Projects .	49-51

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4055	नागालैंड के गांवों में कर्फ्यू Curfew in Nagaland Villages	51
4057	मध्य प्रदेश के रतलाम नगर में चांदी बरामद किये जाने सम्बन्धी समाचार News regarding seizure of Silver in Ratlam town of M.P.	51–52
4058	दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आवंटन Allotment of Newsprint to Dailies	52
4059	तारापुर परमाणु संयंत्र से रेडियो धर्मिता का रिसकर बाहर निकलना Escape of Radio Activity from Tarapur Atomic Plant	52
4060	अनुसूचित जाति/अनूसुचित जनजाति आयुक्त के अन्तर्गत कार्यालय Offices under the Commissioner of Scheduled Castes/Scheduled Tribes	53
4061	जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में रद्दी कागज को अच्छी किस्म के कागज में बदलने के लिये प्रयोग Experiment by Jorhat Regional Laboratory for converting waste Paper into good quality Paper	53
4062	ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा पंजाब के लिये मंजूर की गयी ग्रामीण विद्युतिकरण योजनायें Rural Electrification Schemes sanctioned for Punjab by R.E.C.	53–54
4063	1974 की 'हड़तालों' तथा 'बन्दो-के दौरान सेना के जवानों द्वारा गोली चलाया जाना Firing by Military during Strikes and Bandhs	54
4064	प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा बंगाल के समाचार पत्रों को प्रेस विज्ञप्ति का परिचालन Circulation of Press Releases by P.I.B. to Bengal Newspapers	54
4065	राजस्थान तथा कलपक्कम परमाणु केन्द्रों से विद्युत का वितरण Distribution of Power from Rajasthan and Kalapakkam Atomic Stations	54–55
4066	मेट्रो सिनेमा, कलकत्ता को अपने हाथ में लेना Take over of Metro Cinema, Calcutta	55
4067	मैसर्ज हिन्दुस्थान लीवर्ज द्वारा अपने उत्पादों को मिला कर बेचना Tie up selling of their Products by M/s. Hindustan Levers.	55
4068	त्रिपुरा में कागज मिल Paper Mill in Tripura	55–56
4069	छपाई कागज उद्योग का अधिग्रहण Take over of Printing Paper Industry	56
4070	फूलपुर (उत्तर प्रदेश) में उर्वरक संयंत्र का चालू होना Commissioning of fertilizer plant at Phulpur (U.P.).	56
4071	मध्य प्रदेश की कोयला खानों में मजदूरों की नियुक्ति Appointment of Labourers in M. P. Collieries	56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4072	जैट इंजनों की गति में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला द्वारा एक नई प्रक्रिया — New device by National Aeronautical Laboratory, Bangalore to increase thrust of Jet Engines	57
4073	मिलावट करने वालों को तस्करों के समान गिरफ्तार करना — Arrest of Adulterators like Smugglers	57
4074	कानूनों का उचित पालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही — Steps to ensure Enforcement of Laws	57
4075	सीमेन्ट के उपयोग पर प्रतिबन्ध — Ban on use of cement . .	58
4076	उड़ीसा में डाकघरों में बचत बैंक सुविधायें — Savings Bank facilities in Post Offices in Orissa . . .	58
4077	उड़ीसा में विद्युत परियोजनाएं — Power Projects in Orissa	58–59
4078	उड़ीसा में उद्योगों के लिये बिजली की कमी — Power shortage for Industries in Orissa.	59
4079	पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा में विद्युत उत्पादन — Generation of power in Orissa in Fifth Plan . . .	60
4080	राजस्थान में हवाई डाक सेवा — Air postal service in Rajasthan	60
4081	राजस्थान में डाकघरों में बचत बैंक सुविधाएं — Savings Bank facilities in Post Offices in Rajsthan . .	60
4082	राजस्थान के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना — Rural Electrification Scheme for Rajasthan.	61
4083	कागज के व्यापार में एजेंसी-प्रणाली को समाप्त किया जाना — Abolition agency system in paper trade . . .	61
4084	उत्तर प्रदेश से उद्योगों का अन्य राज्यो को अन्तरण — Shifting of industries from U.P. to other States . .	61–62
4085	गुजरात विधान सभा के भंग करने सम्बन्धी आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की रिहाई — Release of persons arrested during agitation for dissolution of Gujrat Assembly . . .	62
4086	टेलीफोन एक्सचेंजों का स्वचालन — Automation of Telephone Exchanges	62–63
4087	एस० टी० डी० परियोजनाओं की मंजूरी — Sanction of S.T.D. Projects .	63–65
4088	पाचवीं योजना में गोआ में बिजली का उत्पादन — Generation of power in Goa in Fifth Plan . . .	65

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4089	गोआ में विद्युत परियोजनाएं	Power Projects in Goa . .	65
4090	मध्य प्रदेश द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को क्रियान्वित करने के लिए मांगी गई सहायता	Asistance sought by M.P. for implementation of rural electrification scheme . .	66
4091	ग्रामीण औदयोगिक परियोजना कार्यक्रम पर वित्तीय सीमाओं का प्रभाव	Effect of financial limitations on rural Industries Project Programme . . .	66
4092	इण्डियन कन्सोर्टियम फार पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा०) लि०को हुई हानि	Loss incurred by Indian consortium for power projects (P) Ltd.	66–67
4093	दिल्ली में बिजली का खराब हो जाना	Power break-downs in Delhi .	67
4094	इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा का गठन	Formation of All-India Service of Engineers . . .	67
4095	सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ भारतीय फिल्म निदेशकों की नई दिल्ली में बैठक	Meeting of Minister of Information and Broadcasting with Indian Film Directors in New Delhi	67–68
4096	पांचवीं योजना के दौरान कर्नाटक में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects in Karnataka during Fifth Plan . .	68
4097	मिजोरम में मिजोरम पीस मिशन की स्थापना	Estalishment of a Mizoram Peace Mission . . .	68–69
4098	मध्य प्रदेश के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा धनराशि की स्वीकृति	Amount sanctioned for Rural Electrification Corporation by M.P.	69
4099	जिला स्तर पर योजना विकास समितियां	District Level Planning Development Committees .	69–70
4100	उद्यम कर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए प्रकाशन	Publication for the Guidance of Entrepreneurs . . .	70
4101	समाचारपत्रों के सम्पादकों की सेवाओं को समाप्त करना	Termination of Services of News Papers Editors . . .	70
4102	नई दिल्ली स्थित बसन्त विहार कालोनी में बिजली के मीटरों में हेराफेरी करना	Tampering of Electric Meters in Vasant Vihar Colony, New Delhi	70–71
4103	सरकार द्वारा मेसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्ज लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेना	Take over of Management of M/s. Motor and Machinery Manufacturers Ltd., Calcutta by Government . . .	71
4104	नागालैंड के मुख्यमन्त्री के अनुरोधानुसार अवैध गतिविधिया (रोकथाम) अधिनियम को लागू करना	Extension of Unlawful Activities (Prevention) Act to Nagland	71–72

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4105	तारापुर करार के अधीन अमरीका द्वारा यूरेनियम इंधन की सप्लाई	Supply of Uranium Fuel by U.S.A. Under Tarapur Agreement	72
4106	कूच बिहार शरणार्थी सेवा की गतिविधियां	Activities of Cooch Behar Refugee Service	72
4107	मन्त्रालयों में तदर्थ कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of ad hoc employees in Ministries	72–73
4108	बिहार के मुंगेर जिले के बरदाह गांव में रक्षा के विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी	Recovery of Defence Explosives in Bardah village, District Monghyr, Bihar	73
4109	विदेशी कम्पनियों दवारा विदेशी मुद्रा विनियमो का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Foreign Companies.	73–74
4110	अयोध्या कपड़ा मिल, दिल्ली में कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of workers in Ajudhiya Textiles Mills, Delhi	74
4111	केबल और कन्डक्टरों के उत्पादन के लिये एल्यूमिनियम की कमी होने से पांचवीं योजना में विदयुत ट्रांसमिशन योजनाओं की क्रियान्विति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना	Shortage of aluminium of production of cables and conductors affecting implementation of power transmission schemes in Fifth Plan	74
4112	हरिजन, आदिवासी और पिछड़ी जातियों के विदयार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Harijan, Adivasi and Backward Class students	75
4113	हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये मकानों के निर्माण हेतू राज्यों को अनुदान	Grants to States for construction of Houses for Harijans and Adivasis	75–76
4114	पोंग बांध के फाटकों से पानी का रिसना	Leakage in gates of Pong Dam	77
4115	कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति की सूची में रखी गयी जनजातियां	Tribes of Karnataka Listed as Scheduled Tribes	77
4116	क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला जोरहाट द्वारा 'प्लास्टिक स्लेट' का विकास	Plastic slate developed by Regional Research Laboratory, Jorhat	77–78
4117	कम्पनी कार्य विभाग के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र	Applications for industrial licences through department of Company Affairs.	78
4118	तेल की खोज के लिए परमाणु विस्फोट	Atomic Blasts for exploration of oil	78–79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4119	लाइसेंसधारियों के लिए सहायक एककों से उपकरण खरीदना अनिवार्य करना	Obligatory for licences to purchase components from ancillary units . . .	79–80
4120	उड़ीसा में भारत खादी भंडार का कार्य-क्षेत्र	Areas of Operation of Bharat Khadi Bhandar in Orissa .	80
4121	डाक सेवायें	Postal Services . . .	80–81
4122	आदिवासी लोगों के लिये परियोजना स्तर पर सहकारी संघ बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Establish Cooperative Federation at Project Level for Tribals . .	81
4123	समाचार-पत्रों के प्रबन्धको द्वारा समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या में वृद्धि करना	Increase in Circulation of Newspapers by Managements of Newspapers . . .	81–82
4124	महानगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदनपत्र	Applications for Telephone Connections Pending in Metropolitan Cities . . .	82
4125	गांव कार्क में एक उप-डाकघर का खोला जाना	Opening a Sub-Post Office in Village Karke . . .	82
4126	प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो द्वारा समाचार-पत्रों का पंजीकरण	Registraton of Newspapers by PI.B.	82–83
4127	बिहार में छोटा नागपुर से प्रकाशित समाचारपत्रों का पंजीकरण	Registration of Newspapers Published from Chhota Nagpur in Bihar . . .	83
4128	उत्तर बिहार में टेलीफोन व्यवस्था	Functioning of Telephones in North Bihar . . .	83–84
4129	राज्यों का विकास	Development of States . .	84–85
4130	राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अन्दमान की जेल कोठरियां	Andamans Cellular Jail as National Memorial . . .	85
4131	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulation Act . . .	85–86
4132	वर्ष 1974–75 के दौरान अमरीकी फिल्मों के आयात के लिये ठेके	Contracts for Import of American Films during 1974-75 . .	86
4133	संयुक्त अनुसन्धान परियोजनाओं के बारे में भारत और पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श	Discussions between Indian and West German Experts on Joint Research Projects	86
4134	उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक हरिजन के मकान का जलाया जाना	Burning down of a Harijan's House in Akbarpur Village in U.P.	87

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4135	उदयपुर में गिरवा पंचायत समिति में टेलीफोन लगाना	Installation of telephone for Girwa Panchyat Samiti in Udaipur . . .	87
4136	दिल्ली में पेन-पिस्टल निर्माण करने वाला कारखाना	Pen-pistols manufacturing factory in Delhi . . .	87–88
4137	सूराकाचर कोयला खान, मध्य प्रदेश के यूनियन नेताओं को निकाला जाना	Dismissal of union leaders of Surakachar Colliery, M.P. .	88
4138	दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये अनुदान	Grant for development of hill are as of Darjeeling .	89
4139	अत्यावश्यक वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिये भारतीय मानक संस्था का प्रमाणपत्र	I.S.I. Certificate for essential articles to check adulteration	89
4140	एकाधिकारी गृहों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में नये एककों की स्थापना	Setting up of new units in backward areas by monopoly houses	89–90
4141	सी० एस० आई० आर० में पंजीकृत विदेशों में प्रशिक्षित भारतीय	Foreign Trained Indians enrolled with C.S.I.R. .	90–91
4142	पूना में एक ट्रैक्टर कारखाने का बन्द किया जाना	Closure of a tractor plant in Poona.	91
4143	वर्ष 1974–75 में बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural electrification in Bihar in 1974-75	92
4145	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय बिजली नीति का निष्पादन	Execution of a national power policy by Central Electricity Authority . . .	92
4146	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी	Grant of pension to freedom fighters	92–93
4147	पटियाला जिले, पंजाब में स्थित नाभा में स्कूटर निर्माण करने वाला कारखाना	Scooter manufacturing factory at Nabha in Patiala District, Punjab . . .	93
4148	रेनीगुंटा, चित्तुर जिला, आन्ध्र प्रदेश में तीन पहियों वाली छोटी कार का निर्माण	Production of three wheeler small car at Renigunta in Chittoor District, Andhra Pradesh .	93–94
4149	जनता से वास्ता रखने वाले मन्त्रालयों और विभागों में शिकायत पुस्तकें रखा जाना	Keeping of complaint books in Ministries and Departments dealing with Public . .	94

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4150	चालू तथा नई परियोजनाओं के बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई जानकारी	Information Furnished by Orissa Government about continuing and New Projects . .	94
4151	दिल्ली में अपराधों के मामले	Crime Cases in Delhi . .	95
4152	पश्चिम बंगाल में डाक-तार डिवीजन के कर्मचारी	Staff of P.& T. Division in West Bengal	95–96
4153	गुजरात राज्य कपड़ा निगम द्वारा चलायी जा रही संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता	Financial Relief to sick Text e Mills Controlled by Gujrat State Textile Corporation	96
4154	टेलीफोन काल रिकार्ड करना	Recording of Telephone Calls	96–97
4155	ऊर्जा स्रोतों सम्बन्धी कार्य के समन्वय के लिये एक विशिष्ट सेल की स्थापना	Setting up of a Special Cell to Coordinate work on Sources of Energy . . .	97–98
4156	रबी गेहूं सम्बन्धी परियोजनाओं पर नई विद्युत योजना का प्रभाव	Effect on New Power Scheme on Projects on Rabi Wheat.	98
4157	गया काटन एण्ड जूट मिल्स गया में उत्पादन	Production in Gaya Cotton and Jute Mill Gaya . . .	98
4158	बडे एकको द्वारा छोटे एकक स्थापित किया जाना	Setting up of Small Units by Large Scale Units . .	99
4159	भारतीय औद्योगिक उपक्रमो में अमरीकी हित	American Interest in Indian Industrial Ventures . .	99–100
4160	राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र –इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की कमी	Rajasthan Industrial Areas Infrastructure Facilities Lacking	100
4161	राजस्थान में भारतीय मानक संस्थान की प्रयोगशालाओ का स्थापित किया जाना	Setting up of Laboratories of Indian Standards Institution	100–101
4162	"प्रैशर कुकर" की कीमत	Price of Pressure Cookers .	101
4164	दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के फेडरेशन द्वारा आन्दोलन	Agitation by Federation of Employees of South Indian Film Industry in Madras . .	101–102
4165	दिल्ली बन्द के दौरान प्रधान मन्त्री का कनाट प्लेस, नई दिल्ली जाना	Prime Minister's visit to Connaught Place, New Delhi during Bandh	102
4166	बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के एक वज्ञानिक का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of a Scientist of Bhabha Atomic Research Centre, Bombay . . .	102
4167	विभागेतर डाक कर्मचारी	Extra Departmental Postal Staff	103

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4168	श्री जयप्रकाश का आन्दोलन बाहरी शक्तियों से प्रभावित तथा समर्थित	Shri Jayaprakash Narayan's movment influenced and aided by outside Forces . .	103
4169	राजभाषा अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये कर्मचारी	Staff for enforcement of Official Languages Act . . .	103
4170	आकाशवाणी द्वारा प्रसारण के लिये संसद समीक्षा तैयार किया जाना	Preparation of 'Sansad Samiksha' broadcast by A.I.R. .	104
4171	दरभंगा, मधूबनी तथा समस्तीपुर जिलों के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी	Grant of pension to Freedom Fighters of Darbhanga, Madhubani and Samastipur District	105
4172	पटना टेलीफोन्स का कार्य-संचालन	Functioning of Telephone in Patna	105
4173	पंजाब और हिमाचल प्रदेश द्वारा नेपथा झाकरी विद्युत परियोजना की क्रियान्विति	Execution of Naptha-Jhakri Power Project by Punjab and H.P.	105
4174	उचित लाइसेन्स प्राप्त किये बिना टेलीफन्कन इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित टेपरिकार्डर	Tape recorders manufactured by Telefunken India Limited without proper licences	105–106
4175	मारुति लिमिटेड के लिये संयत्र मशीनरी और उपकरणो का आयात	Import of Plant machinery and equipments for Maruti Limited	106
4176	भागलपुर डीवीजन में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण	Functioning of Telephone System in Bhagalpur Division .	106–107
4177	राज्यों को स्वायत्तता देना	Autonomy to States . .	107
4178	अपनी गतिविधियों चलाने के लिये भारत, बर्मा और बंगलादेश के विद्रोही संगठनों द्वारा समन्वित सामरिक नीति बनाया जाना	Evolvement of Coordinated Strategy by Rebel Organisations of India, Burma and Bangladesh to conduct operations .	107–108
4179	उद्योगो के लिये आवश्यक वस्तुयें और कच्चा माल	Inputs and Raw Materials for Industries . . .	108
4180	कलकत्ता में टूल डिजायन सेंटर स्थापित करने का अनुरोध	Request for setting up of Tool design Centre in Calcutta .	108
4181	नाटकीय प्रदर्शन (ड्रामाटिक परफौरमेन्स) अधिनियम, 1876	Dramatic performance Act, 1876	108–109
4182	बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Village in Bihar and U.P. . .	109
4183	ईरान द्वारा तापीय विद्युत संयंत्रों की खरीद	Purchase of Thermal Power Plants by Iran . . .	109–110

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4184	ऊंची जाति के जमींदारों द्वारा बिहार के मधुबनी जिले के सोहपुर ग्राम के हरिजनों को बन्दी बनाया जाना Confinement of Harijans of Sohpur Village of Madhubani District of Bihar by Upper Caste Landlords . . .	110
	आयात लाईसेंस काड के बारें में श्री एल०एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषधिकार का प्रश्न Question of Privilege against Shri L.N. Mishra Re. Import Licence Casse	110–115
	सभापटल पर रखे गये पत्र Papers Laid on the Table .	115–116
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति— Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
	48 वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया Forty-eight Report—resented	116
	ऋषिकेश स्थित हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स संयंत्र के कर्मचारियों की बहाली संबंधी निर्णय के कार्यान्वियन में विलंब के बार में वक्तव्य— Statement Re. Delay in Implementation of the Award about Reinstatement of Employees of Hindustan Antibiotics Plant Rishikesh—	
	श्री के० आर गणेश Shri K.R. Ganesh . .	116
	सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण—(श्री वसंत साठे) Personal Explanation by Member (Shri Vasant Sathe) . .	117
	सिविल प्रक्रिया संहिता (सशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढाया जाना Code of Civil Procedure (Amendment) Bill Extension of Time for Presenta tion of Report of Joint Committee	117–119
	रुग्ण कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक— Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill	119–137
	खंड 5 से 39 तथा खंड 1 Clauses 5 to 39 and Clause 1.	137–138
	पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रुप से— Motion to pass, as amended—	139–159
	श्री बी० पी० मौर्य Shri B. P. Maurya .	159 & 161
	श्री सेझियान Shri Sezhiyan	159–160
	श्री राजा कुलकर्णी Shri Raja Kulkarni . .	160
	श्री इराज्मूद सैकैरा Shri Erasmo de Sequeira .	160
	श्रीमती पार्वती कृष्णन् Shrimati Parvathi Krishnan	160
	श्री के० गोपाल Shri K. Gopal . . .	160
	श्री पी० जी० मावलंकर Shri P. G. Mavalankar	160–161
	श्री राम सिंह भाई Shri Ram Singh Bhai. .	161
	श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडें Shrimati Roza Deshpande	161
	नेपाल के प्रधान मंत्री का स्वागत Welcome to Prime Minister of Nepal	137
	कोयला उद्योग के मजूरी के पुनरीक्षण के बारें में वक्तव्य— Statement Re. Revision of Wages in Coal Industry—	
	श्री कृष्णचन्द्र पंत Shri K. C. Pant . .	138–139

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार, 11 दिसम्बर, 1974/20 अग्रहायण, 1896 (शक)
Wednesday, December 11, 1974/Agrahayana 20, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

योजना तथा गैर योजना व्यय में कटौती

+

*415. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम आवश्यक योजना व्यय तथा गैर-योजना व्यय में काफी कटौती करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के सम्पूर्ण योजना परिव्यय को अपरिवर्तित रखा जायेगा; और

(ग) क्या इस महत्वपूर्ण आवश्यक कार्यक्रमों (कोर सैक्टर प्रोग्राम) पर व्यय को बढ़ाया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान समस्त योजना परिव्यय को घटा कर केन्द्रीय क्षेत्र में 132 करोड़ रुपये की बचत की गई है। यह इस तरीके से किया गया है जिससे वे ही स्कीमें प्रभावित हुई हैं जो वर्तमान संदर्भ में उच्च प्राथमिकता वाली नहीं हैं।

(ग) जी, हां। उर्वरक, कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम, रसायन इत्यादि केन्द्रीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर सेक्टर) की कतिपय आवश्यक स्कीमों के लिए 160 करोड़ रुपये के अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई है। यद्यपि महत्वपूर्ण क्षेत्र (कौर सेक्टर) के पक्ष में योजना खर्च का पुनर्वितरण किया गया है, परन्तु किसी प्रकार की शुद्ध बचत करना सम्भव नहीं हो पाया।

Shri Anadi Charan Das : The reply given by the hon. Minister shows that we have not been able to formulate any plan. I would like to know as to what will be the effect of the cut of Rs. 132 crores on the backward areas?

Shri Vidya Charan Shukla : A number of schemes have been formulated for backward areas separately. So far as this year is concerned, about which this question has been asked it has been our effort that there should be the least effect of this cut on the schemes meant for backward areas. We want to follow this policy during the next four years so that there is the least adverse effect of this saving compaign on the backward areas.

Shri Anadi Charan Das : I would like to know as to which schemes or items come under less essential plans and whether there are any such plans for Orissa?

Shri Vidya Caran Shukla : Mr. hon. Member is asking for less essential plans. It they are to be dealt with in detail, it will be prolonged. I have referred to the important items in my original answer. So far as Orissa is concerned there are many parts in Orissa which are treated by us as backward areas. Whatever the plans are there for those areas be they related to education and health etc. and rural development, agricultural development, or cattle breeding. The Minimum effect is being put to those areas.

श्री डी० डी० देसाई : इस समय देश को एक ओर मुद्रा-स्फीति का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर स्थिरता का। औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में स्थिरता आ गई है। क्या मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करेंगे कि वह इस समय यह जानने के लिये पूंजी निवेश कर रहे हैं और मार्गोपास तैयार कर रहे हैं कि पिछली योजनाओं में जितना भी धन लगाया गया है उसका अधिकतम उपयोग किया जाये? दूसरे शब्दों में, क्या धन पर पूरा पूरा प्रतिलाभ मिल रहा है या नहीं?, संक्षेप में, क्या लक्ष्य धन प्रधान हैं या हमारी मूल आवश्यकताओं के बनने में ठोस वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के प्रतिफल के मानदंड पर आधारित होंगे?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमारा दृष्टिकोण परिणाम प्रधान है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में हमने यह संकेत दिया है कि हम कृषि तथा औद्योगिक विकास के लिये कोई विकास पद्धति चाहते हैं। हमारे वर्तमान प्रयासों से और जो किफायत हमने की है उसमें हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इन लक्ष्यों में बाधा न पड़े और पांचवीं योजना के डस्टावेज में जिस विकास पद्धति की परिकल्पना की गई है उसमें बाधा न पड़े। यही हमारा प्रयास है। परन्तु स्थिति बहुत ही नाजुक है और जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि परिकल्पित विकास दर बनाये रखने के लिये इस समय यह ठीक-ठीक और निश्चित रूप से बताना बहुत कठिन है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र में और अधिक कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी।

श्री डी० डी० देसाई : मेरे प्रश्न का पूरी तरह उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानने का इच्छुक था कि क्या अब तक किये गये पूंजी-निवेश पर कुछ प्रतिलाभ मिला है और क्या किन्हीं अतिरिक्त निवेश का पहले किये गये पूंजी-निवेश पर हुए लाभ से सम्बन्ध है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : पांचवी योजना के पृथक वर्ष में जो चालू वर्ष है उपलब्ध परिणामों की योजना आयोग में पुनर्मूल्यन अथवा समीक्षा की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष, 1975-76 के लिये योजना पर चर्चा चल रही है। इस प्रक्रिया में हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं जो कुछ हम चालू वर्ष में उपलब्ध कर सके हैं, परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने चालू वर्ष में अपने संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया है।

जहाँ तक संसाधनों के पुनर्वितरण का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम अपने प्रयासों से क्या कर सके है। मैंने मुख्य उत्तर में कुल आंकड़े बताये है। अब मैं बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि जो पूंजीनिवेश किये गये हैं क्या उनसे आशानुकूल परिणाम प्राप्त हुये हैं? यह साधारण सा प्रश्न था। विवरण देने से आपको बहुत से प्रश्नों का उत्तर देना होगा। श्री मावलंकर

श्री पी० जी० मावलंकर : माननीय सदस्य इस वर्ष की योजना तथा अगले वर्ष की योजना के बारे में बता रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पांचवीं योजना किस स्थिति में है? इस संदर्भ में, सरकार योजना व्यय और गैर योजना व्यय में किस प्रकार अन्तर करती है? क्या उड़ीसा, गुजरात आदि राज्यों में सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर कम की गई राशि को उस राज्य के योजना व्यय का भाग माना जायेगा क्योंकि राज्यों की योजनायें अस्तव्यस्त हो जाती हैं और राज्य सरकारों को इन प्राकृतिक आपदाओ पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : योजनाओं के लिये जिस धनराशि की व्यवस्था की गई है उसे योजना में सम्मिलित किया गया है और वह योजना व्यय में गिना जाता है।

श्री पी० जी० मावलंकर : अत्यावश्यक तथा गैर आवश्यक मद निर्धारित करने का क्या मापदंड है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह दूसरा प्रश्न है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र कौनसा है और गैर महत्वपूर्ण कौनसा? मोटे रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र वह है जिस से योजना में विचार की गयी जमींदार औद्योगिक और कृषि विकास होगा। कृषि में 4 अंक से अधिक और इतना ही औद्योगिक विकास, इनमें विद्युत, उर्वरक, कोयला, परिवहन, नौवहन, प्रजनन आदि आते हैं। यहां हमने आशानुकूल विकास करना चाहा है। जहाँ तक सूखा सम्बन्धी राहत का प्रश्न है, यह माननीय सदस्य को पता है कि सदन में पहले बताया जा चुका है कि हम सूखा राहत के लिये निश्चित धन राशि नहीं दे पायेंगे क्योंकि हम राज्य विशेष के लिये अपनी अर्थव्यवस्था को घाटे से अधिकाधिक नहीं दबाना चाहते। अतः हमने सम्बद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि जो योजना है और उसमें उनके लिये जो व्यय की राशि की व्यवस्था की गई है, यदि वे चाहें तो तीन वर्ष के बजाये एक वर्ष में ही व्यय कर सकते हैं ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत प्रदान की जा सके। यह वर्ष में जब अधिक व्यय अपेक्षित है व्यय के समाकलन के लिये दिया गया है ताकि इसे पूरा किया जा सके। हमने सूखा राहत के लिये योजना नियतन से अधिक धन राशि न देने का निर्णय किया है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मुझे आपका निर्देश चाहिये। गुजरात सरकार को 4 करोड रुपया दिया जा रहा है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वह एक निश्चित राशि से अधिक नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। वादविवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है... (**व्यवधान**)

श्री डी० बसूमतारी : क्या आदिवासी क्षेत्र विकास की योजना में भी प्रभावित हुयी है? क्या योजना में कोई कटौती की गई है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आदिवासी क्षेत्र विकास की बहुत सी योजनायें राज्य सरकारों ने योजना आयोग को भेजी हैं और उन पर विचार किया जा रहा है, हम प्रयास करेंगे कि इन योजनाओं में कटौती न की जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या योजना तथा गैर योजना व्यय में कटौती करते समय पिछड़े क्षेत्रों को विशेष छूट तथा सुविधायें दी जायेंगी। क्षेत्रों में आरम्भ होने वाली उन योजनाओं जिनके व्यय में कच्चेमाल की मूल्य वृद्धि के कारण वृद्धि की जायेगी क्या पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं को विशेष छूट दी जायेगी?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारी यह स्वीकृत नीति है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाये। पिछड़े क्षेत्रों में अधिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना योजना

का भाग है। मूल्य वृद्धि के कारण यदि इन परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती तो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने तथा इन क्षेत्रों का विकास करने का कार्य कठिन हो जायेगा परन्तु इससे हम पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की अपनी योजना को छोड़ ही नहीं देंगे। हम पिछड़े क्षेत्रों का विकास करते रहेंगे और इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

उड़ीसा में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य

*414 : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त हो गया है; और

(ग) पांचवी योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) चौथी योजना में विद्युत उत्पादन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे :

बलिमेला जल-विद्युत केन्द्र	6×60	360 मै०वा०
तलचर ताप-विद्युत केन्द्र विस्तार	1×62.5	62.5 मै०वा०
	जोड़	422.5 मै०वा०

(ख) जी, नहीं।

(ग) पांचवी योजना में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए है :

चौथी योजना से आगे ले जाया गया		
बलिमेला जल-विद्युत केन्द्र	4×60	240 मै०वा०
नई स्कीम		
तलचर ताप-विद्युत केन्द्र विस्तार	2×110	220 मै०वा०
	जोड़	460 मै०वा०

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यद्यपि चौथी योजना का लक्ष्य 422.5 मैगावाट था परन्तु उपलब्धि केवल 182.5 मैगावाट की हुई और 240 मैगावाट की कमी रही अर्थात 60 प्रतिशत की कमी रही। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक निधि उपलब्ध करा दी थी परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया और इसलिये कमी हुई अथवा पर्याप्त निधि न दिये जाने के कारण लक्ष्य उपलब्ध नहीं किये जा सके ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : उपलब्धि में निधि की कमी के कारण कमी नहीं हुई परन्तु सिविल कार्यों, परियोजना निर्माण तथा उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब के कारण कमी हुई।

राज्य से परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने का तथा समय पर उपकरणों की सप्लाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पांचवी योजना के लिये स्पिलओवर 240 मेगावाट होता है और अतिरिक्त उत्पादन 220 मेगावाट रहा है । क्या यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में आयी है कि उड़ीसा में विद्युत उत्पादन में कमी के कारण उद्योगों को बिजली की सप्लाई में 25 से 40 प्रतिशत कटौती करनी पड़ी है। यहां तक कि राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा अन्य सभी उद्योगों में बिजली संकट से ग्रस्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार ने पांचवी योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये इनके अतिरिक्त कोई और प्रस्ताव रखे हैं। पांचवी योजना के अन्त तक उड़ीसा की मांग क्या होगी और केन्द्रीय सरकार इसे किस प्रकार पूरी करेगी ? उड़ीसा में बिजली की कटौती से उद्योगों को हानि न हो इस ओर सरकार ने कौन से तुरन्त कदम उठाये हैं ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : उड़ीसा में बिजली संकट दूर करने के लिये सभी प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं । दामोदर घाटी निगम से कुछ विद्युत उड़ीसा को दी जा रही है । राऊरकेला इस्पात संयंत्र को बिजली की कमी के कारण हानी नहीं पहुंचने दी जायेगी । जहाँ तक अन्य प्राथमिक उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है उन्हें भी पूरी पूरी बिजली सप्लाई की जा रही है । मानसून की अच्छी स्थिति न रहने के कारण कमी हुई है और तालचर तापीय विद्युत केन्द्र की एक यूनिट बन्द की जा रही है। हम शीघ्रातिशीघ्र स्थिति सुधारने के लिये कदम उठा रहे हैं अतः हम उड़ीसा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे । जहाँ तक उन अन्य योजनाओं का सम्बन्ध है जो हमारे विचार के लिये हमारे पास अभी हैं, उनकी जांच की जा रही है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वे योजनायें क्या है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : ऊपरी कोलाब जलविद्युत योजना, तालचर विस्तार और रेंगाली योजनायें हमारे विचाराधीन हैं । ये पांचवी योजना में अग्रिम कार्यवाही के लिये सम्मिलित की गई है ।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उड़ीसा में अभी भी बिजली की कमी की संभावना ये है मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के क्या प्रस्ताव है अथवा क्या केन्द्रीय सरकार तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से बिजली का समान वितरण और उस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन दूर करना सुनिश्चित कराने के लिये स्थिति का पूरा अध्ययन करेगी ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : भारत सरकार ने अभी हाल ही में विद्युत संयंत्र चलाने तथा पारेषण लाइनों के निर्माण के बारे में समीक्षा कराई है । हमें पता चला है कि कुछ कदम उठाये जाने हैं । हम निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा चालू करने और पारेषण लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में ये कदम उठा रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, the hon. Minister has mentioned about certain projects which are expected to be commissioned during the fifth five year Plan. May I know whether the requirement of Orissa may be met after the completion of these projects? May I also know the expenditure likely to be incurred and share of the state and the centre in that? Is it a fact that in Orissa there is more poverty and unemployment as compared to other states? How for these schemes are going to contribute to reduced poverty and employment in this state?

Prof. Siddheshwar Prasad : As far as schemes of power generation in Orissa are concerned, I have said that the shortage of power in Orissa is due to failure of monsoon and

one unit of Thermal power station is shut for want of repairs. I have also said that power is being diverted from D.V.C. to need the shortage in Orissa. We have provided Rs. 10 crores 35 lakhs for the schemes of the current year and the Planning Commission have made a provision of Rs. 67 crores for the new schemes I have mentioned.

Shri Anadi Charan Das : May I know wheter the Rengali Project will also be considered to be taken up in this five year Plan so that the power requirements of Orissa may be met?

Prof. Siddheshwar Prasad : Sir, I have said that the Rengali Project will be started in this five year Plan but the Project will not be completed not in fifth but in 6th five year Plan.

बटन दबाकर टेलीफोन करने की प्रणाली

*415. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज (बंगलौर) में डायल वाले टेलीफोन के स्थान पर "बटन दबाकर" टेलीफोन करने वाले नये उपकरण बनाये गये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इंण्डस्ट्रीज बंगलौर ने 'पुश बटन" टेलीफोन प्रणाली का एक आदि रूप विकसित किया है।

"पुश बटन" प्रणाली डायल प्रणाली का स्थान लेती है। वांछित टेलीफोन मिलाने के लिए टेलीफोन आपरेटरों और प्रयोक्ताओं को उसके नम्बर के अनुरूप बटन दबाने होंगे। इस से आवश्यक नम्बर अपने आप डायल हो जायगा। इस प्रकार थोड़े से प्रयत्न से सही नम्बर डायल किया जा सकेगा।

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : पुश बटन प्रणाली के लाभ जानकर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को डायलिंग प्रणाली के स्थान पर इस प्रणाली के विस्तार की कोई योजना है? इस उपकरण का क्या कोई उत्पादन लक्ष्य बनाया गया है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जी हाँ। इस उपकरण का विस्तार मांग पर निर्भर करेगा।

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : मैंने यह प्रश्न पूछा है कि यदि यह उपयोगी और लाभात्मक है तो क्या डायल करने वाली प्रणाली को इस प्रणाली से बदलने की सरकार की कोई योजना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : हमने पुश बटन की प्रणाली इस लिए अपनाई क्योंकि दूसरे देशों में भी इसे अपनाया गया है, हम से मांग की गई और हम ये उपकरण सप्लाई करना चाहते हैं। अतः हमने अपने डिजाइन का विकास किया। समस्या यह है कि यह प्रणाली महंगी है। सर्वप्रथम हम 500 उपकरण बनाना चाहते हैं जो प्रमुख रूप से आपरेटरों द्वारा प्रयोग में लाये जायेंगे। यदि ये प्रचलित होते हैं और उपभोक्ता अधिक मूल्य देने को तैयार हों तो हम इन उपकरणों का उत्पादन करेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो वर्ष 1977 तक हम 50,000 उपकरण बना सकेंगे।

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : इस प्रणाली के लाभ जानते हुये मैं यह जानना चाहता हूं, कि इससे तुरन्त अथवा वर्ष 1977 के अन्त तक किन किन स्थानों को लाभ होगा ?

Mr. Speaker : The instrument has not been manufactured as yet and you are asking about the places to be covered.

Shri Hukam Chand Kachwai : What will be the size?

Dr. Shankar Dayal Sharma : Almost equal to the size of the present one.

डा० रातन सेन : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि देश में टेलीफोन उपकरणों की बहुत अधिक कमी है और टेलीफोन संचार न होने के कारण देश के लोगों को असुविधा होती है, सरकार ने किन कारणों से पुराने टेलीफोन का उत्पादन बढाने के स्थान पर आधुनिक टेलीफोन बनाने की बात सोची है जिससे पुराने प्रकार के टेलीफोन के उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

डा० शंकरदयाल शर्मा : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि हमें इस सुविधा का विस्तार करना है परन्तु साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि हम टेलीफोन केवल अपने देश के लिये ही नहीं अपितु अन्य देशों के लिये भी बनाते हैं। दूसरे दूर संचार जैसे विषय में हमें अनुसंधान करने है और हमें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा रखने के लिये समय के साथ भी चलना है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा ले रहे है और अगले वर्ष हमें इससे 2 करोड़ रुपये की विदेशमुद्रा की आय होने की आशा है। जैसा कि हमने आरम्भ में ही बताया है कि हमने "पुशबटन" प्रणाली विदेशों से आदेश प्राप्त होने पर विकसित की है। हमने केवल "पुशबटन" प्रणाली ही विकसित नहीं की है अन्य नयी प्रणालियों के उपकरण भी आवश्यकतानुसार मांग को पूरा करने के लिये बनाये हैं। "पुशबटन" प्रणाली का आपरेटरों द्वारा उपयोग किये जाने से अच्छे परिणाम निकलेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : मंत्रीमहोदय ने बताया है कि "पुशबटन" टेलीफोन महंगा पड़ेगा। मैं साधारण डायलिंग टेलीफोन तथा "पुशबटन" टेलीफोन की लागत का अन्तर जानना चाहता हूं।

डा० शंकरदयाल शर्मा : साधारण टेलीफोन रंगवाला उपभोक्ता की 310 रुपये में पड़ता है, दूसरे डिजाइन का 370 रुपये में। साधारण काले रंग के टेलीफोन की कीमत 289 रुपये है, "पुशबटन" टेलीफोन का मूल्य आज के मूल्य के अनुसार 1000 रुपये अथवा इससे कुछ अधिक होगा।

श्री था किरुतिनन : मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्तमान टेलीफोन कि तुलना में "पुश बटन" अधिक लाभप्रद है। मैं वर्तमान टेलीफोन के उन दोषों को जानना चाहता हूं जो "पुशबटन" में नहीं होंगे।

डा० शंकरदयाल शर्मा : दोषों का प्रश्न नहीं है। "पुशबटन" से समय की बचत होती है। डायल करने में अधिक समय लगता है। प्रत्येक अंक को घुमाकर वापस आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पुशबटन में केवल अंकों के बटन दबाने से ही प्लेट पर सब रिकार्ड हो जाता है और तब यह स्वतः ही डायल हो जाता है।

अगरतला में आदिवासी बंगाली दंगों में ईसाई मिशनरियों की भूमिका

*417. **श्री बोरेन दत्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि 21 अक्तूबर, 1974 को अगरतला से 8 किलोमीटर की दूरी पर ईसाई मिशनरियों द्वारा भड़काये गए एक गिरोह ने एक झोंपड़ी को जला दिया था और उन्होंने आदिवासी बंगाली साम्प्रदायिक दंगे को उकसाया था जिसके परिणामस्वरुप कई व्यक्ति घायल हो गये;

(ख) क्या बदमाशों और पुलिस बल के बीच गोलियां चलीं; और

(ग) यदि हां, तो कितने शरारती व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रम्हानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जसा आरोप लगाया गया, 21 अक्तूबर, 1974 को किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की गई थी। किन्तु 23 अक्तूबर, 1974 को लाठियों तथा अन्य घातक हथियारों से लैस आदिवासियों के एक वर्ग के पश्चिम त्रिपुरा जिले के सदर-उप डिवीजन के अधीन टाकरजाला के निकट थाना जिरानिया के अधिकार क्षेत्र में सोमवार बाजार की कुछ दुकानों के लूटे जाने का आरोप लगाया गया था । कुछ स्थानीय निवासियों की भी तथाकथित पिटाई की गई थी । दो व्यक्तियों के गम्भीर रूप से चोट आने की रिपोर्ट थी जिसमें से एक बाद में मर गया था । तथाकथित घटना के बारे में सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तुरन्त एक पुलिस दल पहुंचा । उसी दिन दोपहर बाद बन्दूक और अन्य घातक हथियारों से लैस आदिवासी युवकों के एक वर्ग ने बजूराम पुरा के एक व्यक्ति के घर पर तथाकथित आक्रमण किया और उस पर प्रहार किया। उस क्षेत्र में उपस्थित पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो बदमाशों ने एक राउंड गोली चला दी। पुलिस ने तीन राउंड गोली चलाई और बदमाश भाग गये। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/149/363/307 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल हो रही है । रिपोर्ट मिली है कि अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तारी से बच रहे हैं ।

श्री बीरेन दत्त : क्या यह सच है कि एक आदिवासी महिला के साथ गैर आदिवासियों ने बलात्कार किया और त्रिपुरा सरकार ने उसकी रक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की तथा ईसाई मिशनरियों ने इन लोगों के बीच बंगाली विरोधी भावनाएं फैलाने के लिए इस घटना का नाजायज फायदा उठाया ?

श्री जगन्नाथराव जोशी : प्रश्न स्पष्ट है और मिशनरियों के बारे में पूछा गया है । मंत्री महोदय कहते है कि उन्हें समझ में नहीं आया ।

You may ask him to give a complete statement.

अध्यक्ष महोदय : You may put Questions when your turn come. सदस्य को प्रश्न पूछने दें ।

श्री बीरेन दत्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह घटना गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों को भड़काने के परिणामस्वरुप हुई और त्रिपुरा सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यह सच है अथवा नहीं ?

श्री के० ब्रम्हानन्द रेड्डी : राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विशिष्ट घटना में ईसाई मिशनरियों का हाथ नहीं लगता ।

श्री बीरेन दत्त : क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया हैं, जैसा कि "हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड" में प्रकाशित हुआ है, कि ईसाई मिशनरियां कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भाग ले रहे हैं ?

श्री के० ब्रम्हानन्द रेड्डी : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री दशरथ देव : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि इस क्षेत्र के गैर-आदिवासियों में कुछ असामाजिक तत्वों ने हाल में आदिवासी स्त्रियों पर हमला किया तथा गांवों में काम पर जा रही स्त्रियों के साथ बलात्कार करने का भी प्रयत्न किया और यदि हां, तो आदिवासी महिलाओं के साथ छेडखानी करने वाले असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कोई असामाजिक तत्व अभी तक गिरफ्तार हुआ है जिन पर आदिवासी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने का आरोप है और जिसके परिणामस्वरुप 23 अक्तूबर को सोम्बर बाजार घटना घटित हुई?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : पुलिस को इस घटना का पता चला है और वस्तुत: मामले की जांच की गई है और चार्ज-शीट दे दी गई है और उनमें से पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लापता हो गए है और उनकी तलाश जारी है।

श्री दशरथ देव : मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न आदिवासी नवयुवकों के बारे में नहीं है जिन्होंने कुछ शरारत की थी। आप ने उन्हें गिरफ्तार किया अथवा उनके विरुद्ध वारन्ट जारी किए गए। मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या उन असामजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने आदिवासी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया और जिसके परिणामस्वरुप यह घटना हुई।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जहाँ तक मामले का सम्बन्ध है, पुलिस कार्यवाही कर रही है और कुछ लोग गिरफ्तार किए गए है अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के बारे में त्रिपुरा सरकार जांच कर रही है।

श्री दशरथ देव : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्योंकि यह घटना गैर-आदिवासी समुदायों के असामाजिक तत्वों द्वारा अपराध करने के परिणामस्वरुप हुई, जिन्होंने आदिवासी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया। मंत्री महोदय ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और उनके बारे में बता रहे हैं जिनको उन लोगों द्वारा उकसाया जा रहा है, जो बदला लेना चाहते थे।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): मुझे बताया गया है कि बलात्कार के मामले में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि यह प्रश्न सीधे मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि ऐसी घटनाओं को सख्ती के साथ रोकना चाहिए।

Shri Jagannathrao Joshi : While welcoming the reply of the Prime Minister, I would like to know the number of persons arrested. In reply to my question, it was stated that the accused persons alleged to be mentioned are reported to be evading arrest. Does he mean to say that only those persons will be arrested who surrender themselves and rest of them would not be arrested? He should feel ashamed while making such statement.

Mr. Speaker : He should speak properly.

Shri Vasant Sathe : At least such words should not be used. It does not behove him.

Shri Jagannathrao Joshi : If he has objectian to the word 'ashamed' (शर्म), I use the word 'disgraceful.' (लज्जा).

Mr. Speaker : You have asked question in your own way and he has replied accordingly yesterday you had objection to the same word and today you are yourself using it. It should not happen daily.

Shri Jaganathrao Joshi : May I know whether the strict action would be take against culprits and will they be arrested?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, विवरण में पहले ही बताय जा चुका है कि अपराधी गिरफ्तारी से बच रहे है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सतत प्रयास कर रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : When you are equipped with all the sources, how much time will you take?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री दशरथ देव : सच तो यह है कि लोक गिरफ्तारी से बच नहीं रहे बल्कि सरकार ने उन्हें कब्जे में रखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है और यदि समय आरोपों आदि में समाप्त हो गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस क्षेत्र में हुई और यह घटना आदिवासियों के ऐतिहासिक और भावनात्मक कारणों का प्रतीक है, जो ये समझते हैं कि उन्ह उचित व्यवहार नहीं मिल रहा और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हे दबाया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा विशेषकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सरकार ने त्रिपुरा वासियों की मांग पर ध्यान दिया है, जिनको लेकर वह हाल में संविधान के अनुरूप स्वायत्त जिला परीषद की मांग के लिए आन्दोलन कर रहे हैं?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह सच है कि इस क्षेत्र के आदिवासी भूमि, प्राथमिक शिक्षा स्तर आदि में भाषा के प्रश्न को लेकर शिकायत कर रहे हैं। वस्तुतः इनके कुछ नेता कुछ माह पूर्व प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन की जांच की गई है और वस्तुतः हमने त्रिपुरा सरकार को सलाह दी है और त्रिपुरा सरकार हमारे सुझावों के अनुरुप कार्य कर सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वायत्त जिला परिषद की मांग विचाराधीन है? क्या मांग स्वीकार कर ली गई है? इस बारे में स्थिति क्या है?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मुझे पता नहीं है कि उसकी अभी जांच हो रही है या यह बात मान ली गई है। इस मामले पर विचार किया जा सकता है।

श्री त्रिदिब चौधरी : विशेषकर त्रिपुरा के मामले में त्रिपुरा के आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के सम्बन्धों के मामले पर प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दल द्वारा विचार किया गया था और उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। जहाँ तक मुझे स्मरण है, ये सिफारिशें मुख्य रूप से सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। उन्हें अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया? क्या गृह मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी देंगे?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मुझे अभी तक आयोग की सिफारिशें प्राप्त नही हुई हैं।

श्री डी० बसुमतारी : क्या यह सच नहीं है कि अगरतला के आदिवासी लोग पुराने महाराजा द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में उनके लिए आरक्षित की गई भूमि के लिए लड़ रहे हैं। यदि हाँ, तो क्या सरकार बंगाली शरणार्थियों द्वारा आदिवासियों की हथियाई गई भूमि वापिस दिलाने के लिए फिर से प्राचीन आरक्षण प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह सच है कि महाराजा के समय उन्होंने एक आदेश पास किया था और बाद में वर्ष 1974 में त्रिपुरा सरकार ने एक अध्यादेश पास किया जिसको आदिवासियों ने चुनौती दी है। हमने मामले की जांच की है तथा त्रिपुरा सरकार को मामले पर पुनः विचार करने के लिए उचित सलाह दी है।

नेताजी जांच आयोग का प्रतिवेदन

*418. **श्री समर गुह :**

श्री वी० मायावन :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के 16 नवम्बर, 1974 के अंक में "नेताजी प्रोब काउंसल सेज रिपोर्ट इज बायस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में लगाये गये आरोप के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) सरकार ने जांच आयोग के निष्कर्षों को मान लिया है।

श्री समर गुह : यह रिपोर्ट भारत के महान् पुत्र के साथ घोर विश्वासघात का प्रतीक है। मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह रिपोर्ट निकट भविष्य में रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाएगी और इसके साथ ही रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया जाएगा।

यदि सरकार को पूरा विश्वास है कि नेताजी विमान दुर्घटना में मारे गए हैं तो नेताजी के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति के पीछे खुफिया विभाग क्यों पड़ा हुआ है? यदि बात कुछ भी नहीं है तो मेरे पत्रों के सेंसर करने तथा मेरे टेलीफोन तथा तारों को टेप करने के क्या कारण हैं? बेहतर तो यह होगा कि प्रधानमंत्री के तारों, पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को टेप तथा सेंसर किया जाए क्योंकि वह नेताजी के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हैं।

क्या यह सच है कि रिपोर्ट स्वीकार करने से पूर्व पहले इसे अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग को भेजा गया था और विंग की सलाह पर कई परिवर्तन किए गए?

निष्कर्ष के नाम पर नेताजी के विरुद्ध भद्दी टिप्पणियां की गई और उन्हें जापान के हाथों की पुतली कहा गया तथा यह भी कहा गया कि जापान को उन पर विश्वास नहीं था। श्री खोसला द्वारा की गई टिप्पणियां और बोले गए झूठ को साक्ष्य में शामिल न करते हुए भी सरकार ने निष्कर्षों में उन बातों को शामिल कर लिया है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं इस आरोप का सख्त विरोध करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके सहयोगी द्वारा भी किया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वह बेहतर शब्दों की तलाश में है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय क्यों हंस रहे हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं सदस्य द्वारा लगाए गए आधारहीन आरोपों पर हंस रहा हूं। मैं पहले आरोप का दृढ़ता से विरोध करता हूं। मैं इस आरोप का भी विरोध करता हूं कि रिपोर्ट को पहले अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग ने देखा था। आप जानते हैं, सरकार ने स्वयं निष्कर्षों को स्वीकार किया है **(व्यवधान)**

श्री समर गुह : मुझे लिखे गए पत्र की निंदा करने से क्या लाभ है?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मुझे यह नहीं पता कि सदस्य ने किसको सैंकड़ों पत्र लिखे हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है, जांच आयोग ने दृढ़ता से उन आरोपों और अफवाहों का खंडन किया है जो श्री गुह द्वारा फैलाई गई हैं ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। आप अपने आप को नियन्त्रण में रखें। आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? प्रश्न पूछिए।

श्री समर गुह : श्री खोसला द्वारा की गई टिप्पणी को साक्ष्य में शामिल नहीं किया गया और मंत्री महोदय ने कुछ टिप्पणियां रिपोर्ट में शामिल कर दी। ऐसा क्यों किया गया?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रतिपक्ष के सदस्य द्वारा लगाए गए आरोपों का मंत्री महोदय ने दृढ़ता से खंडन किया है। हमने सदन के बाहर और अन्दर यह स्पष्ट कर दिया है कि हम नेताजी सुभाषचंद्र बोस का सम्मान और सराहना करते हैं। मुझे यह नहीं पता कि जिन टिप्पणियों का हवाला दिया गया है, वह श्री खोसला ने की हैं अथवा नहीं। असली प्रश्न यह है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई। साथ ही की गई टिप्पणियों का नेताजी की मृत्यु के बारे में दिए गए अन्तिम निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि "आनन्द बाजार पत्रिका" तथा "युगान्तर" में ऐसे लेख छपे हैं कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मर सकते थे और न ही मरे हैं। क्या ऐसे लेखकों को खुफिया विभाग द्वारा धमकी दी गई जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने इन पत्रिकाओं के लेख की अगली किस्तें नहीं छपवाई।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : सदन शाहनवाज खां समिति के निष्कर्षों तथा खोसला आयोग के प्रतिवेदन तथा निष्कर्षों से अवगत है। निष्कर्ष यह था कि नेताजी ताइहोकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में मारे गए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांति रखिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे विश्वास है कि सदन को प्रसन्नता होगी यदि श्री गुह हमें यह बताएं कि नेताजी कहाँ हैं और हम उनका स्वागत करेंगे।

श्री समर गुह : इसके लिए आप अपने दिल से तैयार रहें।

श्री हरि किशोर सिंह : केवल प्रो० समर गुह ही इस भावना से ग्रस्त नहीं अपितु इस देश में कुछ और लोग भी हैं जो इसी भावना से ग्रस्त हैं। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि 1964 में जब पंडित जी की मृत्यु हुई थी...

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री हरि किशोर सिंह : जब पंडित जी की मृत्यु हुई, मेरे जिले मुजफरपुर से एक व्यक्ति एक चित्र के साथ मेरे पास आए और मेरे से पूछने लगे "देखो पंडित जी की अर्थी के पास खड़े व्यक्ति को

क्या आप पहचानते हैं ?" मैंने कहा कि मैं नहीं पहचानता। वह कहने लगे वह नेताजी हैं। अतः मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि प्रो० समर गुहा से सारी जानकारी प्राप्त की जाये और पता लगाया जाय कि नेताजी कहां पर हैं क्योंकि वह भारत के एक महान सुपुत्र हैं और हम उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे भी गालियां देने लगेंगे ।

विद्युत् परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब

*419 **श्री इन्द्रजित गुप्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ इण्डिया इंजीनियर्स फोरम ने विद्युत् परियोजनाओं को ठप्प करने तथा विलम्ब किये जाने के लिये अधिकारियों को दोषी ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) बिजली की भारी कमी को देखते हुए क्या सरकार विद्युत परियोजनाओं की पांचवीं योजना में पहली प्राथमिकता दिये जाने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उर्जा मंत्रालय को इस मामले की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विद्युत को औद्योगिक और कृषि विकास के लिये आधारभूत अवसंरचना के एक घटक के रुप में स्वीकार किया गया है और तदनुसार, पांचवीं योजना में विद्युत परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई है कि सरकार के पास नार्थ इंडिया इंजीनियर्स फोरम के सम्मेलन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाऊं कि उनके सम्मेलन की रिपोर्ट, जो 26 सितम्बर को चंडीगढ़ में हुआ था, समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी। उसमें लिखा है, कि मैं समाचारपत्र से उद्धृत कर रहा हूं :

"सम्मेलन में बिजली परियोजनाओं में कमी करने और कार्य के विलम्ब के लिये अफसरशाही को दोषी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप सारे देश को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीशियनों के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिये आई० ए० एस० के लोग तकनीकी रूप से ठोस परियोजनाओं को भी रद्द कर देते हैं।"

इसी प्रकार की अन्य बातें भी हैं। मैं सारे विषय को नहीं पढ़ रहा । फिर भी, क्योंकि सरकार इससे अनभिज्ञ प्रतीत होती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि देश भर में बिजली इंजीनियरों द्वारा गत वर्ष इस के बारे में व्यक्त किये गय इन विचारों के बावजूद कि इन बिजली परियोजनाओं के चलाने में अफसरशाही की तुलना में अर्हताओं के अनुसार जो स्थान उन्हें मिलना चाहिये, वह नहीं दिया जा रहा, उनकी शिकायते दूर नहीं की गई है अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है और इसलिए इस प्रकार की भावना—आन्दोलन अथवा असंतोष व्यक्त करना—व्यक्त की जा रही है। मंत्री महोदय अवश्य ही यह जानते है कि पिछले सप्ताह ही बिजली इंजीनियरों ने पश्चिम बंगाल, बिहार तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि इस बैठक के बारे में, जिसका मैंने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है, सरकार कुछ नहीं जानती, तो वह सदन को यह बताने को तत्पर है कि बिजली परियोजनाएं तैयार करने और उनके परिचालन में बिजली इंजीनियरों को सामान्य सेवाओं के लोगों की तुलना में समुचित दर्जा, शक्तियां और प्राथमिकता देने के बारे में गत वर्ष से लेकर अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : माननीय सदस्य ने समाचार पत्र से समाचार के जिस उद्धरण का उल्लेख किया है वह बहुत ही व्यापक है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां कुछ योजनाएं भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों ने रोक दी हों। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां पर इंजीनियरों ने योजनाओं को उचित ढंग से कार्यान्वित न किया हो। इस बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां करना बहुत कठिन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इंजीनियरों की भी तथा सामान्य सेवाओं के व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। बहुत बार उनके काम एक दूसरे के सम्पूरक होते हैं। कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति में दोनों के गुण मिल जाते हैं। वह एक आदर्श है और उस मामले में उस इंजीनियर का प्रशासन में भी महत्वपूर्ण पदों पर रखा जा सकता है। अतः प्रश्न सामान्य न होकर व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में है।

जहां तक सरकार के तकनीकी व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यवहार की बात है, यदि वह केन्द्रीय सरकार के सचिवों की संख्या की ओर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि सचिव के पद पर गत कुछ वर्षों में तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्तियों में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया हमें आंकड़े बतायें।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : यह तो बहुत आसान है। इन्हें एकत्र किया जा सकता है।

जहां तक राज्यों का संबंध है मैं जानता हूं कि कुछ राज्यों में इंजीनियरों की सिंचाई बिजली और तकनीकी शिक्षा विभागों के सचिव पद पर भी नियुक्त किया गया है। उनमें से कुछ का कार्य बहुत अच्छा है और कुछ का अच्छा नहीं है। अतः इंजीनियर को नियुक्त करने का ही प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इंजीनियरों ने ब्यास-सतलुज परियोजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अच्छा कार्य किया है। उन्हें उचित स्थान अवश्य मिलना चाहिये।

जहां तक पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों का संबंध है, जब हमने उस मामले को अन्तिम रूप दिया था, तो हमने इस बात की ओर पूरा ध्यान दिया कि इंजीनियरों को भी उनका पूरा हक मिले। इस प्रकार सरकार इंजीनियरों की भावनाओं से अवगत है।

श्री पीलू मोदी : वह प्रश्नोत्तर काल में बाधाएं उपस्थित कर रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे देश के इंजीनियरों की भावनाओं से इसका संबंध है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार जो कुछ भी करे, वह सेवाओं में जातीय भावना को पनपने की अनुमति नहीं देती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि मेरे विचार से यह मंत्रालय उस समय इनके अधीन नहीं था——गत वर्ष बिजली इंजीनियरों की देश-व्यापी हड़ताल के समय प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा कुछ विशिष्ट आश्वासन दिये गये थे और उन आश्वासनों के आधार पर ही बिजली इंजीनियरों ने अपना आन्दोलन वापस लिया था? अब उनकी शिकायत यह है कि उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है और इस निरन्तर चले आ रहे मतभेद और संघर्ष का यही कारण है। हममें से कोई भी यह नहीं चाहता कि मतभेद और संघर्ष चलते रहें क्योंकि यह बहुत ही गलत बात है। **(व्यवधान)** बिजली की कमी चल रही है। क्या वह सदन को बताएंगे कि कौन-कौन से आश्वासन पूरे किये गये हैं, कौन-कौन से पूरे नहीं किये गये हैं अथवा पूरे किये जा रहे हैं और कितने वापस ले लिये गये हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये किन्हीं विशिष्ट आश्वासनों की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हड़ताल किस आधार पर समाप्त हुई थी?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उन बातों की मुझे जांच करनी होगी। परंतु मैंने सरकार का व्यापक दृष्टिकोण बताने का प्रयास किया है और कहा है कि सेवाओं में तकनीकी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने की नीति होनी चाहिये और उन्हें समुचित दर्जा मिलना चाहिये। जब आप किसी इंजीनियर को सिंचाई और विद्युत

जैसे मंत्रालय के सचिव पद पर भी नियुक्त करें तो भी विभिन्न प्रकार के इंजीनियरों, बिजली इंजीनियरों, सिविल इंजीनियरों और अन्य प्रकार के इंजीनियरों के बीच विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इस प्रकार का बंटवारा भी सारी पद्धति के लाभ उठाने की दृष्टि से उचित नहीं है। मेरा विचार है कि हमारा प्रयास सारी पद्धति का समुचित लाभ उठाना होना चाहिये। मैं सारे देश के बिजली इंजीनियरों से, चाहे वह पश्चिम बंगाल के हों अथवा किसी अन्य स्थान के हों, अपील करूंगा कि देश के बहुत से भागों में चल रही बिजली की कमी को देखते हुए यह किसी प्रकार के आन्दोलन का समय नहीं है। यह बिजली के उत्पादन को कम करेगा। इससे उत्पादन ढांचा प्रभावित होगा।

Shri Bibhuti Mishra : Bihar also comes in North India. Number of persons have written to the Prime Minister —shri Raj Deo has also written that Power Engineers have done great bunglings in Engineering Department. Even Transformer, have also been stolen. Bihar is getting the minimum per capita power comparison to in the whole country keeping all these things in view, whether the Government would pay special attention towards Bihar?

Shri K. C. Pant : The whole country is paying attention towards every aspect of Bihar

Shri Bibhuti Mishra : Shri Raj Deo has written a letter to the Prime Minister. She is present in the House. I want her to reply.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Smt. Indira Gandhi) : There is no doubt that sabotage of any kind is not good, specially when there is acute shortage of Power.

प्रश्न के लिखित उत्तर

ITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारापुर परमाणु बिजलीघर की पूरी मरम्मत

*416. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने केन्द्रीय सरकार से तारापुर परमाणु बिजलीघर की पूरी मरम्मत करने की मांग की है क्योंकि यह संयंत्र बार-बार खराब हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बुलन्दशहर में निर्यातोन्मुखी 'टैक्सट्यूराइज्ड वेजिटेबल प्रोटिन' संयंत्र की स्थापना

*420. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुलन्दशहर में तीन करोड़ रुपये की लागत के निर्यातोन्मुखी "टैक्स्ट्युराइज्ड वेजिटेबल" प्रोटीन संयंत्र की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) तथा (ख) बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में 15,000 मी० टन वार्षिक क्षमता का एक टैक्सट्युराइज्ड वैजिटेबल प्रोटीन कारखाना स्थापित करने के लिये एक आशय-पत्र जारी किया गया है। योजना में सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात करने का प्रस्ताव है जिससे 22.5 करोड़ रुपये वार्षिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और 10 लाख रुपये के मूल्य की पुंजागत वस्तुओं का आयात किया जायेगा। इसमें कुल 1.50 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश बताया गया है।

बिजली के टाईप राइटरों का निर्माण

*421. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा बिजली के टाईप राईटर बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रकार का टाईप राईटर कब तक बाजार में मिल सकेगा और उसका मूल्य क्या होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में जराज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) और (ख) विविधीकरण कार्यक्रम के अंग के रूप में मे० हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स ने विद्युत् टाईप-राईटरों का उत्पादन प्रारम्भ किया है। प्रतिवर्ष 4000 विद्युत् टाईपराईटर बनाने का उनका प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस परियोजना में विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त नहीं है और विद्युत् टाईपराईटर पूर्णरूपेण कंपनी के अनुसंधान और विकास प्रयत्नों से विकसित किया गया है। विद्युत् टाईपराईटरों का पहला बैच तैयार कर लिया गया है और इनका विश्वसनीयता परीक्षण किया जा रहा है ताकि आवश्यक होने पर सुधार किया जा सके। इसके पूरा होते ही मशीनें बाजार में आ जायेंगी । टाईपराईटर की लागत का निर्धारण नमूने की अंतिम रूप से तैयार हो जाने के बाद किया जायेगा।

गुजरात के विकास में असंतुलन

*422. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विकास में असंतुलन हटाने के बारे में कोई विशेष ध्यान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त किये गये हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क) और (ख) आर्थिक विकास में अंतःराज्य असंतुलन ठीक करना मुख्यतः सम्बद्ध राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के विकास में आने वाले असंतुलन को ठीक करने के लिये अनेक विशेष उपाय अपनाये जा रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्राप्त प्रतिफल निम्न प्रकार से है :

(1) **आदिम जाति क्षेत्र** : 52 आदिम जाति विकास खण्डों में कृषि निवेशों का वितरण कर, कुओं का निर्माण कर और बिजली की मोटरों आदि की उपलब्धि कर कृषि में सुधार किया गया। 6500 हैक्टर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। 4100 हैक्टर भूमि पर भूमि संरक्षण कार्य किया गया। सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 3.70 लाख हो गई है। सड़कों का निर्माण कर सुदूर आदिम जाति क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा गया। । इन क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार किया गया।

गुजरात सरकार ने आदिम जाति क्षेत्र उप-योजना तैयार कर योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है और इस समय इस की जांच की जा रही है।

(2) **सूखा प्रवृत्त क्षेत्र** : गुजरात में 41 सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई, सड़कें, भूमि संरक्षण, पीने का पानी आदि विभिन्न कार्यकलापों पर सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 11.54 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। इस राशि को खर्च कर लगभग 147 लाख मानवदिवसों का रोजगार सर्जित करने का अनुमान है। सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगा जिसके लिये 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

(3) **आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र** : क्षेत्रीय असंतुलन से प्रभावित आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तालुकों और चुने हुए तालुकों के लिये चौथी पंचवर्षी ययोजना के दौरान छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण, सड़कें आदि के लिये विशेष व्यवस्था की गई थी। यह निश्चय किया गया है कि आदिम जाति उप-योजना और सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत न आने वाले 31 तालुकों में ये स्कीमें जारी रखी जांय।

(4) **औद्योगिक दृष्टि से पिछडे क्षेत्र** : राज्य के 10 औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र हैं जिनकी वित्तीय संस्थानों से रियायती धन मिलता है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक निदेशालय के पास रजिस्टर्ड लघु उद्योग की संख्या 31 मार्च, 1969 को 2336 थी वह चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़कर 5699 हो गई। इन क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के लिये चौथी योजना के अन्त तक 18 करोड़ रुपये से अधिक ऋण राज्य वित्त निगम ने स्वीकार किया है। इन क्षेत्रों को भी विकसित खण्डों के नियतण और निर्मित शेडों से भी लाभान्वित किया जा रहा है। इनकी उपलब्धि मशीनों की सप्लाई के साथ उद्यमियों को की जा रही है। कच्चे माल की खरीद में इन्हें जो तरजीह दी जा रही है उससे भी इन क्षेत्रों को लाभ पहुंच रहा है। पंचमहल, भडौच और सुन्दर नगर के जिले भी केन्द्रीय नकद राज सहायता के हकदार हैं और 216 एककों को 57 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

Supply of Electricity to States for Implementation of 'Minimum Needs Programme'

***423. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Government propose to accord priority in matters of supply of electricity to States so as to enable them to implement minimum needs programme; and

(b) if so, the names of such States?

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant) : (a) & (b) The power to meet the needs of the rural electrification programmes, being implemented as a part of the Minimum Needs Programme, has to be found from within the power generation in the concerned States. In assessing the requirements of power for the States for the Fifth Plan and in sanctioning projects this aspect has been taken into consideration. The States where rural electrification would be done under the Minimum Needs Programme are :

1. Andhra Pradesh
2. Assam
3. Bihar
4. Himachal Pradesh
5. Jammu & Kashmir
6. Madhya Pradesh
7. Manipur
8. Meghalaya

9. Karnataka
10. Nagaland
11. Orissa
12. Rajasthan
13. Tripura
14. Uttar Pradesh
15. West Bengal.

कागज बनाने की मशीनों के आयात पर प्रतिबन्ध

*424. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कागज बनाने की मशीनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार अखबारी कागज की मशीनों को छोड़कर मशीनों के आयात की अनुमति नहीं दे रही है। इसका कारण यह है कि इस समय काफी देशी क्षमता पर्याप्त रूप से अप्रयुक्त पड़ी है।

विश्व के प्रमुख नगरों में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

*425. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विश्व के प्रमुख नगरों में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की योजना बना रही है ;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) इस प्रणाली से कितने देशों के साथ सम्पर्क हो जायेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) अर्द्ध-स्वचालित टेलिफोन सेवा अर्थात हमारे टेलिफोन आपरेटरों द्वारा अन्य दशों के प्रयोक्ता को सीधे डायल करनें की सूविधा, इस समय भारत और अमरीका तथा भारत और ब्रिटेन के बीच संचार सवा बम्बई के अन्तर-महाद्वीपीय टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध की जातीं है। भारत और अन्य देशों के बीच प्रयोक्ता ट्रंक डायल सेवा शुरू करने की कोई योजना नही बताई गई है। फिर भी, भारत सरकार भारत और अन्य देशों के बीच सीधी प्रयोक्ता ट्रंक डायल सेवा शुरू करने के लिए तकनीकी-आर्थिक और परियात संभावनाओं का सतत अध्ययन कर रहीं है।

आकाशवाणी, रांची में वाणिज्यिक डिवीजन बनाना

*426. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी, रांचीं में वाणिज्यिक डिवीजन बनाने का है क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) जी, हां । सरकार ने आकाशवाणी के रांची केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण सेवा आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तथा उपकरणों की स्थापना का कार्य मुकम्मल हो चुका है। रांची पटना का लिंक केन्द्र होगा।

बेरोजगार वैज्ञानिकों एवं शिल्पशास्त्रियों की गैर सरकारी क्षेत्र में भर्ती

*427. **श्री नुरुल हुडा :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 2 लाख छब्बीस हजार वैज्ञानिक एवं शिल्पशास्त्री बेरोजगार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से समुचित अर्हता प्राप्त शिल्पशास्त्रियों की भर्ती करने को बाध्य करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 30-12-73 को रोजगार कार्यालय में रोजगार की तलाश में 2,26,000 विज्ञान स्नातक, स्नानकोत्तर जिनमें से यह आवश्यक नहीं कि वे सब बेरोजगार थे, उन व्यक्तियों के नाम लाइव रजिस्टर में दर्ज थे।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्रों के कार्यालयों में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती करने को बाध्य होना आवश्यक नहीं है, फिर भी गैर-सरकारी रोजगार प्रदान करने वालों के द्वारा रिक्त स्थानों के लिये प्रेषित अधिसूचनाओं के प्रत्युत्तर में रोजगार कार्यालय उपयुक्त प्रत्याशियों के नामों को प्रेषित करते हैं।

रोजगार कार्यालय के अधिनियम 1959 के अधीन (रिक्त स्थानों के लिये आवश्यक अधिसूचना) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाले उन सभी संगठनों में (कृषि कार्य संबंधी संगठनों के अलावा) जिनमें पच्चीस या पच्चीस से अधिक व्यक्ति कार्य करते हों, रिक्त स्थानों के संबंध में सूचित करना आवश्यक है।

Supply of Power to Bihar for agriculture and Industry

*428. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Energy** be plased to state :

(a) whether agriculture and Industry are suffering due to shortage of power in Bihar and

(b) if so, the steps Government propose to take to supply adequate quantity of power to that State?

The Minister of Energy (Shri K.C. Pant) : (a) & (b) There is no power shortage in Bihar. The Capacity is adequate to meet the requirements of agriculture, industry and the other sectors.

'फ्यूल एफिशियेन्सी' समिति

*429. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'फ्यूल एफिशियन्सी' समिति को पुनः सक्रिय बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति का उद्देश्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो०सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) 1958 में एक स्थायी समिति के रुप में 'फ्यूएफिसियन्सी' समिति का गठन किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य कोयले के ग्रेडों की उद्योगवार अनुसूचि तैयार करना तथा कोयला खपत वाले उद्योगों को ईंधन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना था, ताकि ईंधन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके तथा उपयुक्त किस्म के उपकरणों के सम्बन्ध में सलाह दी जा सके। समिति की 1971 से कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है परन्तु कोयला बोर्ड की ईंधन मितव्ययिता यूनिट अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति करती रही है। ईंधन नीति समिति ने राष्ट्रीय आधार पर एक ईंधन दक्षता सेवा तथा ईंधन दक्षता प्रशिक्षण योजना शुरु करने की अनुशंसा की है। ईन्धन नीति समिति की अनुशंसा तथा कोयला बोर्ड को भंग करने के संबंध में किये जाने वाले निर्णय के संदर्भ में 'फ्यूल एफिशिएंसी' समिति की भमिका को पुन: निर्धारित करना होगा।

ऊर्जा आयोग

*430. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की ऊर्जा समस्या के सब पहलुओं पर शीघ्रता से तथा निर्णायक कार्यवाही करने के लिये सरकार ने इस बीच उच्च-स्तरीय ऊर्जा आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के उपभोक्ताओं पर भुगतान के लिए बकाया धनराशि

*431. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम के अधिक बिजली प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर कुल कितनी धनराशि बकाया है ; और

(ख) भुगतान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इससे उक्त उपक्रम की सुधार योजनाओं के सुचारु कार्य-कारण पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चंन्द्र पंत) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के अनुसार विभिन्न थोक उपभोक्ताओं की तरफ 477 लाख रुपये की राशि के दावे बकाया हैं। ये राशियां अधिकतर इन दावों के बारे में कुछ विवादों के कारण बकाया हैं।

जबकि कुछ बकाया राशियां अपरिहार्य हैं, परन्तु इस समय अपेक्षाकृत बड़ी बकाया राशियों ने संस्थान के साधनों पर प्रभाव डाला है, परन्तु इससे किसी भी तरह विद्युत के उत्पादन और वितरण में कोई रुकावट नहीं आई है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने संबंधी जाली मामले

*432. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** :

श्री सरजू पांडे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली तथा अन्य स्थानों में के कुछ जाली स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन रद्द कर दी है;

(ख) क्या उनके द्वारा सरकार से प्राप्त पूरी धनराशि को वापिस लेने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है और क्या इस मामलें में उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो उन जाली स्वतंत्रता सेनानियों की, राज्यवार, संख्या कितनी है जिनकी पेंशन बन्द की गई है ; और

(घ) क्या जाली स्वतन्त्रता सेनानियों और पेंशन देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था के बीच सांठगांठ होने की संभावना का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) 299 मामलो में पेंशन स्थगित कर दी गई है और दिल्ली से एक मामले समेत 2 मामले रद्द कर दिये गये हैं। इन दोनो मामलो में संबंधित व्यक्तियों से धनराशि वापस करने को कहा गया है ।

(ग) जिन मामलो में पेंशन स्थगित की गई है उनकी संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(घ) ऐसी कोई सांठ गांठ सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

विवरण

30 नवम्बर, 1974 तक जिन मामलों में पेंशन स्थगित कर दी गई है

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिन मामलो में पेंशन स्थगित की गई है उनकी संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	13
2	असम	3
3	बिहार	3
4	चन्डीगढ़	..
5	दिल्ली	48
6	गुजरात	4
7	हरियाणा	4
8	हिमाचल प्रदेश	1
9	जम्मु और काश्मीर	..
10	कर्नाटक	2
11	केरल	1
12	महाराष्ट्र	7
13	मध्य प्रदेश	3
14	उड़ीसा	89
15	पंजाब	12
16	राजस्थान	2
17	तमिल नाडु	58
18	उत्तर प्रदेश	44
19	पश्चिम बंगाल	5
		299

Action on Recommendations of Committee on Essential Commodities and Articles of mass Consumption

*433 **Shri Jagannatharao Joshi :**
Shri Jotirmoy Bosu :

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 54 on the 24th July, 1974 regarding Report of the Committee on Essential Commodities and Articles of Mass Consumption and state the action taken by Government on its recommendations ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : The recommendations of the Committee on Essential Commodities and Articles of mass consumption are still under the consideration of the Government.

महाप्रबन्धक (टेलिफोन) दिल्ली के विरुद्ध कथित शिकायतें

3985. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान महाप्रबन्धक (टेलीफोन) दिल्ली के विरुद्ध जनता को आम शिकायत है जैसा कि 9 अगस्त, 1974 के एक साप्ताहिक समाचार पत्र में समाचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डॉ० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रैक्टर के कारखानों की स्थापना

3986. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री ट्रैक्टर बनाने के लिए दिए गए लाइसेंसों के बारे में 13 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 4598 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनियों ने ट्रैक्टर के कितने कारखाने स्थापित किए हैं ; और

(ख) ऐसे कितने कारखाने हैं जो स्थापित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दिनांक 13-12-1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 4598 के उत्तर में उल्लिखित 12 कम्पनियों में से अब तक निम्नलिखित पांच कम्पनियों में उत्पादन कार्य हो रहा है :—

(1) मे० किर्लोस्कर ट्रैक्टर्स लि०, नासिक (महाराष्ट्र)

(2) मे० एस्कार्टस ट्रैक्टर्स लि०, फरीदाबाद (हरियाणा)

(3) मे० पंजाब ट्रैक्टर्स लि०, चण्डीगढ (पंजाब)

(4) मे० हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, पिंजौर (हरियाणा)

(5) मे० राजा बहादुर मोती लाल पूना लि०, पूना (महाराष्ट्र)

मे० स्टेयर इंडिया लि० नई दिल्ली नामक एक कम्पनी को दिया गया औद्योगिक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ।

(ख) स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार उपक्रम के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत माल और पुर्जों के प्राप्त करने के प्रबंधों को अन्तिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण, शेष छः एककों ने ट्रैक्टरों का उत्पादन आरंभ नहीं किया है। इसी प्रकार के अन्य मामलों में भी जहां निकट भविष्य में उत्पादन आरंभ होने की संभावना नहीं है, लाइसेंस रद्द करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

उड़ीसा के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

3989. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री अनादि चरणदास :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा के लिये किसी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं के कार्य में अच्छी प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य को तेजी से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने अभी तक उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को, कुल 20.49 करोड़ रुपये ऋण सहायता के लिए 50 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं।

(ख) निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों को, उनपर कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों तक की अवधि में पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध किया जाता है। उड़ीसा के लिए स्वीकृति इन स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति लक्ष्य से कम रही है। राज्य बिजली बोर्ड में संगठनात्मक अभाव और निर्माण सामग्रियों की सामान्य कम सप्लाई, इसके मुख्य कारण हैं।

(ग) निगम ने इस मामले को उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के साथ उठाया था, जो अपने ग्राम विद्युतीकरण को और अधिक सुदृढ करने के लिए सहमत हो गए है। निगम को यह भी आश्वासन दिया है कि अपेक्षित सामग्रियां समय पर प्राप्त कर ली जाएगी।

पांचवी योजना में राजस्थान में बिजली का उत्पादन

3990. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार की पांचवी पंचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन करने की अनुमानित मांग क्या है ; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये राजस्थान को कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : (क) राजस्थान सरकार ने अपने पांचवीं योजना प्रस्तावों के प्रारूप में योजना आयोग को समस्त विद्युत क्षेत्र के लिए कुल 180 करोड़ रुपये की राशि में से विद्युत उत्पादन के लिए 74.83 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है।

(ख) चालू वर्ष में 21.44 करोड़ रु० का स्वीकृत परिव्यय विद्युत क्षेत्र के लिए है, जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए 8.41 करोड़ रुपये का आबंटन शामिल है।

Decrease in population of certain tribes

3991. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there are some tribes whose population is decreasing;

(b) if so, the names of those tribes;

(c) whether the Health Ministry have gone into its causes and whether any special health survey has been conducted; and

(d) if so, the main findings thereof and if not, the reasons for showing indifference to wards it?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The tribe-wise populaton figures as per 1971 census are still under compilation.

(b) to (d) In view of (a) above, the question does not arise.

Classification of Industries

3992. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) the capital on the basis of which classification of cottage industry, small scale industry and large scale industry is done by Government;

(b) the number of cottage industries, small scale industries and large scale industries functioning in the country at present, separately; and

(c) the number of large scale industries out of them which are being run by Government?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (a) The following criteria is adopted in clasification of industries;

(i) *Cottage industries :* These are essentially family production units with little capital equipment, as for instance, khadi, coir, village oil expellers, hand pounding of rice and village potteries.

(ii) *Small scale units :* Undertakings having investments in fixed assets in plant and machinery not exceeding Rs. 7.5 lakhs.

(iii) *Ancillaries units :* Undertakings having investements in fixed assets in plant and machinery not exceeding Rs. 10 lakhs if such undertakings are engaged in the manufacture of parts, components and sub-assemblies, accessories, tooling or intermediates for supply to other units or for replacements.

(iv) *Medium and large scale industries :* Those requiring plant and equipment in excess of Rs. 7.5 lakhs (and Rs. 10 lakhs in respect of ancillary units) are defined as medium and large scale industries.

(b) According to advance information available from the Annual Survey of Industries 1970 (Census Sector) issued by the Central Statistical Organisation, there were 4,617 factories with capital exceeding Rs. 7.5 lakhs. The Census Sector of the ASI covers a total of 13280 factories employing 50 or more workers with the aid of power on 100 or more workers without the aid of power. The number of small scale industries functioning in the country as registered with the State Directors of Industries as on 31-12-73 is reported to be of the order of 4.8 lakhs. The registration of small scale units is done on voluntary basis.

(c) The Annual Survey of Industries, 1970 has also reported 1,470 factories in the public sector and 387 in the joint sector as against 11,422 factories entirely in the private sector. The break up of public sector/joint sector units under this Survey in terms of large scale/small scale units is not readily available. 113 public sector undertakings under the Central Government are borne on the registers of the Bureau of Public Enterprises.

Sorting of letters in Post Offices

3993. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the average number of letters sorted out in various post offices of the country every day?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : About 11.728 million letters are sorted by post offices on an average every day.

गोआ के लिये हवाई डाक सेवा

3994. श्री पुरषोत्तम काकोडकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गोआ को हवाई डाक सेवा से मिलाने का है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : इंडियन एयरलाइन्स देश में हवाई सेवाओं की योजना बनाती है। गोवा में डाबोलिम ही एकमात्र स्थान है जो अभी हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है। गोवा को और गोवा से हवाई डाक इंडियन एयरलाइन्स की मौजूदा सेवाओं के जरिए भेजी जाती है। जैसे ही गोवा प्रदेश के और अधिक स्थानों में हवाई सेवा उपलब्ध हो जाएगी वैसे ही दूसरे प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

Target for generation of power in M.P.

3995. Shri G. C. Dixit : Will the **Minister of Energy** bepleased to state :

(a) the targets set in the Fourth Plan for the generation and supply of power in Madhya Pradesh;

(b) the extent of progress achieved so far;

(c) whether targets have not been achieved in full, if so, the reasons therefor; and

(d) whether it is proposed to complete the remaining work during the Fifth Plan period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Sidheshwar Prasad) : (a) and (b) The targets set in the Fourth Plan was to install an addition generating capacity of 108.5 MW. This target has been achieved in full.

(c) and (d) Do not arise.

दिल्ली में कच्चे माल के वितरण का राष्ट्रीयकरण

3996. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयातित कच्चे माल के दिल्ली में वितरण का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) भारत में कच्ची सामग्री का अधिकतर आयात राज्य अभिकरणों यथा, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है मिनरल मेटिल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड आदि के माध्यम से प्रणालीबद्ध किया जाता है। कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का उत्पादन

3997. श्री वसंत साठे : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का उत्पादन करने और लघु तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों द्वारा सहकारी आधार पर अखबारी कागज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की योजनाएं तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जो कदम उठाए गए हैं उनकी रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में अखबारी कागज का उत्पादन बढाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि० का विस्तार कार्यक्रम लगभग पूरा होने वाला है । इससे मिल की अधिष्ठापित क्षमता 30,000 मी० टन प्रति वर्ष से बढकर 75,000 मी० टन प्रतिवर्ष हो जायेगी । 75,000 मी० टन प्रतिवर्ष से क्षमता बढाकर 1,50,000 मी० टन का और विस्तार करने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है ।

(2) सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली केरल न्यूजप्रिंट परियोजना में 80,000 मी० टन प्रतिवर्ष अधिष्ठापित क्षमता की परिकल्पना की गई है । सरकार ने इस परियोजना के लिए स्वीकृति दे दी है और इसको यथाशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(3) पश्चिम बंगाल राज्य औद्योगिक विकास निगम को पश्चिम बंगाल में अखबारी कागज का संयंत्र लगाने के लिए एक आशय पत्र जारी कर दिया गया है ।

(4) गैर-सरकारी क्षेत्र में दो लघु क्षमता के एककों सहित अनेक योजनाओं के लिये स्वीकृति दी गई है ।

ईरान को सीमेंट का निर्यात

3998. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईरान को दिए जाने वाले सीमेंट के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सीमेंट की बढी हुई यह मात्रा निर्यात के लिए किस प्रकार उपलब्ध की जायेगी और इससे देश की आन्तरिक आवश्यकताएं किस प्रकार प्रभावित होंगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) 300 लाख मी० टन साधारण ग्रे पोर्टलेंड सीमेंट के निर्यात के अतिरिक्त जिस लिए 17 अप्रैल, 1974 को एक संविदा किया गया था, 11 लाख मी० टन साधारण ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट का निर्यात करने के लिए 30 अगस्त, 1974 को एक और संविदा किया गया है जो जनवरी, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि में बी० एस० विशिष्टियों के अनुरूप नये इकहरे जूट के बोरियों में जिसका शुद्धभार 50 किलो ग्राम प्रति बोरी होगा सीमेंट दिया जायेगा ।

(ग) संविदा की गई मात्रा की पूर्ति भट्ठों के उपयोग करके क्षमता का और अधिक उपयोग करके सीमेंट उत्पादन से की जायगी और इससे देश की अतिरिक्त आवश्यकताओं पर कोई अधिक असर नहीं पड़ेगा ।

फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त-पोषित फिल्में

3999. श्री वकारिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम ने वर्ष 1973-74 के दौरान फिल्में बनाने के लिए कितना वित्तपोषण किया ;

(ख) क्या गुजराती फिल्मों को कोई सहायता दी गई ;

(ग) यदि हां, तो वह सहायता कितनी थी और किन-किन फिल्मों को दी गई ; और

(घ) फिल्म को अधिकतम कितनी राशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 16 ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 2,50,000.00 रुपये ।

टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया कानपुर में हड़ताल

4000. श्री वरके जार्ज : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि 30 अक्तूबर, 1974 के एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपा है टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इण्डिया, कानपुर के 2000 श्रमिकों ने हड़ताल आरंभ कर दी है ;

(ख) क्या इसका कारण अंतरिम सहायता का भुगतान न किया जाना है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही सहमत हो गयी थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार कर्मचारियों को अंतरिम सहायता का भुगतान करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दर से निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की अनुमति पहुंच ही दी जा चुकी है ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये बिजली की कमी को पूरा करने की योजना

4001. श्री मार्तंड सिंह : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की मध्य प्रदेश राज्य मे विषेशकर रीवा क्षत्र में, यदि कोई पण बिजली की कमी है तो उस पूरा करने और अपेक्षित ग्रामिण विदयुतिकरण पूरा करने के लिए क्या योजना तैयार की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : रेवा क्षेत्र सहित, मध्य प्रदेश में समस्त रूप से विद्युत् की कोई कमी नहीं है ।

Vacancy of an assistant editor in 'Bhagirath'

4002. Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether post of Assistant Editor in 'Bhagirath' a Hindi magazine was vacant and on 13th September, 1974 an interview was held for filling that post;

(b) if so, the number of candidates who applied for that post and those who attended the interview;

(c) the qualifications prescribed for that post and whether all the candidates called for interview fulfilled those qualifications; and

(d) whether that post has since been filled up and if not, whether it would be notified in all the Ministries?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) 10 candidtes applied for the post and 8 attended the interview.

(c) (i) Degree of a recognised University.

(ii) Proficiency in Hindi at Graduate level.

(iii) About 3 years experience of editing/hournalistic work, translation work from English to Hinid and vice-versa.

All the candidates called for interview possessed the prescribed qualifications.

(d) The candidate recommended by the Selection Committee declined the offer of appointment. The vacancy has been circulated to all Ministries/Departments for making fresh selection.

एक नागरिक क शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने के अधिकार के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

4002. श्री विश्वनाथ झुंझूनवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल में एक नागरिक के शान्तिपूर्ण 'आन्दोलन' करने के अधिकार को वैध ठहराया है ;

(ख) क्या एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन प्रयोजनों के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत की गई नजरबन्दी को गैरकानूनी माना है ;

(ग) क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सभी पहलुओं का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस अधिनियम के लागू करने के बाद आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ऐसे व्यक्तियों को रिहाई के लिये आदेश जारी किये हैं और यदि हां, तो इस प्रकार कितने व्यक्तियों को रिहा किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) अनुमानतः यह सन्दर्भ 1974 की रिट याचिका सं० 347 में 12 नवम्बर, 1974 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय की ओर है । इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक स्थानीय छात्र नेता के विरुद्ध मिसा के उपबन्धों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट पटना द्वारा दिए गये नजरबन्दी के आदेश को समाप्त कर दिया था । उल्लिखित नजरबन्दी के आदेश को समाप्त कर दिया था । उल्लिखित नजरबन्दी का आधार बिहार में कुछ किस्म के आन्दोलन में उसका भाग लेना था । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बताये गये आधार स्पष्ट रूप से हिंसात्मक गतिविधियां प्रकट नहीं करते हैं और ऐसी गतिविधियां जैसे शान्तिपूर्ण ढंग से शिकायतों पर विचार-विमर्श करने के लिए संघ बनाना तथा शान्ति पूर्ण विरोध करना नजरबन्दी का आधार नहीं बनाया जा सकता है । नजरबन्दी को गतिविधियां तथा लोक व्यवस्था में कथित बाधा के बीच के सम्बन्ध की कमी का सन्दर्भ देते हुए न्यायालय ने नजरबन्दी के आदेश को रद्द कर दिया ।

(ग) तथा (घ) सरकार ने निर्णय का अध्ययन किया है । उच्चतम न्यायालय ने नजरबन्दी के अधिकृत प्रयोजन के लिए नजरबन्दी के आधार का केवल यथातथ्य होने की आवश्यकता का संकेत किया है । यह एक कानूनी आवश्यकता है जिसकी ओर हरएक मामले में नजरबन्द करने वाले प्राधिकारी को

को ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है ।

नये प्रौद्योगतंत्रवादियों (टैक्नेक्रिट) की सहायता

4004. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अत्यधिक सार्वजनिक निदेश तथा पर्याप्त औद्योगिक ऋण द्वारा नए प्रौद्योगतंत्रवादियों को सहायता करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार नये उद्यमकर्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटान के लिए समय सीमा (लगभग 90 दिन) निर्धारित करने का है जैसा कि औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्रों के मामले में किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सरकार द्वारा लघु और मध्यम उद्यमियों के विकास के लिए स्थापित एक समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, नये और मध्यम उद्यमियों की उद्यम-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया सकेंद्रित (फोकल) संगठन बनाने की सिफारिश की थी । सरकार ने इस श्रेणी के उद्यमियों के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को मान लिया है । इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर, इन आवश्यक की विशेष रूप से देख-भाल करने के लिए आई० डी० बी० आई० के अन्तर्गत अलग से एक प्रभाग का गठन करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) सरकार का प्रयत्न सभी आवेदन पत्रों पर शीघ्र विचार करने का रहेगा ।

ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा महाराष्ट्र के सांगली जिले को दी जाने वाली वित्तीय सहायता

4005. **श्री. अण्णासाहेब गोटखिंडे :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा महाराष्ट्र के सांगली जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान कुल कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उक्त जिले में क्रियान्वित की जाने वाली योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने मार्च, 1973 में 61 लाख रुपये की लागत पर सांगली जिले में ग्राम विद्युतीकरण की एक स्कीम स्वीकृत की थी । इस स्कीम के पूर्ण होने पर, इसमें इस जिले में 67 गांवों का विद्युतीकरण और 1,300 कृषि पम्पसेटों का ऊर्जा परिकल्पित है ।

1974-75 तथा 1975-76 के वर्षों के दौरान सहायता, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित और ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत स्कीमों, यदि ये उसके द्वारा निर्धारित मानदण्डों और निर्देशनों के अनुसार पाई गई, पर निर्भर करेगी ।

Publicity given to agitation of Shri Jayaprakash Narayan by Air, Patna

4006. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether he has received complaints about publicity being given by Patna Station of All India Radio to the agitation of Shri Jayaprakash Narayan for dissolution of the State Vidhan Sabha; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) Only one complaint was received from the Honourable member himself.

(b) The complaint was looked into and it was found that the criticism that AIR Patna was giving undue publicity to the agitation was not borne out by facts.

केरल प्लान्टेशन्स (प्रिवेंशन आफ फ्रैगमेन्टेशन एण्ड एलियेनेशन) बिल, 1971

4007. **श्री सी० जनार्दन :**

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल प्लान्टेशन्स (प्रिवेंशन आफ फ्रैगमेंटेशन एण्ड एलियेनेशन) बिल, 1971 पर राज्य सरकार के विचार हेतु कुछ आपत्तियां उठाई थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त विधेयक पर केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति प्राप्त करने में और विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) चूंकि इस मामले पर राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच पत्राचार चल रहा है और अभी यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है, अतः इस स्थिति में ब्यौरे प्रस्तुत करना लोक हित में वांछनीय नहीं होगा ।

केन्द्रीय सूचना सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेडों के पद के लिए विज्ञापन

4008. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा में कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेडों के वेतनमान क्या है; और

(ख) क्या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेडों के पद के लिए हाल ही में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उक्त विज्ञापन में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेडों का क्या वेतनमान निर्दिष्ट किया गया है ; और

(घ) उक्त विज्ञापन में इन पदों के लिए निम्न वेतनमान निर्दिष्ट करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात, केन्द्रीय सूचना सेवा के एकीकृत जूनियर प्रशासनिक ग्रेड का संशोधित वेतनमान 7 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में 1500–1800 रुपये अधिसूचित किया जा चुका है ।

(ख) तथा (ग) जी, हां। संघ लोक सेवा आयोग के 14 सितम्बर, 1974 के विज्ञापन में 1100–50–1400 रुपये का पुराना वेतनमान संशोधित वेतनमान अधिसूचित होने से पहले प्रकाशित किया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Employees of Gaya Cotton and Jute Mills, Gaya

4009. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) the present number of employees of the Gaya Cotton and Jute Mills, Gaya and the monthly expenditure incurred on their pay and allowances;

(b) the number among them who have been re-appointed and of those who have retired; and

(c) the steps taken so far for the welfare of and providing amenities to the workers o f the Mills?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya): (a)During the month of October, 1974, the mill on an average employed 1,025 workers, 85 clerks and 14 officers and supervisory staff. The wage and salary bill of these employees amounted to Rs. 2,59,469.00.

(b) and (c) The required information is being collected and will be laid on the table of the House.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बृहत कार्यक्रम बनाया जाना

4010. श्री एम कतामुतु : क्या **उद्योग और नागरिक पुर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पांचवीं योजना के लिए बनाया गया बृहत कार्यक्रम धन की कमी के कारण स्थगित पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निगम के मुख्य कृत्य क्या हैं और रोकी गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पुर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को शिक्षित बेरोजगारों का समर्थन

4011. श्री वी० बी० नायक : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन का समर्थन करने की सरकार को जानकारी है ; और

(ख) क्या इस समर्थन के कारणों की जांच करने और यदि कोई त्रुटियां हों, तो उनका सुधार करने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार को मालूम है कि श्री जय प्रकाश नारायण के समर्थक दल तथा संगठन जनता की कठिनाइयों तथा आर्थिक परेशानियों और शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति का लाभ उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं ।

देश में गांवों का विद्युतीकरण

4012. श्री अर्जुन सेठी : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है (उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है) ;

(ख) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय स्तर तक आने देने के लिये सरकार ने क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में 5,66,878 गांव हैं। 312 10-1974 तक 1,61,092 (28.5 प्रतिशत) गांव विद्युतीकृत हो चुके थे। राज्यवार पृथक-पृथक आंकड़े उपाबंध-एक में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8726/74]**

(ख) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार तथा कार्यान्वित किया जाता है। बहरहाल, भारत सरकार द्वारा स्थापित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योगात्मक वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाती है। निगम द्वारा पहाड़ी, जन-जातिय और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए उदार शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त, पिछड़े राज्यों के संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अवधि के दौरान इस सुविधा से कम से कम 30 से 40 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या लाभान्वित हो सकेगी, ग्राम विद्युतीकरण को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के आवश्यक संघटक के रूप में हाथ में लिया जा रहा है। कार्यक्रम को तैयार करने और राज्यों को संसाधनों के आबंटन के मोटे तौर पर सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :—

(1) केवल वे राज्य, जो चौथी योजना के अन्त तक 40 प्रतिशत तक का लक्ष्य प्राप्त न कर सकेंगे सामान्यतः न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन के पात्र होंगे। बहरहाल, असाधारण मामलों में, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन पिछड़े और जन-जातीय क्षेत्रों के लिए जो इस संबंध में पीछे रह गए हैं, चाहे उनका औसत लक्ष्य 30 से 40 प्रतिशत तक के स्तर तक भी पहुंच गया हो, राज्यों द्वारा पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में सहायता देने के लिए कुछ प्रावधान किया जा रहा है।

(2) इस कार्यक्रम में वित्तीय प्रावधान केवल उस हद तक ही किए जाएंगे, जहां तक कि ऐसे राज्य 30-40 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकें।

(ग) 1974-75 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य-वार पृथक-पृथक आंकड़े उपाबंध दो में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—8726/74]**

राजस्थान में राणा प्रताप परमाणु बिजली घर से अन्य राज्यों को बिजली भेजना

4013. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को निदेश जारी किए हैं कि कृषि प्रयोजनों के लिए अधिक बिजली दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में उद्योगों पर उसका क्या प्रभाव होगा ;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इन राज्यों को यह भी आश्वासन दिया है कि राजस्थान के राणाप्रताप परमाणु बिजली घर से उन्हें बिजली दी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो अन्य राज्यों को बिजली भेजने के परिणामस्वरूप राजस्थान में बिजली की कटौती पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्यों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए समस्त विद्युत सप्लाई करने के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं, परन्तु कमी की स्थितियों में विद्युत के वितरण में प्राथमिकताओं का अनुपालन करने के लिए राज्यों को मई, 1974 में भेजे गए निर्देशों में कृषि उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।

(ख) सामान्यतः राज्यों ने कृषि-सेक्टर की विद्युत की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उस हद तक कम प्राथमिकता वाले उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) राणाप्रताप परमाणु विद्युत केन्द्र को दिल्ली-भाखड़ा प्रणाली के समानान्तर प्रचालित करने, और राजस्थान में जिस हद तक अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है, उसे उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा में सप्लाई में वृद्धि करने के लिए प्रेषित करने का प्रस्ताव है । राजस्थान में विद्युत की कमी नहीं है और उस राज्य में बिजली की कोई कटौती लागू नहीं है ।

इमारतों के निर्माण की जानकारी का निर्यात

4014. श्री बनमाली पटनायक : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इमारतों विशेष रूप से अस्थिर मिट्टी पर खम्बों की नींव के निर्माण की जानकारी का निर्यात करने के स्थिति में है जैसा कि केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की के निदेशक ने कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां अनुपयुक्त भूमि वाले क्षेत्रों में अण्डररीम्ड खम्बों एवं संहनन खम्बों पर नींव रखकर इमारतों के निर्माण की तकनीकी जानकारी को केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की निर्यात करने की स्थिति में है ।

(ख) कई देशों ने इस प्रविधि में अपना रुचि प्रदर्शित की है जैसे कि इथोपिया, कीनिया, तनजानिया जोरडन और श्रीलंका । इन देशों को तकनीकी टिप्पनियों के रूप में प्रारम्भिक जानकारी प्रेषित कर दी गई है । विशेष अनुरोध करने पर इमारतों को बनाने के लिए विस्तार पूर्वक तकनीकी जानकारी देने के लिये संस्थान समर्थ हो सकेगा ।

उच्च न्यायालयों में प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग

4015. श्री गजाधर मांझी :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में किन किन राज्यों में उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णय प्रादेशिक भाषाओं में दिये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अथवा पारित किसी निर्णय, डिगरी अथवा आदेश के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी अथवा उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग का प्राधिकार दे सकता है और जहां कोई पारित अथवा दिया गया निर्णय, डिगरी अथवा आदेश किसी ऐसी भाषा (अंग्रेजी भाषा से अन्य) में हो तो उसके साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद संलग्न किया जाएगा । अतः राज भाषा अधिनियम के उपरोक्त उपबन्धों के अधीन उच्च न्यायालय में हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के लिये राज्य सरकारों को स्वयं पहल करनी है ।

अब तक केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारों ने अपने उच्च न्यायालयों द्वारा हिन्दी भाषा में निर्णय देने के लिए राष्ट्रपति की सहमति मांगी है। राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है ताकि इलाहाबाद, पटना, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के उच्च न्यायालय हिन्दी में अपने निर्णय आदि दे सकें।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने संबंधी अधिनियम के लिए नए मार्ग निदेशक सिद्धान्त बनाना

4016. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के प्रयोग के लिये नये मार्ग निदेशक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम सम्बन्धी महत्वपूर्ण न्यायिक उद्घोषणाओं के सार समय समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मार्गदर्शन के लिए भेजे गये हैं। उच्चतम न्यायालय ने 21-8-1974 को दिये गये एक निर्णय में अधिनियम और उसके उपबन्धों की सांविधानिक वैधता की है। निवारक निरोध के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा बताये गये सिद्धान्त अनुलग्नक में दिये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8727/74]**

निर्णय की एक प्रतिलिपि 1-10-1974 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके मार्गदर्शन के लिए भेज दी गई थी।

Discontinuance of publication of Government Papers and Magazines

4017. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the names of the Government papers and magazines the publication of which has been discontinued in view of the shortage of newsprint ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : None of the journals etc. brought out by the Government of India is printed on newsprint. Hence, the question of their discontinuance due to shortage of news print does not arise.

बोहरा हाई प्रीस्ट द्वारा जमीन का सौदा

4018. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 नवम्बर, 1974 के एक समाचार साप्ताहिक में 'बोहरा हाई प्रीस्ट बेनेफिटस काम अन होली लैण्ड डील' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या जुहू-विले पार्ले योजना बम्बई के अन्तर्गत इरला नाले के निकट की लगभग 40,000 वर्ग गज भूमि जो निम्न आय वर्ग के मकानों के लिए उपयोग होनी थी, 59 बोहरा परिवारों को कौड़ियों के मोल पर दे दी गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सौदे के बारे में जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या व्यापक सार्वजनिक हितों को देखते हुए इस सौदे को रद्द करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सरकार ने 16 नवम्बर, 1974 के साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। वास्तविक सूचना महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त होनी है।

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलोर द्वारा निर्मित उपकरण

4019. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपक्रम, इंडियन टेलिफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (बंगलोर) का निर्मित माल बहुत अधिक जमा हो गया है, क्योंकि इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्मिति उपकरण खरीदने के लिए डाक तथा तार विभाग के बजट में पर्याप्त धनराशि का उपबन्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

रात्रि विमान डाक सेवा

4020. श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर होकर चलने वाली रात्रि-विमान डाक सेवा को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या कुछ स्थानों तक वायुयान सेवा द्वारा डाक ले जाने का कोई अन्य तरीका विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा जिससे डाक को देश के भीतर दूरस्थ स्थानों तक कम से कम समय में भेजा जा सके ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी, हां । रात्रि हवाई जहाज डाक सेवा बहाल करन के लिए इण्डियन एयर लाइन्स के प्राधिकारियों से बार बार निवेदन किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में पसोडीपाडा की भील बस्ती पर पुलिस द्वारा छापा मारना

4021. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सशस्त्र पुलिस के एक गिरोह ने महाराष्ट्र में पसोडीपाडा की एक भील बस्ती पर छापा मारा था और बाजरे की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया था और सशस्त्र पुलिस द्वारा उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटा गया था ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर लोकसभा के पटल पर रख दी जायगी ।

राज्यों से चालू वर्ष के दौरान और अधिक राशि आवंटित करने के लिए अनुरोध

1022. श्री रानेन सेनन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से योजना संसाधनों में प्रत्याशित कमी को देखते हुए चालू वर्ष के लिए और अधिक राशि आबन्टित करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य ने कितना-कितनी राशि की मांग की है ?

योजना मन्त्री (श्री डी० पी० धर) : (क) और (ख) योजना संसाधनों में प्रत्याशित कमी को देखते हुए चालू वर्ष की योजना के लिए और अधिक राशि आबन्टित करने के बारे में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

वैज्ञानिक पूल में वैज्ञानिकों के नाम सूचीबद्ध करने के लिए नियम बनाना

4023. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने विदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के नाम वैज्ञानिक पूल में सूचीबद्ध करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वैज्ञानिक पूल की स्थापना सन् 1958 में की थी । इस योजना को चलाने के लिए भारत सरकार ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुमति प्रदान की थी । इस योजना के अनुसार "वैज्ञानिक पूल" के लिए चयन संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श से स्पेशल रिक्रूटमेन्ट बोर्ड (विशेष रूप से भर्ती करने वाला मंडल) करता है । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक अनुभाग के राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग के अंतर्गत दर्ज हुए विदशो में प्रशिक्षित भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों के नामों का जिनको, भारत में कोई रोजगार नहीं मिला है "वैज्ञानिक पूल" के अन्तर्गत चयन के हेतु स्वतः ही विचार किया जाता है । संघीय लोक सेवा आयोग, जनशक्ति निदेशालय भारत सरकार अथवा सी० एस० आई० आर० द्वारा स्पेशल रिक्रूटमेन्ट बोर्ड का प्रत्याशियों के विवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है । जिन प्रत्याशियों का अपना रिकार्ड काफी अच्छा रहा है किन्तु जो कभी भी विदेश नहीं गए उनके नामों पर भी योग्यतानुसार चयन के लिए विचार किया जाता है ।

पश्चिम बंगाल में डाक मोटर गाड़ियां

4024. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में रेल-डाक सेवा डिवीजन में इस समय 72 डाक मोटर गाडियों में से केवल 22 डाक मोटर गाड़ियां चल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सर्किल में आर० एम० एस० मेल वैनों की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि सार्टिंग सेक्शनों के लिए कुल मिला कर 36 मेल वैनों की जरूरत है, जबकि 41 मेल वैन उपलब्ध हैं जिनमें सहारे के तौर पर (स्टैन्ड-बाई) इस्तेमाल किए जाने वाले वैन भी शामिल हैं ।

कागज उद्योग का विकास

4025. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में उन्हें यह निदेश दिया है कि कागज उद्योग के विकास को गति दी जाये और युक्तिसंगत वितरण प्रणाली बनाई जाए ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने इच्छा प्रकट की है कि कागज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड अपनी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करे ; और

(ग) यदि हां, तो प्रधान मंत्री के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री, समय समय पर, अधिक खपतवाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने और उनका उचित वितरण करने की आवश्यकता पर जोर देती रही है। इस सम्बन्ध में, प्रधान मंत्री ने कागज के उत्पादन को बढ़ाने और उसका युक्तिसंगत वितरण करने तथा सरकारी क्षेत्र की कागज परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही नागालैण्ड और केरल परियोजनाओं में शीघ्रता करने और विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित कागज में वितरण में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए है।

पूर्वी क्षेत्र में सी०आई०ए० की गतिविधियां

4026. श्री आर० एन० बर्मन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक साप्ताहिक के 21 सितम्बर, 1974 के अंक में सुन्दरबन क्षेत्र और आसाम में सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र में सी० आई० ए० के किसी संगठित जाल का पता लगाने में सफल हुई है और यदि हां, तो सरकार ने उसे समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सरकार ने ब्लिटज के 21-9-1974 के अंक में एक समाचार देखा है जिसमें डा० सीडेनस्टिकर, एक अमेरीकन राष्ट्रिक तथा श्रीमती अने राइट के सुन्दर बन में एक अवांछनीय शेर जिसने उस क्षेत्र में भगदड मचा रखी थी की खोज में वहां जाने के बारे में कुछ शंकायें व्यक्त की गई थी। इस सम्बन्ध में आरोप लगाये गए थें कि अमरीकी सेना की केमो बैकटिरियोलाजिकल वार फेयर विंग, पूर्वी भारत में वन परिस्थिति तथा सामरिक महत्व के वीहड़ क्षेत्रों के सर्वेक्षण करने में सी० आई० ए० की सहायता से कुछ समय से संलग्न हैं।

(ग) सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना अभिकरणों की गतिविधियों के सम्बन्ध में लगातार कड़ी सतर्कता रखी जा रही है। ऐसी गतिविधियों का सामना करने के लिए किए गए उपायों को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलचित्र विकास निगम के लिए वित्तीय सहायता की मांग

4027. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने प्रस्तावित चल चित्र विकास निगम के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कागज मिलों के लिए मशीनरी का आयात

4028. श्री के० मालन्ना : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कागज निर्माता नई मशीनों के आयात का आग्रह कर रहे हैं जब कि कुछ इस बात को नजरअन्दाज करते हुए कि "भारत उन की सारी मांग की पूर्ति करने में स्वयं समर्थ है", पुरानी मशीनों का विदेशों से आयात करना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति यह है कि न तो नयी और न पुरानी कागज मशीन की अनुमति दी जाय ।

अधिष्ठापित क्षमता से कम सीमेंट का उत्पादन करनेवाले सीमेंट निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही

4029. श्री राजदेव सिंह : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय सीमेन्ट का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से 40 लाख टन कम हो रहा है ;

(ख) क्या अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन करने वाले संयंत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) देश में सीमेन्ट उद्योग की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 198.9 लाख मैट्रिक टन है जो साधारणत: 85 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किए जाने के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 168 लाख मैट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन करने में समर्थ है । प्रशुल्क आयोग के मतानुसार इतना उत्पादन उचित होगा, वर्ष 1973 में वास्तविक उत्पादन लगभग 150 लाख मीट्रिक टन हुआ था । उत्पादन में गिरावट प्रमुख रूप से विद्युत में भारी कटौतियों कोयले तथा माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई, मशीनों की खराबी, मजदूरों की हड़तालों आदि जैसी विभिन्न बाधाओं के कारण हुई थी जिन पर उद्योग का कोई नियंत्रण नहीं था । उत्पादन अधिकतम करने तथा इन बाधाओं को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं ।

स्वतंत्रता सेनानियों तथा आजाद हिन्द फौज में हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन देना

4030. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश से कितने सेनानियों को आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को सरकार द्वारा अब तक पेन्शन दी गई है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश के कितने स्वतन्त्रता सैनानियों और आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व कर्मचारियों के जिलावार कितने मामले भारत सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ग) उक्त मामलों का निर्णय कब तक हो जायेगा ; और

(घ) जिन स्वतन्त्रता सेनानियों और आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सेनानियों के पेन्शन के प्रार्थना-पत्र सरकार द्वारा रद्द किए गए हैं, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में नामंजूरी के क्या कारण ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश से भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के 1065 मामलों समेत 1386 मामलों में पेन्शन स्वीकृत कर दी गई है। भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के 250 मामलों समेत 342 मामले लिखित साक्ष्य न होने के कारण फाइल कर दिए गए हैं। 177 मामले विचाराधीन हैं और राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट अथवा व्यक्तियों से साक्ष प्राप्त होते ही उन पर निर्णय किया जायगा। भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के 50 मामलों समेत 186 मामले इस आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए हैं कि या तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा काटी गई सजा छः महीने से कम थी अथवा उसकी वार्षिक आय, 5000 रू० से अधिक है अथवा वह अन्यथा अपात्र है।

इन सभी व्यक्तियों के नाम देना सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें काफी समय और श्रम लगेगा।

डाक वस्तुओंकी चोरी

4031. श्री सरोज मुखर्जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में गौर पंजीकृत डाक वस्तुओं की चोरी में वृद्धि की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में कुछ तुट पुट मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं।

(ख) इम मामलों में पुलिस और विभाग द्वारा पूरी जांच की जा रही है।

(ग) हाल ही में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता और वाल्टेअर (आन्ध्र) में प्रत्येक में एक एक जिन 4 मामलों का पता चला है, उनके सिलसिले में 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है।

कच्चे माल की कमी के कारण लाइसेंसों का कार्यान्वित न किया जाना

4032. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल का अपर्याप्त सप्लाई के कारण देश में 1973–74 में और 1974–75 में अब तक विभिन्न विस्तार परियोजनाओं और नये लाइसेन्सों को कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र के एककों की ओर से इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) से (ग) विस्तार योजनाओं और नये लाइसेन्सों के कार्यान्वयन में विलम्ब, उद्यमियों की पूरी तैयारी न होना, इस्पात, सीमेन्ट जैसे निर्माण सामग्री प्राप्त करने में कठिनाइयां, विदेशी संभरण कर्ताओं द्वारा आयातित मशीनों की सप्लाई मे किए जाने वाले विलम्ब बिजली की कमी तथा वित्तीय साधनों की उपलब्धता सम्बन्धी तंगी जैसे अनेक कारणों से होता है। लाइसेन्स शुदा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कच्चे माल की उपलब्धता में कमी के कारण 1973–74 और 1974–75 में किसी भी महत्वपूर्ण रूप में विलम्ब होने का कोई मामला नहीं है।

स्वतन्त्रता-सेनानियों को पेंशन देना

4033. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने पेन्शन की मांग की थी, उनको पेन्शन मंजूर करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कितने प्रतिशत आवेदन पत्र 31 अक्तूबर, 1974 तक स्वीकार किए गए हैं, कितने प्रतिशत नामंजूर किए गए हैं और कितने प्रतिशत विचाराधीन है ; और

(ग) विचाराधीन मामलों पर निर्णय कब तक होने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने के लिए 31-10-1974 तक 2,07,421 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 93,335 मामलों (45 प्रतिशत) में पेंशन मंजूर की गई थी, 49,542 मामले (22.45 प्रतिशत) नामंजूर कर दिए गए थे, 41,717 मामले (29.10) प्रतिशत राजनीतिक यातना आदि के सम्बन्ध में सबूत न मिलने के कारण फाइल कर दिए गए थे, और 25,837 मामले (12.45 प्रतिशत) विचाराधीन थे।

(ग) विचाराधीन मामलों का शीघ्र निपटान किया जाएगा।

प्रधान मंत्री द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध व्यंगपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने पर उनका विरोध

4034. श्री मधु दंडवते : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1974 को हुई बैठक में प्रधान मंत्री ने मूल्य वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाली महिला प्रदर्शनकारियों की निन्दा की थी और उन्हें जमाखोरों तथा कालाबाजारों के उत्तरदायी परिवारों की महिलाएं कहा था ; और

(ख) क्या उन्हों ने प्रधान मंत्री द्वारा उनके बारे में प्रयोजग किए गए शब्दों पर विरोध प्रकट करते हुए उन्हें पत्र लिखा है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) 1 नवम्बर, 1974 को दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते समय प्रधान मंत्री ने सामान्यतः यह कहा था कि कुछ स्थानों पर बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध शोर मचाते हुए पाये जाने वाले प्रदर्शनकारी स्वयं उन परिवारों के होते हैं जो कीमतें बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं। सभा में कुछ महिला प्रदर्शनकारी थी और बाद में उन टिप्पणियों पर प्रधान मंत्री को उनकी ओर से आपत्ति करने के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ था।

विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों के व्यक्ति

4035. श्री समर गुह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों के व्यक्तियों की पिछली जनगणना के आंकड़े रोक दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इन आंकड़ों को कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली उन 281 मातृ-भाषाओं के (सन् 1971) अन्तिम आंकड़े, जिनके बोलने वालों की संख्या 5,000 और उससे अधिक है, "भारत की जनगणना 1971-जनगणना शताब्दी प्रबन्ध स० 10" परिशिष्ट II में प्रकाशित

किए गए है । इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं (प्रत्येक मातृ-भाषा के अन्तर्गत बनाये गये वर्ग समत के बोलने वालों के प्रत्येक राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित अनन्तिम आंकड़ें जनसंख्या सांख्यिकीय जेबी पुस्तक में प्रकाशित किये गए हैं जो सन् 1972 में भारत की जनगणना शताब्दी के अवसर पर निकाली गई थी । अन्तिम आंकड़े प्रस्तुत करने तथा प्रकाशित करने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

अपर दामोदर घाटी क्षेत्र के ऊर्जा संसाधनों के बारे में केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया अध्ययन

4036. श्री एम० एस० पुरती : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान के अनेक वैज्ञानिकों ने अपर दामोदर घाटी क्षेत्र के ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन किया था और अतिरिक्त बिजली सुविधा की स्थापना करने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां । इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की एक गोष्टी में केन्द्रीय इन्धन अनुसंधान संस्थान द्वारा अपर दामोदर घाटी क्षेत्र के विकास के लिए एक विचारात्मक योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । इस योजना में अतिरिक्त बिजली पैदा करने की क्षमताएं भी शामिल है ।

(ख) इंजीनियर, प्लानर और अन्य लोगों को लाभान्वित करने के लिए उक्त प्रस्ताव एफ० आर० आई० न्यूस (अनुसंधान संस्थान के समाचार बुलेटिन) के दिसम्बर, 1973 अंक में प्रकाशित किया गया है ।

पंजाब वक्फ बोर्ड

4037. श्री झारखण्डे राय : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अप्रैल, 1974 को बोर्ड के चेयरमैन के बारे में पंजाब वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी ने पुलिस स्टेशन, तिलक मार्ग, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) 16-4-1974 को श्री जलाल उद्दीन खां, सेक्रेटरी, पंजाब वक्फ बोर्ड, 50 सरदार पटेल मार्ग, अम्बाला छावनी ने तिलक मार्ग पुलिस थाने में यह शिकायत की कि वह वक्फ बोर्ड के कार्यों के बारे में अपने वकील से परामर्श करने के लिए उच्चतम न्यायालय में गया था । वह अपनी कार नं० एच० आर० ई०–2186 तथा वक्फ बोर्ड के कुछ कागजात ड्राइवर श्री नाथूराम की देख रेख में छोड़ गया था । उच्चतम न्यायालय से वापिस आने पर उसे कार और ड्राइवर नहीं मिले । उसको सन्देह हुआ कि कार ड्राइवर के सहयोग से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तथा कुछ अन्य स्वार्थी लोगों द्वारा कागजात गायब करने की मनशा से वहां से कार ले जाई गई है । वह मामले पर आवश्यक कार्यवाही करना चाहता था । यह शिकायत दिल्ली में तिलक मार्ग थाने की डायरी में सं० 16-क, दिनांक 16-4-1974 के अधीन दर्ज की गई थी ।

दूसरी शिकायत तिलक मार्ग पुलिस थाने में दैनिक पंजी सं० 15-क दिनांक 16-4-1974 के अधीन श्री तैयब जी, संसद सदस्य, चैयरमैन पंजाब वक्फ बोर्ड ने यह बताते हुए लिखाई थी कि कथित कार सं० एच० आर० इ० 2186 उसको जामामस्जिद क्षेत्र में पार्क की हुई मिली थी। क्योंकि श्री जलाल उद्धीन खां, सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड 15-4-1974 से 20-4-74 तक छुट्टी पर था इसलिए वह वक्फ बोर्ड की कार का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। वह वक्फ बोर्ड के चैयरमैन होने के नाते कार को अपने मकान, 11 महादेव रोड नई दिल्ली, पर ले आया।

वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी श्री जलालउद्धिन द्वारा की गई शिकायत की जांच की गई थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार इससे कोई प्रज्ञेय मामला नहीं बनता।

ड्राइवर श्री नथुराम तथा राव महावीर सिंह, विधान सभा, सदस्य के ब्यान रिकार्ड किए गए थे। दोनों व्यक्तियों ने श्री तैयब हुसेन की बात का समर्थन किया कि कथित कार को उच्चतम न्यायालय के प्रांगण से नहीं, बल्कि जामा मस्जिद क्षेत्र से लाया गया था।

श्री तैयब हुसेन, वक्फ बोर्ड के चैयरमैन होने के कारण सेक्रेटरी उसके मातहत कार्यकर्ता है इसलिये दिल्ली पुलिस वक्फ बोर्ड की कार को चैयरमैन द्वारा सेक्रेटरी के पास से अपने पास लाने का अपराध नहीं समझती। इसलिए कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और श्री जलालउद्धीन खां की शिकायत फाइल कर दी गई थी।

दरभंगा जिला, बिहार के सिरुआ ग्राम में हरिजनों पर हमला

4038. श्री भोगेन्द्र झा :

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 के पहले पखवाड़ में बिहार के दरभंगा जिले के बहेरा में सिरुआग्राम और बहेरी ब्लाक के एक अन्य ग्राम के हरिजनों पर हमले, बड़े पैमाने पर लूटमार और आगजनी की खटनाएं हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Arrears of Telephone Dues

4039. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are large outstanding dues against the telephones working for Ministers, Government officers of the ranks of Under Secretaries and above in Delhi ;

(b) if so, the names and dues of persons in the above categories ; and

(c) the steps taken to recover the dues?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma) : (a) Yes, Sir. The outstandings for more than three months, against Government telephones amounted to Rs. 36.59 lakhs as on 1st June, 1974 and a large proportion thereof would be against these categories.

(b) It is pointed out that Ministers and officials using these telephones are not personally responsible for payment of dues as this is the responsibility of the Ministries/ Department concerned. Further there are often frequent changes in the allottees of particular telephones within a Ministry. However, a list of telephones working for Ministers and Government officers of the ranks of Under-Secretaries and above is being collected from various Ministries and will be placed on the Table of the House in due course.

(c) Special reminders have been issued to all Government Departments, apart from the usual telephone reminders, and the outstandings are being pursued vigorously.

डाकघर और सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्र स्थापित करने की कसौटी

4040. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए डाकघर और सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्र खोलने की मुख्य कसौटी लाभप्रदता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या अन्य कसौटी अपनाई जाती है ; और

(ग) क्या क्षेत्र का पिछड़ापन भी एक कसौटी है और यदि हां, तो पिछाड़पन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) **डाकघर :** लाभ मुख्य कसौटी नहीं है।

सार्वजनिक टेलीफोन घर : सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के मामले में लाभ एक कसौटी है, लेकिन यह मुख्य कसौटी नहीं है ।

(ख) डाकघर :

आय : देहाती इलाके : एक नये डाक घर से सामान्य इलाके में लागत की कम से कम 25 प्रतिशत पहाड़ी इलाके में लागत की 10 प्रतिशत और दूसरे अत्यन्त पिछड़े इलाकों में लागत की 15 प्रतिशत आय होनी चाहिए ।

शहरी इलाके : नये डाक घर से कम से कम उसकी लागत के बराबर आय होनी चाहिए।

दूरी : देहाती इलाकों में नये डाकघर मौजूदा डाकघर से 4.8 किलो मीटर की दूरी पर खोले जाते हैं। जिन गांवों में ग्राम पंचायतें, स्कूल और एन० ई० एस० ब्लाक हैं उनके लिए निकटतम डाकघर की दूरी घटाकर 3.2 किलोमीटर कर दी गई है।

वार्षिक घाटा : देहाती इलाको में, अगर डाक घर से सेवा पाने वाली आबादी 2000 से कम होती है तो 500 रुपये सालाना तक का घाटा सरकार बर्दाश्त करती है और अगर यह आबादी 2000 या इससे ज्यादा रहती है तो सरकार 750 रुपये सालाना तक का घाटा बर्दाश्त करती है।

अत्यन्त पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में आबादी चाहे जितनी भी हो, सर्किल अध्यक्षों के अधिकारों के अन्तर्गत 1000 रुपये तक का घाटा बर्दाश्त किया जाता है और खास मामलों में डाकतार महानिदेशक के अधिकारों के अन्तर्गत 2500 रुपये तक का घाटा बर्दाश्त किया जाता है ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर : दूसरी कसौटियां निम्नलिखित हैं :—

(i) प्रशासनिक महत्व, जैसे जिला/सब डिवीजन/तहसील, सब-तहसील/ब्लाक मुख्यालय ।

(ii) स्थान की आबादी ।

(iii) मौजूदा दूर संचार सुविधाओं से युक्त स्थानों से दूरवर्ती होना ।

(iv) पर्यटकों और यात्रिकों के केन्द्र ।

(v) कृषि, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के स्थल तथा टाउनशिप ।

इन सभी मामलों में लाभ पर जोर नहीं दिया जाता और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूरी घाटा उठाकर भी दी जाती है, बशर्ते कि वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना हो ।

(ग) **डाकघर** : डाक सुविधाओं के लिए किसी इलाके को अत्यंत पिछड़ा इलाका घोषित करते समय निम्नलिखित तत्वों की जांच की जाती है :

(i) राज्य के दूसरे इलाकों तथा पूरे राज्य की तुलना में उस इलाके में कितनी डाक सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(ii) संचार के साधन, भौगोलिक स्थिति आदि ।

(iii) उस इलाके में तथा उससे सटे हुए राज्य के दूसरे इलाकों में डाक का वितरण कितनी बार होता है ?

(iv) सामान्य स्थितियों में डाक सुविधाओं के विस्तार की सम्भावना ।

(v) संचार लाइनों की लम्बाई ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर : पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के मामले में अगर अनुमानित राजस्व की प्राप्ति वार्षिक आवर्ती व्यय की क्रमश: 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत हो तो उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों और तारघरों की मंजूरी दे दी जाती है । योजना आयोग और राज्य सरकारों ने जिन इलाकों को पिछड़ा इलाका करार दिया है, सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त डाक तार घर खोलने के मामले उन इलाकों को पिछड़ा इलाका माना जाता है ।

विदेशी पर्यटकों का शिलांग और मेघालय में प्रवेश

4041. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों के शिलांग और मेघालय में प्रवेश पर प्रतिबन्ध को हटा लिया है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसा स्वत: किया है अथवा मेघालय राज्य सरकार के निरन्तर अनुरोध पर किया है ;

(ग) क्या मेघालय राज्य सरकार विदेशी पर्यटकों को राज्य में इच्छानुसार आने की अनुमति देने के साथ साथ मेघालय आवास परमिट विधेयक के माध्यम से गैर जन जातीय भारतीय नागरिकों के मेघालय में ठहरने पर असंवैधानिक बाधाएं लगा रही है ; और

(घ) विधेयक के माध्यम से क्या क्या बाधाएं लगाई जा रही हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) मेघालय में के प्रवेश पर प्रतिबन्ध में ढ़ील देने के प्रश्न के सम्बन्ध में मेघालय सरकार से हाल ही में प्राप्त सुविचार किया गया था । बिना परमिटों के 15 दिन तक ठहरने के लिए शिलांग का दौरा करने हेतु विदेशी पर्यटकों को अनुमति देने का निश्चय किया गया है, यदि वे गुहाटी से आने और वापिस जाने की यात्रा वायुयान से करें ।

(ग) तथा (घ) विधेयक का प्रभाव तथा अन्य सम्बद्ध मामले विचाराधीन है।

कलकत्ता रेलवे डाक सेवा सर्किल में कर्मचारियों की संख्या

4042. श्री समर मुखर्जी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अकेले कलकत्ता रेलवे डाक सेवा सर्किल में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 900 है जबकि कर्मचारियों की मंजूर संख्या 1200 है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) कलकत्ता आर० एम० एस० डिवीजन में कर्मचारियों की मौजूदा संख्या (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी संयुक्त) 1132 है, जबकि उनकी स्वीकृत संख्या 1181 है। इस कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती/प्रशिक्षण हेतु पहले ही कदम उठाए गए हैं।

दिल्ली में फिल्मों के वितरण और सिनेमाघरों के प्रबंध को अधिकार में लेना

4043. श्री वयालार रवि : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में फिल्म उद्योग के प्रदर्शन क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके निर्वाह योग्य भी वेतन नहीं दिया जा रहा है हालांकि इस उद्योग के कर्मचारी भारी लाभ कमा रहे हैं ;

(ख) क्या दिल्ली में सिनेमाघरों के कर्मचारियों, जैसे बुकिंग-क्लर्कों तथा गेट कीपरों को उनको लम्बी सेवा के बाद भी क्रमशः 300 रुपये तथा 200 रुपये कम मासिक वेतन किया जा रहा है जिसके साथ मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं या अंशदायी भविष्य निधि आदि कुछ भी नहीं दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में फिल्म वितरण कार्य को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार दिल्ली में सिनेमा घरों के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने का है ताकि सिनेमाघरों के कर्मचारियों की दशा में सुधार हो सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सिनेमाघरों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मजूरी दरें औद्योगिक ट्रिब्यूनल के अवार्ड के अनुसार मोशन पिक्चर एग्जीबीटर्स एसोसियेशन तथा सिनेमा कर्मचारियों के बीच आपसी समझौते द्वारा विनियमित की जाती है।

(ख) दिल्ली के अधिकतर सिनेमाघरों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों को जो 1-11-74 से लागू हैं, दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है। इन परिलब्धियों में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता शामिल है। तथापि, इन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता या चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, किन्तु वे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) फिल्म वितरण के माध्यम का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

सं०	श्रेणी	आरंभिक मजूरी	उन कर्मचारियों की मजूरी जिन्होंने 10-13 वर्ष सेवा कर ली है
		रुपये	रुपये
1	स्वीपर/क्लीनर/मसालची . . .	234.00	288.00
2	चपरासी/चौकीदार/पत्रवाहक . . .	244.00	293.00
3	गेटकीपर	264.00	319.00
4	बूकिंग क्लार्क	274.00	329.00
5	सहायक आपरेटर/इलेक्ट्रीशियन . .	309.00	395.00
6	हैंड आपरेटर . . .	364.00	457.00

दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा चुनाव

4044. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा चुनाओं के बारे में सिक्ख ब्रदरहुड इन्टरनेशनल (दिल्ली) के अध्यक्ष की ओर से दिनांक 14/15 नवम्बर, 1974 को कोई ज्ञापनप्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन्। ज्ञापन की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—8728/74]**

(ग) संसद द्वारा सितम्बर, 1974 में पारित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1974 को 23 सितम्बर, 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके बाद गुरुमुखी पढ़ने और लिखने के बारे में किसी उम्मीदवार की योग्यता के किसी प्रश्न को तय करने का ढंग निर्धारित करते हुए 7-11-1974 को दिल्ली गज़ट (असाधारण) में अधिनियम की धारा 10 के अधीन आवश्यक नियम अधिसूचित किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (निर्वाचकों का पंजीकरण) नियम, 1973 में आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं और दिल्ली गज़ट (असाधारण) दिनांक 19-11-1974 में अधिसूचित किए गए हैं। चुनाव कराने का कार्यक्रम दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

Rural Electrification Projects in M.P.

4045. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the number of villages in Madhya Pradesh which have been electrified during the years 1973-74 ; and

(b) the funds allocated for rural electrification projects in Madhya Pradesh in the Fifth Plan as also the amount already spent out of those funds?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) 770 villages were electrified in Madhya Pradesh during 1973-74.

(b) The size and content of the Fifth Five Year Plan has not yet been determined. However, an outlay of Rs. 20 crores under the normal programme and Rs. 55 crores under the Minimum Needs Programme has been proposed for rural electrification in Madhya Pradesh during the Fifth Plan. Additional assistance will also be available from the rural Electrification Corporation Ltd. The details of the amount spent would be known only after close of the financial year.

हिमाचल प्रदेश में सिओल परियोजना के लिये भर्ती किये गये श्रमिकों को मजूरी

4046. श्री विक्रम महाजन : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सिओल परियोजना (हिमाचल प्रदेश) में हिमाचल प्रदेश के बाहर से नियुक्त किए गये श्रमिकों की स्थानोय श्रमिकों को तुलना में ऊंची दरों पर मजूरी दो जाती है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश से बाहर से आये उन श्रमिकों को संख्या कितनी है जिन्हें स्थानीय श्रमिकों की तुलना में ऊंची दर पर मजूरी दी गई है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए स्थानोय श्रमिकों तथा हिमाचल प्रदेश से बाहर के श्रमिकों को संख्या क्रमश: कितनी-कितनी रही ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैरा सियुल जल-विद्युत परियोजना पर लगाए गए स्थानीय श्रमिकों और हिमाचल प्रदेश से बाहर के श्रमिकों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	स्थानीय श्रमिक	बाहर से श्रमिक
1971–72	3,499	82
1972–73	4,592	350
1973–74	4,929	1,122

दादर तथा नागर हवेली में कोयले का अभाव

4047. श्री आर० आर० पटेल : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दादर और नागर हवेली में उद्योगों के लिए कोयले का भारी अभाव है जिसके कारण बहुत से लघु उद्योग बन्द हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में कोयले के संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गये है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) केन्द्र शासित क्षेत्र दादर और नागर हवेली से कोयले की कमी के बारे में कोई खास शिकायत सरकार को नहीं मिली है । देश में लघु उद्योगों के लिए हार्ड कोक की उपलब्धि में पर्याप्त सुधार हुआ है । लेकिन देश के कुछ भागों में लघु उद्योगों के लिए अकोककर कोयले की कमी अवश्य है जिसके अनेक कारण हैं, जैसे कम प्राथमिकता

प्राप्त उपभोक्ताओं यथा ईंट भट्ठों, छोटे उद्योगों व घरेलू उपयोग को कोयला पहुंचाने हेतु पर्याप्त वैगन न मिलना तथा पूर्ति की तुलना में मांग की दर में अधिक वृद्धि । कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा इसके संचलन एवं वितरण में गतिरोध को दूर करने के गहन प्रयास किये जा रहे हैं ।

Etah-Aliganj Direct Dialling

4048. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the introduction of direct dialling system between Etah District and Aliganj in Uttar Pradesh has been approved; and

(b) if so, the time by which work on the line will start and will be completed?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) & (b) No, Sir. The traffic does not justify the introduction of Subscriber Trunk Dialling from Aliganj to any place.

रेलवे हड़ताल पर आकाशवाणी से रेल कर्मचारियों के वक्तव्यों का प्रसारण

4049. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 मई, 1974 से 30 मई, 1974 तक विभिन्न रेल कर्मचारियों अथवा जन साधारण के कितने वक्तव्य रेलवे हड़ताल पर आकाशवाणी से प्रसारित किए गये ; और

(ख) इन वक्तव्यों में कुल कितने घंटे / मिनट लगे और इसके लिए आकाशवाणी को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) रेल हड़ताल के दौरान आकाशवाणी ने हड़ताल पर मुख्य अंग्रेजी और हिन्दी बुलेटिनों में 108 समाचार प्रसारित करने के अलावा हड़ताल की स्थिति से सम्बन्धित मामलों पर 767 भेंट वार्ताएं प्रसारित कीं । ये रेलवे कर्मचारियों के नेताओं, ट्रेड यूनियनों के प्रवक्ताओं, रेलवे कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों और आम लोगों के वक्तव्यों या उनसे की गई भेटकर्ताओं पर आधारित थी ।

(ख) इनमें से अधिकांश भेंट वार्ताएं रेलवे स्टेशनों, बाजारों, रेलवे कर्मचारियों की कालोनियों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रिकार्ड की गई थीं । फलस्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति को भेंट वार्ता की अवधि या उन अनगिनत सन्दर्भों जिनका समाचार बुलेटिनों में उल्लेख किया गया, का कोई हिसाब नहीं रखा गया । इसलिए इन भेंट वार्ताओं के कुल घण्टों/मिन्टों को बताना सम्भव नहीं है । आमतौर से आकाशवाणी सामयिक कार्यक्रमों में प्रयुक्त की जाने वाली अल्प अवधि की आन-दि-स्पाट रिकार्डिंगों के लिए कोई भुगतान नहीं करती ।

वर्ष 1975 में विशेष डाक टिकटों का जारी किया जाना

4050. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्र की तथा विश्व की विशेष तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करते हुए वर्ष 1975 में जारी किए जाने वाले विशेष डाक-टिकटों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस प्रकार सम्मानित किये जाने वाले व्यक्तियों के नाम चयन करने का आधार क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) जी हां, वर्ष 1975 के दौरान विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने के अस्थायी कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । दखिए संख्या एल०टी०—8729/74]**

(ग) डाक-तार विभाग स्मारक/विशेष डाक टिकट फिलाटली सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर निकालता है। इस समिति में संसद सदस्य, फिलाटलिस्ट, कलाकार और दूसरे प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। यह समिति अपने सिफारिशें देते समय विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखती है। इन सामान्य सिद्धान्तों का उल्लेख अनुबन्ध 'क' में किया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-8729/74]

Atrocities on Scheduled Castes/Tribes by Caste Hindus

4051. Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shrimati Parvathi Krishnan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the atrocities being perpetrated on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes by Caste Hindus have increased during 1972, 1973 and 1974 and if so, their number Statewise;

(b) whether Government propose to amend the relevant laws so as to provide for compensation to the Harijans for loss of life and property; and

(c) if so, the outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Up-to-date information is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) & (c) The State Governments take appropriate action to provide relief and rehabilitation assistance in deserving cases.

अमरीका में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक तकनीकी का भारत को हस्तांतरण

4052. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के उन वैज्ञानिकों अथवा तकनिकियों ने जो अमरीका में रोजगार पर लगे हैं, आधुनिक तकनीकी का भारत को हस्तान्तरण करने में सहायता देने का वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की एक बैठक यू० एस० ए० में हुई थी। बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय किय गय थ कि, वैज्ञानिक और तकनीकी स्वरूप की समस्याओं को जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ रहा है का समाधान करने में यू० एस० ए० में स्थित भारतीय वैज्ञानिक सहयोग कर सके और भारतीय वैज्ञानिकों का विषयज्ञता का उपयोग केरने के लिए एक तरीका अपनाया जा सके।

जलऊर्जा तथा सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

4054. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन सी जल-ऊर्जा तथा सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ;

(ख) उनकी क्षमता कितनी-कितनी है ; और

(ग) उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	यूनिट की संख्या और क्षमता	चालू होने की संभावित तिथि
1	2	3	4
1	नागार्जुन सागर (आन्ध्र प्रदेश)	2×50=100 मै०वा०	पहली यूनिट 1978-79 दूसरी यूनिट 1978-79
2	गंडक (बिहार और उत्तर प्रदेश)	1×15=15 मै०वा०	1978-79
3	कोसी (बिहार)	4×5=20 मै०वा०	पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट पहले ही चालू हैं चौथी यूनिट मार्च, 1975
4	उकई (गुजरात)	4×75=300 मै०वा०	यूनिट एक–पहले चालू हो चुकी है यूनिट दो–परीक्षणात्मक आधार पर प्रचालित । यूनिट तीन–मई, 1975 यूनिट चार–दिसम्बर, 1975
5	जयाकवाडी चरण एक (महाराष्ट्र)	1×12=12 मै०वा०	1978–79
6	रेंगोलो (उड़िसा)	2×50=100 मै०वा०	छटी योजना के दौरान लाभ ।
7	ब्यास यूनिट–एक (हरियाणा/पंजाब राजस्थान)	4×165=660 मै०वा० यांत्रिक प्रचालना	पहली यूनिट–सितम्बर 1976 दूसरी यूनिट–अक्तूबर, 1976 (तीसरी यूनिट–नवम्बर, 1977) (चौथो यूनिट–जून, 1977) यूनिट सं० तीन और चार का वाणिज्यिक प्रचालन 400 किलोवाट ट्रान्सफार्मर की सुपुर्दगी तारीख पर निर्भर करता है ।

1	2	3	4
8	व्य.स यूनिट-दो (राजस्थान, पंजाब, हरियाणा)	4×60=240 मै०वा०	पहली यूनिट -- 1976-77 दूसरी यूनिट — 1976-77 तीसरी यूनिट - 1977-78 चौथी यूनिट - 1977-78
9	परम्बिकुलम अलियार (तमिलनाडु)	1×60+2×35+1×25=155 मै०वा०	छठी योजना के दौरान लाभ
10	रामगंगा (उत्तर प्रदेश) . .	3×60=180	पहली यूनिट 3/1975 दूसरी यूनिट 2/1976 तीसरी यूनिट 7/1976
11	टिहरी (उत्तर प्रदेश)	4×150=600 मै०वा०	छठी योजना के दौरान लाभ
12	पेंच (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र)	2×80=160 मै० वा०	1978-79

नागालैंड के गावों में कर्फ्यु

4055. श्री के० लकप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर और नवम्बर, 1974 में नागालैण्ड के 20 गावों में कर्फ्यु लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या नागाओं की गतिविधियां इस राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति को गम्भीरता से अस्तव्यस्त कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बार में राज्य की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) से (ग) नागालैण्ड राज्य प्राधिकारियों ने उन भूमिगत नागाओं के विरुद्ध सुरक्षा कार्यों ने सहायता करने के लिए अक्तुबर और नवम्बर, 1974 में नागालैण्ड के 139 गावों में कर्फ्यु लगाया था, जो सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने, अपहरण करने, जबरदस्ती भर्ती और गांवों से धन व खाद्यसामग्री एकत्रित करने जसी हिंसात्मक घटनाओं में लगे हुए हैं। केन्द्रीय सरकार ने कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में नागालैण्ड सरकार की सहायता करने के लिए उनको केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की पांच बटालियनें और असम रायफल्स की 2 बटालियनें उपलब्ध कराई हैं ।

News regarding seizure of silver in Ratlam town of Madhya Pradesh

4057. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether news to the effect that silver worth Rs. 5 lakhs had been seized in Ratlam town of Madhya Pradesh appeared in the press and was broadcast over All India Radio in the last week of Octobler ;

(b) whether this news was totally false and misleading;

(c) whether this news had been repudiated later by AIR and the Press; and

(d) if so, the action taken against the guilty officials?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) to (c) All India Radio reported in its morning bulletins of October 25, 1974, the news of the seizure of silver at Ratlam Station of Madhya Pradesh on the basis of a report released on October 24 by the United News of India, which had ascribed the report to the Superintendent of Police. The denial of this report of the seizure of contraband silver was subsequently broadcast in the AIR bulletins on October 27, on receipt of a report to this effect from the same News Agency. No release about the news or its denial was issued by the Press Information Bureau. However, the M.P. Chronicle dated October 28, 1974 an English daily from Bhopal carried a UNI news story on the subject. As far as Government knows, the report was not repudiated by the Press.

(d) This did not arise as the news and its subsequent denial were broadcast on the basis of Information supplied by the said news agency, which is not under Government control.

दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आबंटन

4058. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री गत तीन वर्षों में दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज के आबन्टन के बारे में 8 मई, 1974 के अतारान्कित प्रश्न संख्या 9434 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सामग्री अभी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

तारापुर परमाणु संयंत्र से रेडियो-धर्मिता का रिसकर बाहर निकलना

4059. श्री वीरेन एगेली :
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान परमाणु विद्युत संयंत्रों से रेडियो-धर्मिता के रिसकर बाहर निकलने के कारण अमरीका के वातावरण दूषित हो जाने के समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या तारापुर परमाणु संयंत्र से भी रेडियों-धर्मिता रिसकर बाहर निकल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) प्रत्येक परमाणु बिजलीघर से रेडियोसक्रियता की कुछ न कुछ मात्रा निकलती है । विकिरण सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समिति ने गैस तथा द्रव दोनों ही प्रकार के रेडियोसक्रिय पदार्थों की निर्मुक्त जा सकने वाली मात्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित की है । तारापुर में इस सीमा से सम्बन्धित नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है । वस्तुतः, कुछ मामलों में तो निर्मुक्त रेडियोसक्रियता की मात्रा इस सीमा से भी कही कम रखी जाती है । यही कारण है कि तारापुर से निकलने वाली रेडियो-सक्रियता की मात्रा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही रहती रही है । इस मात्रा को नियन्त्रित रखने के एक अन्य उपाय के रूप में, तारापुर में अपशिष्ट पदार्थों का शोधन करने की व्यवस्था को और परिवर्धित किया जा रहा है ताकि निर्मुक्त होने वाले रेडियोसक्रिय द्रव की मात्रा को और अधिक कम किया जा सके ।

अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के अन्तर्गत कार्यालय

4060. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने (एक) अपने कार्यालय के विस्तार (दो) पुनः क्षेत्रीय कार्यालय खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं ;

(ख) क्या उनका ध्यान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसदीय (लोक सभा) के छटे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त से अपने मुख्य कार्यालय के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों, तथा राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

जोरहट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में रद्दी कागज को अच्छी किस्म के कागज में बदलने के लिये प्रयोग

4061 **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट में रद्दी कागज को अच्छी किस्म के कागज में बदलने के लिए कोई प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रयोग के क्या परिणाम निकले और इस प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) समाचार पत्र के कागज बनाने के लिए, पल्प का उत्पादन करने और रद्दी कागज पर से स्याही मिटाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर० आर० एल०) जोरहाट ने प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर एक प्रविधि का विकास किया है। प्रविधि के भारतीय पटैन्ट क्रमांक हैं-- 111928, 109882 और 106219 हैं। यह प्रविधि वाणिज्यीकरण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को प्रेषित कर दी गई है ।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा इसकी एक सम्भाव्य-रिपोर्ट भी तयार की गई है । कई पार्टियों ने इस विधि में अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पंजाब के लिये मंजूर की गयी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

4062. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1973-74 के दौरान पंजाब के लिए कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं पर कार्य की प्रगति अच्छी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो कार्य को तेजी से कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने 1973-74 के दौरान पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को 3.01 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए 6 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की है ।

(ख) और (ग) निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं उनपर कार्य प्रारम्भ होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि में पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध की जाती है। राज्य बिजली बोर्ड को वैधानिक और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लगा। 4 स्कीमों के लिए ऋण की प्रथम किश्तें 1973–74 की अन्तिम तिमाही में और शेष दो स्कीमों के लिए अक्तूबर, 1974 में प्राप्त की गई थीं। इन स्कीमों की प्रगति प्रत्याशा के अनुसार नहीं हुई है। यह आंशिक रूप से निर्माण सामग्री को प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण हुआ है। अब राज्य बिजली बोर्ड ने आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध करने के लिए कदम उठाए हैं। उसने स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए संगठन को भी ठीक कर लिया है।

Firing by Military during Strikes and Bandhs

4063. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of times the Military resorted to firing during the strikes and bandhs in the country during 1974; and

(b) the number of persons killed?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The information in respect of the Union Territories and States, except Bihar, Gujarat, Meghalaya and Uttar Pradesh is nil. The information in regard to Bihar, Gujarat, Meghalaya and Uttar Pradesh is being awaited and will be laid on the Table of the House, when received.

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा बंगाल के समाचार पत्रों को प्रेस विज्ञप्ति का परिचालन

4064. श्री शंकर नारायण सिंह देव :

श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

श्री शक्ति कूमार सरकार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा बंगाली के छोटे दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिकों तथा पाक्षिक पत्रों को प्रैस विज्ञप्ति का परिचालन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिनको प्रेस सूचना ब्यूरों की प्रेस विज्ञप्तियों मिल रही है ; और

(ग) उन बंगाली दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिकों तथा पाक्षिक पत्रों के नाम क्या हैं जिनका इस समय प्रकाशन हो रहा है तथा उसका परिचालन कितना है और पत्र की अवधि क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बंगला के उन छोटें पत्रों को एक सूची संलग्न है जिनकी पत्र सूचना कार्यालय की सामग्री मिल रही है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी–8730/74]**

(ग) यह सूचना भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक रिपोर्ट, जो सदन की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी है, में उपलब्ध है।

राजस्थान तथा कलपक्कम परमाणु केन्द्रों से विद्युत् का वितरण

4065. डा० के० एल० राव : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान तथा कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्रों से विद्युत के प्रस्तावित वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) जब केन्द्रीय सरकार नेवेली की भांति विद्युत उत्पादन के लिए धन देने लगेगी क्या तब पड़ौसी राज्यों को विद्युत का वितरण करने हेतु कोई सूत्र (फार्मूला) तैयार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) राजस्थान और कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्रों से कोई स्थिर आबन्टन नहीं किया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय परियोजनाओं से किसी भी राज्य को विद्युत का स्थिर आबन्टन नहीं किया जाएगा, परन्तु एक क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में विद्युत की स्थिति के सन्दर्भ में केन्द्र समय समय पर विद्युत के वितरण के सम्बन्ध में निर्णय लेगा।

मेट्रो सिनेमा, कलकत्ता को अपने हाथ में लेना

4066. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'आंसुका' के अधीन श्री शिव शंकर लाल को गिरफ्तार किये जाने के कारण मेट्रो सिनेमा, कलकत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए शीघ्र कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने और क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) बम्बई तथा कलकत्ता में मेट्रो सिनेमाओं को लेने के लिए मामले की जांच करने के लिए एक वार्ता समिति गठित की गई है। समिति यथाशीघ्र प्रस्तावों को अन्तिम रूप देगी।

मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर्ज द्वारा अपने उत्पादों को मिला कर बेचना

4067. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हों ने 24 अक्तूबर, 1974 को एक अंग्रेजी दैनिक उपचार पत्र को दी गई एक विशेष भेंट वार्ता में कहा है कि उन फर्मों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का विचार है जो अपने उत्पादों को मिला कर बेच रही हैं ;

(ख) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने हाल में व्यापारियों को उक्त मार्जरीन तथा सपरेटा पाउडर एक साथ मिलाकर बेचने सम्बन्धी योजना शुरु कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने बताया है कि कम्पनी को मिलाकर बेचने की नीति नहीं है तथा उनके पुनः वितरण करने वाले स्टाकिस्टों के साथ हुए करार में इस प्रकार मिलाकर बेचने की व्यवस्था का कोई प्रबन्ध नहीं है व मार्जरीन तथा सपरेटा दुग्ध पाउडर मिलाकर बेचने की उनके यहां कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पुनर्वितरण करने वाले स्टाकिस्टों के साथ किये गये करार एक मानक फार्म में हैं तथा उसकी जांच तथा उस पर अनापत्ति और पंजीयन एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियां आयोग के पंजीयक द्वारा कर लिया गया है।

त्रिपुरा में कागज मिल

4068. **श्री वीरेन दत्त :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कुमार घाट के निकट फटिकराज में प्रस्तावित कागज मिल का निर्माण आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) जी, नहीं ।

(ख) यह राज्य सरकार की एक परियोजना है, जिस के लिए वित्त कच्चे माल और अवस्थापना सम्बधी सुविधाओ को व्यवस्था का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है । मिल का निर्माण आवश्यक प्रारंभिक कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् ही शुरू किया जा सकेगा ।

छपाई कागज उद्योग का अधिग्रहण

4069. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या छपाई तथा प्रकाशन उद्योग में वर्तमान संकट को दूर करने के लिए सरकार छपाई कागज उद्योग का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पुर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फूलपूर (उत्तर प्रदेश) में उर्वरक संयंत्र का चालू होना

4070. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फुलपुर में उर्वरक कारखाने की चालू करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जॉर्ज) : इस परियोजना के बारे में प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है । फुलपुर में भूमि लेने का कार्य चल रहा है और इंजीनियरी परामर्शदायी ठेके के लिए टेंडर मांगे गए हैं । संयंत्र वर्ष 1978 की अन्तिम तिमाही में चालू किया जाना है ।

Appointment of Labourers in M.P. Collieries

4071. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of labourers called from the employment exchange for appointment in the 12 collieries of Sohagpur group (Head Office Dhanpuri) in Shahdol District, Madhya Pradesh;

(b) the number of labourers selected out of them, the number of those who were issued appointment letters, the number of those actually appointed and the number of those who have not been taken on work;

(c) the reasons for all these irregularities committed in this regard; and

(d) the number of those who have not been taken on work for the second time and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) Employment Exchanges sponsored 4051 candidates.

(b) All the 1521 persons, who were selected for appointment, have joined duty.

(c) and (d) No irregularity was committed, since all persons selected for appointments were those sponsored by the Employment Exchange. Further, a representative of the State Govt. was included in the Selection Committee.

जैट इंजनों की गति में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला द्वारा एक नई प्रक्रिया

4072. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोग शाला, बंगलोर ने एक ऐसी नई प्रक्रिया का विकास किया है, जिससे जैट इंजनो की गति में वृद्धि हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इसमें इंजनों के वैग में कितनी वृद्धि की जा सकती है ; और

(ग) भारतीय वायु सेना के विमानों के लिए इस प्रकार का विकास कितनी सीमा तक महत्व-पूर्ण है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला (एन० ए० एल०) बंगलोर ने एक प्रदर्शन में यह बताया कि जेट विमान के "आफटर बर्नर रीजन" में प्रज्ज्वलन के लिए उत्प्रेरक और थायरोजिन का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला में विकसित की गई यह नई तकनीक पुरानी तकनीकों के मुकाबले में कई कारणों से अधिक लाभदायक है। प्रयोग शाला में किए गए परिक्षणों के परिणामस्वरूप यह प्रक्रिया काफी सफल सिद्ध हुई है। इसके परिणामों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कई अतिरिक्त परीक्षण और करने होंगे ताकि विमानों के इंजोनों में इसका निश्चित रूप से प्रयोग किया जा सके।

(ग) इस प्रक्रिया का विकास भारतीय वायु सेना के आफटर बर्नर सहीत इंजीनों का प्रयोग करने वाले विमानों के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

Arrest of Adulterators like Smugglers

4073. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken to arrest adulterators under the provisions of same act as is being done in case of smugglers; and

(b) if so, the facts thereof and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) & (b) The Maintenance of Internal Security Act, 1971, provides for detention to prevent activities prejudicial to the maintenance of supplies and services essential to the community. Under this provision some persons have been detained for reasons connected with adulteration.

Steps to ensure enforcement of laws

4074. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Central Government has been drawn to the fact that the Central laws are not being enforced properly in the various states; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) No instance of any Central law not being enforced properly in any State has been brought to the notice of Ministry of Home Affairs.

(b) Does not arise.

सीमेंट के उपयोग पर प्रतिबंध

4075. श्रीमती रोजा विद्यावर देशपांडे : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए किन्हीं प्रकार के निर्माण कार्यों के लिये सीमन्ट के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया था ;

(ख) यदि हां; तो इस प्रतिबन्ध का क्या प्रभाव था; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने के आरोप में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, और यदि हां, तो इस बारे में राज्यवार ब्योरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी विभागों से कम खरीद और कुछ प्रकार के निर्माण के प्रतिबन्धित होने से उपभोक्ताओं की ओर से मांग न होने के कारण सीमेन्ट कारखानों के पास कार्य योग्य क्रयादेशों की तादाद में कमी आई है। उक्त आधार पर और चालू तिमाही के लिए सीमेन्ट देने के आदेशों की प्रगति को देखते हुए विचार है कि सीमेन्ट की खपत पर प्रतिबन्ध आदेश का प्रभाव पड़ा है। किन्तु आदेश 22 अगस्त, 1974 से लागू किया गया था जबकि पहली तिमाहियों के लिए रिलीज आदेश दिये जा चुके थे अतः अभी प्रतिबन्ध के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। अभी तक इन आदेशों का उल्लंघन करने के सम्बन्धी किसी मामले की जानकारी नहीं है।

उड़ीसा में डाकघरों में बचत बैंक की सुविधाएं

4076. श्री पी० गंगादेव :

श्री अनादि चरण दास :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने डाकघरों में इस समय बचत बैंक खाते की सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ख) आस पास के राज्यों की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 5844।

(ख) उड़ीसा राज्यों के जिन डाकघरों में बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

बिहार राज्य . . .	9480
पश्चिम बंगाल राज्य . . .	6499
मध्य प्रदेश राज्य . . .	6250
आन्ध्र राज्य	13943

उड़ीसा में विद्युत् परियोजनाएं

4077. श्री पी० गंगादेव: क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़िसा में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विद्युत् परियोजनाओं के नाम क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा राज्य सरकार ने कितनी धनराशि मांगी थी ; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1974–75 में इस राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विद्युत परियोजना का प्रचालन नहीं किया जा रहा है ।

(ख) चौथी योजना में राज्यों के मध्य धन का आबन्टन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत सूत्र के आधार पर किया गया था। 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान उड़ीसा राज्य को दी गई कुल केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से थी :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1971–72	32.00
1972–73	33.55
1973–74	32.70

(ग) 1974–75 के लिए अनन्तिम रुप से 32.70 करोड़ रुपये आबन्टित किए गए हैं।

उड़ीसा में उद्योगों के लिए बिजली की कमी

4078. श्री पी० गंगादेव : क्या **उद्योग और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उद्योगों और मिलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस समय बिजली की कमी है, और

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1974 तक इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ, और

(ग) क्या बिजली की कमी के कारण नये उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) बिजली की कटौती के कारण 20-10-74 से केवल अल्युमुनियम उद्योग में उत्पादन में हानि बताई गई है परन्तु बिजली की कटौती से हुई हानि का बारीकी से पता लगाना कठिन है । फर्म ने नवम्बर, 1974 के अंत तक 122 लाख रुपये के आस-पास उत्पादन में हुई हानि बताई है । अन्य जिन उद्योगों के उत्पादन में हानि बताई गई है उनमें ट्रांसमिशन टावर, इस्पात के पाइप और ट्यूबें तथा सीमेंट उद्योग आते है । परन्तु इस उद्योगों में उत्पादन में हानि होने का एकमात्र कारण केवल बिजली की कमी नहीं हो सकता क्योंकि इस्पात की कमी वैगनों की सप्लाई में कमी, कोयले का आभाव आदि जैसे अन्य कारणों से भी उत्पादन में कमी हुई है । इन उद्योगों में केवल बिजली की कटौती से उत्पादन में कितनी हानि हुई इसका पता लगाना संभव नहीं है ।

हीराकुंड, भवकुंड और बालीमेला पन-बिजली स्टेशनों के कार्यवाहक क्षेत्रों में वर्षा न होने से उड़ीसा में बिजली की कमी को दामोदर घाटी प्रणाली से राहत देकर कुछ हद तक कम कर दिया गया है । इस महिने के दौरान तालपर थर्मल पावर स्टेशन में अधिक बिजली पैदा की जाने की आशा है और "टाई लाइन फ्लो" का बेहतर प्रबन्ध करके डी० बी० सी० को आशा है कि वह शाप के अधिक भार वाले समय में उड़ीसा को और अधिक राहत देने की स्थिति में हो जायेगा ।

चुंकि उड़ीसा में बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जाने की सम्भावना है, अतः राज्य में लाभए जाने वाले उद्योगों को रोका नहीं जाना चाहिए ।

पांचवी योजना के दौरान उड़ीसा में विद्युत उत्पादन

4079. श्री पी० गंगादेव : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान अनुमानत: कितनी विद्युत-प्रजनन की मांग की है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग ने कितना नियतन किया है ; और

(ग) उड़ीसा राज्य के लिए पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए कितना नियतन किया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री डी० पी० धर): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने अपने योजना प्रस्ताओं के प्रारूप में विद्युत क्षेत्र के लिए 234.02 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था, जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए 84.37 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल था। लेकिन अभी तक घनाबन्टन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष में विद्युत क्षेत्र के लिए 22.25 करोड़ रुपये आवंटिक किये गये है, जिसमें 10.35 करोड़ रूपये विद्युत उत्पादन के लिए है।

राजस्थान में हवाई डाक सेवा

4080. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान के प्रमुख तथा महत्वपूर्ण नगरों को हवाई डाक सेवा से जोड़ने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) राजस्थान में जयपुर और उदयपुर ही ऐसे स्थान हैं जहां डाक हवाई जहाज के जरिये पहुंचाई जाती है। जोधपुर के लिए हवाई उड़ानें सप्ताह में केवल तीन दिन ही होती हैं। अत: इस हवाई सेवा का उपयोग डाक पहुंचाने के लिए नही किया जाता है। जब राजस्थान के अन्य शहरों में हवाई सेवा उपलब्ध हो जाएंगी तो दूसरे प्रस्ताओ पर विचार किया जा सकता है।

राजस्थान में डाकघरों में बचत बैंक सुविधाएं

4081. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय ऐसे कितने डाक घर कार्य कर रहे हैं जिनमें बचत बैंक खाते खोलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ख) पड़ोसी राज्यों की तुलना में ये आंकड़े कितने न्यूनाधिक है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 7554

(ख) पड़ोसी राज्यों के जिन डाक घरों में बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध है, उनकी संख्या नीचे दी गई है :--

गुजरात राज्य	7211
उत्तर प्रदेश राज्य . . .	14422
हरयाणा राज्य	2139
पंजाब राज्य	3369
मध्यप्रदेश राज्य . .	6250

राजस्थान के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

4082. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने किसी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं के कार्य में अच्छी प्रगति नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्य की गति में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने अभी तक राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की कुल 26.67 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए 56 स्कीमें स्वीकृत की हैं ।

(ख) निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों को, उन पर कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति से 5 वर्षों तक की अवधि में पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध किया जाता है । राजस्थान के लिए स्वीकृत इन स्कीमों में कार्यान्वयन की प्रगति लक्ष्यों से कम रही है । राज्य बिजली बोर्ड में संगठनात्मक अभाव और निर्माण सामग्रियों की सामान्य कम सप्लाई, इसके मुख्य कारण हैं ।

(ग) राज्य में ग्राम विद्युतीकरण, के कार्यक्रम को तेज करने पर विचार करने के लिए जयपुर में हाल ही में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था । राज्य और जिला स्तरों पर समन्वय के लिए समुचित, क्रियाविधि खोज निकाली गई है ।

कागज के व्यापार में एजेंसी प्रणाली को समाप्त किया जाना

4083. श्री राम सहाय पांडे :
श्री बेवेन्द्र सिंह गरचा :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री भान सिंह भौंरा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कागज के व्यापार में एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) कागज व्यापार में कदाचार को रोकने और विपणन व्यवस्था को और अधिक उपभोक्ता के उपयुक्त बनाने की दृष्टि से सरकार का विचार कागज उद्योग की विद्यमान वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का है । मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होते ही निर्णय किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश से उद्योगों का अन्य राज्यों को अन्तरण

4084. श्री राम सहाय पांडे : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चिरस्थायी बिजली संकट के कारण उद्यमी भयभीत है तथा उनमें से बहुत से उद्यमी अन्य राज्यों में अपने उद्योग ले जाना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तरण को हतोत्साहित करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जबकि उत्तर प्रदेश में विद्युत की गंभीर कमी है, परन्तु उत्तर प्रदेश से उद्योगो के दूसरे राज्यों में स्थानान्तरित होने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) उत्तर प्रदेश की पांचवीं योजना में, चौथी योजना के अन्त में विद्यमान 1767 मैगावाट की क्षमता में 2507 मैगावाट की अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि परिकल्पित है । परियोजनाओं की प्रगति में यथासम्भव हद तक तीव्रता लाने के प्रयत्न किए जा रहे है । इसके अतिरिक्त, वर्तमान केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश को नवम्बर में बदरपुर तथा बिहार/दामोदर घाटी निगम से 2.5 से 3 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक की सहायता दी गई है ।

गुजरात विधान सभा के भंग करने संबंधी आन्दोलन के दौरान गिरफतार किये गये व्यक्तियों की रिहाई

4085. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने विगत आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अभी तक रिहा नहीं किया है ;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति अभी तक जेलो में बन्द हैं जिन्हों ने गुजरात विधान सभा को भंग करने सम्बन्धी आन्दोलन में भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उनसे उन सब को तुरन्त रिहा कर देने को कहा है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

टेलिफोन एक्सचेंजों का स्वचलन

4086. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एक्सचेन्जों के सर्किलवार (उत्तर-पूर्व और पंजाब सर्किलों के मामले में राज्यवार) नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में (चालू वित्तीय वर्ष सहित) स्वचालित बनाये जाने की मंजूरी दे दी गई है ।

(ख) उन में से ऐसे एक्सचेंजों के नाम क्या है जिन्हें स्वचालित बना दिया गया है; और

(ग) अन्य एक्सचेंजों को किस किस तिथि तक स्वचालित बनाये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) देश की सबसे बड़ी मनअल एक्सचेंज प्रणालियों को स्वचालित बनाने से सम्बन्धित जो परियोजनायें पिछले तीन वर्षों के दौरान (चालू वित्त

वर्ष सहित) मंजूर की गई है, उनकी राज्य वार सूची नीचे दी गई है। प्रत्येक परियोजना के सामने इन एक्सचेंजों के चालू होने का तारीख या सम्भावित समय भी दिया गया है।

सर्किल	स्थान	मंजूर की गई लाइनों की सं०	चालू होने की तारीख या सम्भावित वर्ष
		लाइने (मेन)	
आन्ध्र . .	विजयनगरम् . .	1000	1976-77
	वारंगल . .	900	1978-79
केरल . . .	आलवाएं . .	900	-वही-
मध्यप्रदेश . .	रायपुर . .	2700	मार्च, 1975
महाराष्ट्र . .	कल्याण . .	3000	1977-78
	औरंगाबाद . .	2200	-वही-
	जलगांव . .	1500	मार्च, 1975
पंजाब . .	भटिंडा . .	1200	जून, 1975
	पटियाला . .	3000	मार्च, 1976
राजस्थान . .	कोटा . .	2700	मार्च, 1976
तमिलनाडु . .	ईरोड . .	3600	7-12-1974
	पालघाट . .	1500	मार्च, 1975
उत्तर प्रदेश . .	अलीगढ़ . ,	2100	मार्च, 1976
	बरेली . .	3000	,,
	मोरादाबाद . .	2400	,,
	मुजफरनगर .	1800	,,
	गोरखपुर . .	2100	1977-78

जहां तक छोटी मैनुअल प्रणालियों को स्वचालित बनाने का सम्बन्ध है, यह सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और अगर आवश्यक हुआ तो इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है।

एस० टी० डी० परियोजनाओं की मंजूरी

4087. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एस० टी० डी० परियोजनाओं के सर्किलवार (पंजाब तथा उत्तर पूर्व के सर्किलों के मामलो में राज्य वार) नाम क्या हैं जिन्हें चालू वित्तिय वर्ष में मंजूरी दी गई हैं ;

(ख) उनमें से ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें चालू किया जा चुका है; और

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष में चालू किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) राज्यवार एक सूची सभापटल पर रख दी गई है (अनुबन्ध) ।

(ख) लुधियाना से जालन्धर के लिए इक्तरफा उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा चालू कर दी गई है ।

(ग) मद्रास-बेलोर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के, जो कि वर्ष 1974-75 में मंजूर की गई थी, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान काम शुरू करने की सम्भावना है ।

वर्ष 1974-75 के दौरान मंजूर की गई उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग परियोजनाओं (सर्किलवार) की सूची

आंध्र प्रदेश

गुंटुर विजयवाड़ा

विजयवाड़ा टी० ए० एक्स० विशाखापटनम

विजयवाड़ा टी० ए० एक्स-काकीनाडा

बिहार सर्किल

पटना टी० ए० एक्स-दरभंगा

गुजरात सर्किल

राजकोट-जीरागी

राजकोट-वैरावल

राजकोट-जामनगर

अहमदाबाद-जामनगर

जम्मू तथा कश्मीर सर्किल

कोई नहीं

कर्नाटक सर्किल

बंगलोर-टुमकुर

मध्य प्रदेश सर्किल

भोपाल-दिल्ली

महाराष्ट्र सर्किल

कल्याण-बम्बई

भिवंडी-बम्बई

कोल्हापुर-सांगली

उत्तर पूर्वी सर्किल

कोई नहीं

उड़ीसा सर्किल

कोई नहीं

पंजाब सर्किल

(पंजाब)

लुधियाना–चंडीगढ़ (इकतरफा)

लुधियाना–जालंधर (इकतरफा)

हरयाणा

हिसार–दिल्ली

रोहतक–दिल्ली

हिमाचल प्रदेश

कोई नहीं ।

राजस्थान सर्किल

अजमेर–जयपुर

तामिलनाडु सर्किल

मदुरे–विरुद्धनगर

मद्रास–वेल्लोर

कोयम्बटूर–टी० ए० एक्स-पालघाट

कोयम्बटूर–टी० ए० एक्स–कोजीकोड

कोयम्बटूर–टी० ए० एक्स–सलेम

उत्तर पदेश सर्किल

कोई नहीं

पश्चिमी बंगाल सर्किल

कोई नहीं

पांचवी योजना में गोआ में बिजली का उत्पादन

4088. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना-वधि में बिजली का उत्पादन करने के लिए गोआ सरकार की अनुमानित मांग क्या है ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : गोआ सरकार ने अपनी पांचवीं योजना प्रस्ताओं के प्रारूप में बिजली क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कुल 35.17 करोड़ रुपये की राशि में से 25 करोड़ रु० बिजली उत्पादन के लिए प्रस्तावित किये थे ।

गोआ में विद्युत परियोजनाएं

4089. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय गोआ में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : केन्द्रीय सरकार द्वारा गोआ में किसी विद्युत परियोजना का प्रचालन नहीं किया जा रहा है।

Assistance sought by M.P. For Implementation of Rural Electrification Scheme

4090. Shri G.C. Dixit : Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh State Electricity Board has requested the Rural Electrification Corporation to give more financial assistance during 1974 for vigorous implementation of rural electrification scheme in the State; and

(b) if so, the decision taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) & (b) The programme of rural electrification is formulated by the State Governments and is executed through their State Electricity Boards. Additive loan assistance is provided by the Rural Electrification Corporation Ltd., a public sector undertaking in the Central Sector, to State Electricity Boards for implementation of their rural electrification schemes.

The Madhya Pradesh State Electricity Board has requested the Corporation for loan assistance for 23 schemes since April, 1974. Out of these and 33 earlier pending schemes, the Corporation has sanctioned 8 schemes. During the year 46 schemes were returned for revision in accordance with the prescribed norms and guidelines and 2 schemes remain pending with the Corporation for consideration.

The 8 sanctioned schemes involved loan assistance of Rs. 2.70 crores envisaging electrification of 487 villages and energisation of 5,788 pumpsets.

ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम पर वित्तीय सीमाओं का प्रभाव

4091. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री बोकारिया :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय सीमाओं का ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम पर कोई प्रभाव पडा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप औद्योगिक एककों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्र की सारी अर्थव्यवस्था के अवरोधों के कारण ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के प्रस्तावित परिव्यय को 1974–75 में 546 . 85 लाख रुपये से घटाकर 421. 85 लाख रुपये का दिया गया। परिव्यय में हुई इस कटौती के कारण पांचवीं योजना के पहले वर्ष के कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित लक्ष्यों पर प्रतिकुल असर पड़ने की सम्भावना है। 1974–75 वर्ष में इस कार्यक्रम पर किस सीमा तक प्रतिकूल असर पड़ेगा इसका ठीक ठीक पता क्षेत्रों से प्रगति प्रतिवेदनों इकट्ठे और संकलित हो जाने के बाद ही लगने की आशा है।

इण्डियन कन्सोर्टियम फार पावर प्रोजेक्टेस (प्राईवेट) लिमिटेड को हुई हानि

4092. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन कन्सोर्टियम फार पावर प्रोजेक्टस (प्राइवेट) लि० को उसके आरम्भ से अब तक कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) इस हानि को कम करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 31-3-73 तक 9,70,396 रूपये ।

(ख) इण्डियन कन्सोर्टियम फार पावर प्रोजेक्टस ने वर्ष 1973–74 में 4,80,466 रुपये का लाभ कमाया जिससे संचित हानि 4,89,930 रुपये तक कम हो गई ।

पनपने की प्रारम्भिक अवधि में हानि हुई थी । कम्पनी को और अधिक आर्डर मिल चुके हैं और 1973–74 में और अधिक लाभ कमाए जाने की सम्भावना है, जिससे संचित हानि समाप्त हो सकतीहै।

दिल्ली में बिजली का खराब हो जाना

4093. श्री वसन्त साठे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल बिछाने के कार्य में त्रुटिपूर्ण आयोजन, विद्युत प्रजनन एकक की रखरखाव सम्बन्धी समस्याओं को केवल तदर्थ रूप से हल करने की प्रवृत्ति, और ओवरलोडिंग ही राजधानी में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बिजली के बार बार खराब हो जाने के मुख्य कारण हैं ;

(ख) क्या लगभग 10 हजार अनधिकृत कनेक्शनों के कारण ही दिल्ली में ट्रान्सफार्मरों तथा ट्रान्समीशन लाइन पर ओवरलोडिंग होता है और बड़ी संख्या में लोग गैरऔद्योगिक क्षेत्रों में घरेलू बिजली के उपयोग द्वारा छोटे छोटे औद्योगिक एकक चला रहे है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया है कि खासकर प्राचीन नगर क्षेत्र और विषम स्थिती वाले क्षेत्रों में लगभग 10 से 12 हजार घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं जिनके पास लोड के अनधिकृत कनेक्शन है और विद्युत जिस कार्य के लिए स्वीकृत थी उससे भिन्न कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं ।

(ग) समस्या दिल्ली प्रशासन के ध्यान में है ।

इंजीनियरों को अखिल भारतीय सेवा का गठन

4094. श्री वसंत साठे : क्या प्रधान मंत्री इंजीनियरों को अखिल भारतीय सेवा के गठन के बारे में 7 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1740 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सेवा का गठन किये जाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) कुछ असहमत राज्य सरकारों की अन्तिम प्रतिक्रियाओं की अभी प्रतीक्षा की जा ही है

सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ भारतीय फिल्म निदेशकों की नई दिल्ली में बैठक

4095. श्री भान सिंह भौरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 16 नवम्बर, 1974 को नई दिल्ली में भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निदेशकों से भेंट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निष्कर्ष निकले ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बैठक में सामान्य रूप से फिल्म नीति पर चर्चा हुई थी । विभिन्न बातों के बारे में निदेशकों के विचार मालूम किए गए थे । इन विचारों तथा सरकार के पास उपलब्ध इसी प्रकार के अन्य विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति बनाई जायेगी ।

पांचवी योजना के दौरान कर्नाटक में औद्योगिक परियोजनाएं

4096. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कौन कौन सी. औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी ; और

(ख) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान उद्योगों के विकास के लिये कर्नाटक राज्य को कितनी धनराशि आबन्टित की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) कर्नाटक सहित विभिन्नराज्यों में पांचवीं योजनावधि में शुरु की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं के नामों और उनके स्थापना स्थलों और परिव्ययो (जिस हद तक निर्णय कर लिया गया है) का उल्लेख पांचवीं योजना प्रलख प्रारुप (ड्राफ्ट फिफ्थ प्लान डाकुमेन्ट) के पृष्ठ 151 से 155 (भागII) पर किया गया है । कर्नाटक में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में शुरू की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक परि- योजनाएं निम्नलिखित से सम्बन्धित है :—

(1) भारत गोल्ड माइन्स

(2) हिन्दुस्तान कागज निगम का मण्डिया एकक

(3) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

(4) प्लानटेशन इंन्डस्ट्री

(ख) पांचवीं योजना अवधि में राज्यों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 29 करोड़ रुपये का परिव्यय अनन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है । बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए (18 करोड़ रुपये) खनिज विकास क लिए (1 करोड़ रुपया) और ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए (10 करोड़ रुपये) ।

मिजोरम में मिजोरम पीस मिशन की स्थापना

4097. **श्री नूरूल हुडा** : क्या गृह मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में मिज़ोरम पीस मिशन की स्थापना के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिससे कि विद्रोहियों और भारत सरकार के बीच गोल मेज सम्मेलन कराया जा सके ;

(ख) क्या सरकार भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत मिजो समस्या का स्थाई और शान्तिपूण समाधान खोजे जाने की सम्भावना का पता लगायगी ; और

(ग) क्या सरकार शान्तिपूण समाधान खोजने के लिए मिजोरम पीस मिशन जैसी संस्थाओं की सहायता लगी तथा जाने माने इमानदार व्यक्तियों का सहयोग लेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने सम्बन्धित प्रैस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) तथा (ग) मिजो विद्रोहियों को संविधान के अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक जीवनयापन की स्थिति में लाने के प्रयास तब तक सार्थक नहीं हो सकते जब तक मिजो विद्रोही अपनी देशद्रोही गतिविधियां जारी रखते हैं ।

Amount Sanctioned for Rural Electrification Corporation by Madhya Pradesh

4098. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the total amount sanctioned by Rural Electrification Corporation for various projects in Madhya Pradesh during the last three years, year-wise;

(b) whether the work was done during the last three years as per programme and target fixed in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) The details of the amount, sanctioned by Rural Electrification Corporation Ltd., for various rural electrification projects in Madhya Pradesh during the last three years are as under :—

Year	Loan amount		Total
	Normal rural electrification programme	Electrification of Harijan Bastis.	
			(Rs. in crores)
1971-72 . .	5.23	0.05	5.28
1972-73 . .	9.94	0.14	10.08
1973-74 . .	9.08	0.31	9.39
TOTAL	24.25	0.50	24.75

(b) & (c) The projects sanctioned by the Corporation are phased for completion over a period ranging upto 5 years from commencement of work. The programme and targets fixed for the schemes sanctioned in 1971-72 and 1972-73 have not been achieved. However considering the difficulties in procurement of materials the progress is considered satisfactory.

The work on the schemes sanctioned in 1973-74 has commenced only recently and the progress in respect thereof is yet to be assessed.

District Level Planning Development Committees

4099. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission had issued instructions to the States that Planning Development Committees should be set up at district level and the elected members may be associated with them;

(b) the names of the State Governments who have carried out the instructions; and

(c) the time by which the remaining States will act on them?

The Minister of Planning (Shri D.P. Dhar) : (a) The Planning Commission has emphasised the importance of setting up Planning Bodies at the district level and has also highlighted the need for associating elected representatives of the people with these bodies;

(b) The following States have set up Planning bodies at the district /Sub-divisional leve in which M.Ps/M.L.As are represented:

Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Meghalaya Karnataka, Nagaland, Punjab, Uttar Pradesh and West Bengal.

(c) Since it is for the State Governments to establish an approrpirate structure for Plan formulation keeping in mind local conditions it is neither possible to prescribe uniform pattern to be followed throughout the country, nor to give a time limit by which the remaining States will set up Planning bodies at the district level.

Publication for the Guidance of Entrepreneurs

4100. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether his Ministry propose to bring out a monthly publication for the guidance of new entrepreneurs containing all the requisite data about relevant rules, bye-laws, techno-economic survey of various districts of the country, special concessions available to backward districts, names of loans advancing financial institutions, sources and availability of raw material and markets for manufactured goods.

(b) if so, whether this publication will be brought out in Hindi and English and later on in other Indian languages; and

(c) if so, the time by which Government propose to bring out this publication.

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P Maurya): (a) to (c) No, Sir. However, an annual publication entitled "Guidelines for Industries" is being brought out containing information of use to entrepreneurs on policies and procedures of industrial approvals, and the status and prospects in various industries.

समाचार पत्रों के संपादकों की सेवाओं को समाप्त करना

4101. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अनेक समाचार पत्रों के संपादकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है अथवा उन्हें नोटिस दिए गए हैं अथवा उन्हें पद त्याग करने को कहा गया है क्योंकि उनके विचार मालिकों प्रबन्धकों से नहीं मिलते थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई शिकायतें सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

नई दिल्ली स्थित बसन्त बिहार कालोनी में बिजली के मीटरों में हेराफेरी करना

4102. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि नई दिल्ली स्थित बसन्त बिहार कालोनी में बिजली के मीटरों में हेराफेरी की जाती है और यह भी पाया गया है कि वहां लगातार चार महीनें तक तो बिजली की कोई खपत नहीं हुई तथा दो महीने तक बहुत कम खपत हुई; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1973 में बसन्त बिहार के रिहायशी भवन के सम्बन्ध में केवल एक ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ख) उपर्युक्त भवन के मालिक से शिकायत प्राप्त होने पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा 8-3-1973 को जांच-पडताल की गई थी । यह पाया गया कि मिटरों में हेर-फेर नहीं किया गया है । वे मुहरबन्द थे और उचित रूप में कार्य कर रहे थे । बहरहाल, और जांच-पड़ताल करने से पता चला कि मीटर स्थापित करते समय प्रकाश मीटर के लीड असावधानी से एक पावर मीटर के साथ आपस में बदल गए थे, जिसके परिणामस्वरूप गलत बिल बन गये थे । ये लीड जून, 1973 में ठीक कर दिए गए थें और उसके बाद प्रकाश मोटर ने युक्तियुक्त ढंग से एक समान खपत दिखाई है ।

सरकार द्वारा मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्ज लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध को अपन हाथ में लेना

4103. श्री रामसहाय पांडे :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्ज लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस कम्पनी की कुल कार्यकारी पूंजी क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) और (ख) चूँकि मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मन्यूफैक्चरर्स लि० कलकत्ता नामक उपक्रम तीन महीनों से अधिक समय तक बन्द पड़ा था तथा जन सामान्य के हित में यह आवश्यक समझा गया था कि इसे पुनः चालू किया जाय अतः 9 अक्तूबर, 1974 को इसका प्रबंध सरकार ने हाथ में ले लिया था ।

(ग) कम्पनी का अन्तिम लेखा परीक्षा किया गया हिसाब 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में है जिसके अनुसार कार्यकारी पूंजी में घाटा हुआ था, वर्तमान आस्तियों की अपेक्षा बिद्यमान देयताएं अधिक है ।

नागालैंड के मुख्य मंत्री के अनुरोधानुसार अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम को लागू करना

4104. श्री नूरूल हुडा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के मुख्य मंत्री ने वहां अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम को लागू करने के विरुद्ध केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूमिगत नागा अपनी पृथकतावादी तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, सरकार ने 1 सितम्बर, 1974 से अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधि-

नियम, 1967 के अधीन "नागा नैशनल कौन्सिल" तथा इससे सम्बन्धित अन्य निकायों को अवैध घोषित कर दिया है। सरकार का यह विचार है कि भूमिगत नागाओं की राष्ट्रविरोधी और प्रथकता वादी गतिविधियों को नजरदांज करके शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती।

तारापुर करार के अधीन अमरीका द्वारा युरेनियम इंधन की सप्लाई

4105. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तारापुर करार के अधीन भारत को यूरेनियम ईंधन की सप्लाई करत है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी मात्रा में युरनियम की सप्लाई की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी): (क) जी, हां।

(ख) इस करार के अन्तर्गत अब तक 3830.4 किलोग्राम अन्तर्विष्ट यूरेनियम 235 भेजा गया है।

कूच बिहार शरणार्थी सेवा की गतिविधियां

4106. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे के एक राष्ट्रीक मिस्टर ओलेव लियोनार्ड हैरी होंडने को, जिसे हाल ही में परिसमाप्त की गई कूछ बिहार शरणार्थी सेवा का निदेशक बताया जाता है 16 मार्च, 1974 के बाद भारत में ठहरे रहने की अनुमति दी गई है अथवा उसके वीसा की अवधि बढ़ा दी गई है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की गतिविधियों पर ध्यान दिया है जो कि विभिन्न तरीकों से देश में समस्यायें खड़ी कर रहे हैं, और यदि हां, तो क्या उनका, मंत्रालय सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध कुच बिहार के स्थानिक लोगों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करेगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) श्री होडने जिसे 16 मार्च 1974 तक भारत में ठहरने की अनुमति दी गई थी, को पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश पर 15 सितम्बर 1974 तक ठहरने की और अनुमति दी गई थी। यह सूचना मिली है कि वह सितम्बर 1974 में नार्वे चले गए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन्हें वापस आने के लिए विजा मंजूर किया गया है।

(ख) जब कभी कोई विदेशी अवांछनीय गतिविधियां में अन्तर्गस्त होता है, अथवा किसी कानून का उल्लंघन करते हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध यथोचित कानून के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। श्री होडने किसी आपत्तिजनक गतिविधि में अन्तर्ग्रस्त नहीं पाये गये है।

मंत्रालय में तदर्थ कर्मचारियों की छंटनी

4107. श्री नुरुल हुडा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बड़ी संख्या में तदर्थ कर्मचारियों के छंटनी के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिकों तथा ग्रेड iii आशुलिपिकों के पदों पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारों के स्थायी रूप में खपाए जाने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) ये नियुक्तियां अस्थायी तौर पर तदर्थ ढंग से तब तक के लिए की गई थी जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा 1969 के उपबन्धों के अधीन इस प्रयोजन के लिए ली गई क्रमश: खुली प्रतियोगिता सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा चयन किए गए उमेदवार उपलब्ध हों। इन तदर्थ नियुक्तीयों की अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के कार्य ग्रहण करते ही समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए सरकार के लिए यह सम्भव नहीं हो पाया है कि वह तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को दीर्घकालीन आधार पर सेवा में बनाये रखने के अनुरोध को स्वीकार कर सके। फिर भी, सरकार ने इस प्रकार नियुक्त किए गए कर्मचारियों को रोजगार कार्यालयों के अभिकरणों द्वारा रोजगार में सहायता दिए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन तथा प्राथमिकता के मामले में कुछ रियायतें दी हैं। ये रियायतें इस प्रकार हैं :—

(i) तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने 6 मास अथवा उससे कम की सेवा की हो, अस्थायी पदों पर से छंटनी किए जाने पर जब वे रोजगार कार्यालय में पुन: अपना नाम रजिस्टर कराएं तो उनके रजिस्ट्रेशन की मूल वरिष्ठता प्रदान की जाएगी, किन्तु शर्त यह है कि वे नियोक्ता द्वारा सेवामुक्ति प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पुन: रजिस्ट्रेशन के लिए रिपोर्ट करें।

(ii) तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे कर्मचारियों की जिन्हों ने 6 मास से अधिक की सेवा की है, केन्द्र सरकार को रिक्तियों के लिए नामों के प्रस्तुत किए जाने के मामले में प्राथमिकता iii दी जाएगी।

बिहार के मुंगेर जिले के बरदाह गांव में रक्षा के विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी

4108. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर जिले के बरदाह गांव में एक कार से रक्षा के विस्फोटक पदार्थों के चार सन्दूक बरामद किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय, में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

4109. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **प्रधान मंत्री** विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में 10 अप्रैल 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6277 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष कम्पनियों के बारे में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान शेष आठ कम्पनियों पर विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कोई आरोप नहीं लगाए गए थे ।

अयोध्या कपड़ा मिल, दिल्ली में कर्मचारियों की बहाली

4110. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकारी अधिकार में ली गई संकटग्रस्त अयोध्या कपड़ा मिल, दिल्ली के प्रबन्धकों ने आठ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी;

(ख) क्या कर्मचारीगण इन कर्मचारियों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं ;

(ग) क्या कार्यकारी पार्षद श्री ओ० पी० बहल ने उक्त समस्या पर विचारविमर्ष करने के लिए एक बैठक बुलाई थी और मिल के प्रबन्धकों ने उक्त बैठक में भाग नहीं लिया था ;

(घ) क्या उक्त कार्यकारी पार्षद ने इस बारे में राष्ट्रीय कपड़ा आयुक्त को एक पत्र भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो कर्मचारियों को बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां । उपक्रम के आठ कर्मचारियों की सेवाएं घोर दुर्व्यवहार तथा प्रबन्ध अधिकारियों को डराने धमकाने एवं सापराध हमला करने के कारण समाप्त कर दी गई थी ।

(ख) कुछ थोड़े से सहयोगियों के साथ बर्खास्त किए गए कर्मचारी बहाली के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां। दफ्तर के अत्यावश्यक काम में पहले से व्यस्त होने के कारण प्रबंध का कोई भी प्रतिनिधी इस बैठक में उपस्थित न हो सका था, प्रबन्ध निदेशक ने कार्यकारी पार्षद को स्थिति से अवगत करा दिया है।

(ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए बहाली का प्रश्न ही नहीं उठता ।

केबल और कन्डक्टरों के उत्पादन के लिये एल्यूमिनियम की कमी होने से पांचवीं योजना में विद्युत ट्रांसमिशन योजनाओं की क्रियान्विति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना

4111. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय साधनों की कमी के साथ साथ एल्यूमिनियम की कमी के कारण केबल और कन्डक्टरों के उत्पादन में कमी हुई है, जिससे पांचवीं योजना में विद्युत ट्रान्समिशन योजनाओं को तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि इनका बड़े पैमाने पर आयात न किया जाए, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) इस वर्ष एल्यूमिनियम की कमी होने की सरकार को जानकारी है। बहरहाल, प्राथमिकता-प्राप्त पारेषण लाइनों की आवश्यकताओं, जिनके लिए आर्डर पहले ही दी जा चुकी है, को पूर्ण करने हेतू एल्यूमिनियम की पर्याप्त मात्रा आबन्टित की गई है ।

ऊर्जा के क्षेत्र में एक निवेश के रूप में एल्यूमिनियम की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एल्यूमिनियम उद्योग को विद्युत सप्लाई करने में प्राथमिकता प्रदान की जा रही है । आशा है कि एल्यूमिनियम की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति निकट भविष्य में सुधर जाएगी ।

Scholarships to Harijan, Adivasi and Backward Class Students

4112. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government give grants to the States every year for giving scholarships to Harijan, Adivasi and Backward Class students of schools and colleges; and

(b) if so, break-up of the amounts given to various States for 1973-74 and 1974-75 separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The Government of India gives grants to the States for awarding Scholarships at the Post-matric stage to eligible students of Scheduled Castes, Scheduled Caste converts to Budhism and Scheduled Tribes. Students belonging to classes other than these are not covered under the Government of India Post-matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes & Scheduled Tribes. The scheme of pre-matric scholarships to Scheduled Castes and Other Backward Classes is being implemented under the State Sector of Backward Classes. Central assistance for this scheme is given to the States in the form of block grants and block loans every year.

(b) A statement showing the amount released to various State Governments for post-matric scholarships for 1973-74 and the initial allocation made for 1974-75 is attached.

[*Placed in the Library—See No. L.T.*-8731/74.]

Grants to States for Construction of Houses for Harijans and Adivasis

4113. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether grants are given to the State Governments by the Central Government for construction of houses for Harijans and Adivasis every year;

(b) if so, the grants given to the States for 1973-74 and 1974-75;

(c) whether Central Government have decided to raise the amount of grants; and

(d) if so, the extent thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) Housing programme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is in the State Sector of Backward Classes. Under this scheme subsidy is given to members belonging to these communities. The amount of subsidy is shared between the Central Government and the State Governments. Central assistance is given in the form of block grant and block loan every year.

Under the Centrally Sponsored programme while there is no specific scheme for housing for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, during 1973-74 there was a composite scheme of "Improvement in working and living conditions of those Scheduled Castes who are engaged in unclean occupations". Under this scheme apart from other assistance housing subsidy was provided for sweepers and scavengers. Amount of Central grant given to the States for this composite scheme and the available information in regard to the expenditure incurred on housing during 1973-74 is indicated in the Statement attached. This scheme has been transferred to the Central Sector programme in the Fifth Five Year Plan beginning from 1974-75.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Statement

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of State	Amount released for composite scheme of 'improvement in working and living conditions of those Scheduled Castes who are engaged in unclean occupations' during 1973-74	Expenditure incurred for housing during 1973-74 under the scheme mentioned in Col. 3.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Andhra Pradesh	3.60	*NA
2	Assam	5.85	@6.50
3	Bihar	3.37	*NA
4	Gujarat	1.13	*NA
5	Harayana	1.01	0.63
6	Himachal Pradesh	1.49	*NA
7	Jammu and Kashmir	1.35	*NA
8	Karnataka	0.75	*NA
9	Kerala	4.85	*NA
10	Maharashtra	7.90	*NA
11	Madhya Pradesh	3.37	*NA
12	Manipur	0.45	*NA
13	Orissa	1.13	@1.25
14	Punjab	1.35	1.08
15	Rajasthan	2.34	@2.60
16	Tamil Nadu.	4.24	1.62
17	Tripura	0.36	@0.40
18	Uttar Pradesh	3.15	*NA
19	West Bengal	3.87	*NA
	TOTAL	51.56	

*Not available.

@ The expenditure was based on original allocations which were subsequently reduced by 10%.

पोंग बांध के फाटकों से पानी का रिसना

4114. **श्री राम गोपाल रेड्डी :**

श्री भान सिंह भौरा :

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

श्री राम सहाय पांडे :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बान्ध के पांच फाटकों में से एक फाटक से पानी रिसने का समाचार मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पोंग बांध की एक निकास सुरंग में जब नियामक गेट का परीक्षण किया जा रहा था, तब गेट की सील सीट्स में कुछ दोषों का पता चला, जिन्हें ठिक किया जा रहा है। आपाती द्वारों को बन्ध करके, इस सुरंग में से प्रवाह को तत्काल रोक दिया गया था। नदी के अनुप्रवाह में नहरों के लिए जल एक पेनस्टाक सुरंग से बह रहा है, जिसे उस समय तक खुला रखा जाना था जब तक कि निकास सुरंगों में नियामक गेट स्थापित नहीं कर दिए जाते।

कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति की सूची में रखी गयी जनजातियां

4115. **श्री बी० बी० नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अन्तर्गत कर्नाटक की किन जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में रखा गया है ;

(ख) क्या उन्हें निर्धारित मानदन्डों के अनुसार जनजातियों की श्रेणियों में रखा जा सकता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सूची में रखी गई जनजातियों को संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों की सूची संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में मिलेगी जो आसानी से प्राप्त होन वाला दस्तावेज है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय, अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट द्वारा "प्लास्टिक स्लेट" का विकास

4116. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट ने प्लास्टिक-स्लेट बनाने के लिए एक प्रक्रिया का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

(ग) इसके बाजार में कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) मूल्य वृद्धि के विचार से स्कूलों के छात्रों द्वारा कागज के प्रयोग को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य योगशीत वस्तुओं के साथ कागज की सतह पर मोटाई वाला पटलित प्लास्टिक शीट इस प्रक्रम में शामिल हैं। उसके पश्चात उत्पाद को गर्म-प्रेस से दबाया जाता है और काटा छाँटा जाता है ।

(ग) एक पार्टी इस प्रक्रम के लिए लाइसेंन्सीकृत की गई है । कुछ अन्य पार्टियों ने भी इस प्रक्रम के लिए अपनी रुचि प्रदर्शित की है । यह उत्पाद एक वर्ष के भीतर भीतर बाजार में उपलब्ध हो सकेगा पर यह कच्चे पदार्थ की प्राप्ति पर निर्भर करता है ।

(घ) ऐसा अनुमान है कि प्रोइमरी स्कूल के बच्चों द्वारा मिट्टी और लकड़ी की स्लैटों की बजाये स्लास्टिक की स्लेटों का ही इस्तेमाल किया जायेगा । इसका यह तात्पर्य नही है कि कागज के इस्तेमाल की परिपाटी को बदला जा सकेगा । पर ऐसी आशा की जाती है कि कच्चे कार्य के लिये कागजों का इस्तेमाल निश्चित रूप में कम किया जा सकेगा ।

कम्पनी कार्य विभाग के माध्यम से औद्योगिक लाइसेन्सों के लिये आवेदन-पत्र

4117. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सब कम्पनियों को इस आशय के निदेश दिये हैं कि औद्योगिक लाइसेन्सों के लिए वे अपने आवेदन पत्र कम्पनी-कार्य विभाग के माध्यम से भेजे ; और

(ख) यदि हां, तो किसी व्यक्ति अथवा फर्म को, जो कम्पनियों को रजिट्रार के पास रजिस्टर नहीं है, ऐसा न करने की छुट दी गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय म राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल खोज के लिए परमाणु विस्फोट

4118. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रसन्नाभाई मेहता :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज के सम्बन्ध में अमरीका तथा रूस द्वारा किए गए विस्फोट परिक्षणों के परिणामों का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) परमाणु विस्फोट से हमारे तेल की खोज के अवसरों में कहां तक वृद्धि हुई है ?

प्रधान मंत्री, पवमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) तेल की खोज के लिए परमाणु विस्फोटक करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तथापि, तेल तथा गैस के उद्दीपन के सम्बन्ध में हमारे वैज्ञानिक अमरीका तथा रूस में होने वाली प्रगति को लगातर ध्यान में रखते रहे हैं। अमरीका की रूचि मुख्य रूप से गैस के ऐसे भण्डारों का उद्दीपन करने में है जिन से गैस अपेक्षा कृत तेज गति से तथा अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सके। पहले जो दो परीक्षण किए गए थे उनसे पता चला है कि प्राप्त होने वाली गैस की मात्रा 5 से 8 गुनी तक बढ़ाई जा सकती है। तीसरे परीक्षण के पुरे आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। रूस में किए गए पहले परीक्षण से पता लगा कि उत्पादन की मात्रा में 34% वृद्धि हुई है तथा तेल को अन्तिम रूप से प्राप्त मात्रा में 10% की वृद्धि हुई है। दुसरे परीक्षण में, विस्फोटक के बाद के पहले वर्ष में तेल क्षेत्रों से तेल के उत्पादन में 30 से 80% तक की वृद्धि हुई बताई गई है।

(ग) देश के किसी चुने गए स्थल पर तेल के उद्दीपन के सम्बध में विस्फोटक के किसी विशेष उपयोग का पता लगाने से पहले यह आवश्यक होगा कि इसके आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं का अध्ययन विस्तारपूर्वक किया जाए। विस्फोट के प्रभाव से शैल संरचनाएं किस प्रकार से टुटती है, इसका अध्ययन भी 18 मई को किये गए परीक्षण से प्राप्त आंकडों के सम्दर्भ में करना आवश्यक, होगा।

लाइसेंसधारियों के लिय सहायक एककों से उपकरण खरिदना अनिवार्य करना

4119. श्री अनादि चरण दास :
श्री डी० डी० वेसाई :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाइसेन्सधारियों के लिए सहायक एककों से उपकरण खरीदना अनिवार्य करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण ह ;

(ग) क्या सरकार ने किसी ऐसे उद्योग समूह का पता लगाया है जिसके लिए सहायक क्षमताओं का विकास किया गया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) सरकारी नीति लघु उद्योग क्षेत्र में सहायक एककों को प्रोत्साहन देने की है। इस नीति से विकेन्द्रीकृत औद्योगिक वृद्धि का विकास होगा, अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे और व्यापक क्षेत्र में उद्यमीयता की वृद्धि और प्रसार में मदद मिलने की आशा है। इस उद्देश्य की दृष्टि से जहां-जहां सम्भव है औद्योगिक लाइसेन्सी के आवेदकों को इसके लिए सुनिश्चित करना पड़ता है कि वे अन्त-र्वस्तुयें (कम्पोनेन्टस) जिनका उपयोगी और किफायति ढ़ंग से निर्माण सहायक एककों द्वारा लघु उद्योग में किया जा सकता है उन्हें प्रमुख निर्माताओं के उत्पादन कार्यक्रम में शामिल न किया जाएं बल्कि इन्हें खरीदी गयी अन्तर्वस्तुओं के रूप में प्राप्त किया जाये।

(ग) और (घ) सरकार ने ऐसे 21 उद्योगों का पता लगाया है जिन्हें लघु एककों के सहायक औद्योगिक एककों के रूप में प्रोत्साहन दिए जाने की गुंजाइईश है। ये उद्योग हैं :—

1. मशीनरी
2. कृषिकीय व उत्खनन मशीनरी

3. मशीन टूल्स
4. औद्योगिक, वैज्ञानिक, गणितीय उपकरण (यांत्रिक)
5. लोकोमोटिव व रोलिंग स्टाक, जहाजरानी व हवाईजहाज
9. बाइसिकलें
7. बायलर एवं भाप-जनक संयंत्र
8. भाप इंजन, टरबाइन और आन्तरिक कम्बस्टन इंजन
9. आटोमोबाइल
10. वाणिज्यिक कार्यालय साजसामान और घरेलु साजसामान
11. बिजली की मशिनरी, उपकरण और उपसाधन
12. दुर संचार के उपकरण
13. उद्योगोपयोगी उपकरण (बिजली के)
14. रेडियो और इलैक्ट्रोनिक उपकरण
15. एअर-कन्डीशनर्स और कोल्ड-स्टोरेज के उपकरण, रेफ्रिजरेटर समेत
16. खनिज तेल ओर पैट्रोलियम उद्योग
17. रेलवे (रोलिंग स्टाक, ट्रेक के उपकरण, और सिगनल के उपकरण)
18. रसायन (पैकिंग उद्योगों के लिए)
19. उर्वरक (पैकिंग उद्योगों के लिए)
20. लोहे और इस्पात का उद्योग
21. घड़ियां

उड़ीसा में भारत खादी भण्डार का कार्य क्षेत्र

4120. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत खादी भाण्डार प्रमाणित खादी संस्थान है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान के कार्य क्षेत्र क्या हैं ; और

(ग) उड़ीसा में उक्त भण्डारों की कितनी शाखाएं काम कर रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

डाक सेवायें

4121. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई डाक सेवा प्रणाली जिससे प्रतिवर्ष 35 लाख रुपयों की बचत होगी और एक वर्ष नई सेवा जिसके अन्तर्गत वस्तुएं रसीद लेकर भेजी जाएंगी जो वितरित की जाएंगी सफल सिद्ध नहीं हुई ;

(ख) यदि हां, तो उस विफलता के मुख्य कारण क्या है ;

(ग) क्या मंत्रालय को प्रत्याशित बचत भी नहीं हुई; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुरानी प्रणाली को पुनः आरम्भ करने का है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) रिकार्डेड डिलीवरी सेवा तारीख 1-11-1974 को प्रयोग के तौर पर चालू की गई थी। इसके कार्यचालन को देखा जा रहा है और एक साल के बाद इसका पुनरीक्षण किया जाएगा। इस नई सेवा के परिणामों का अभी मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आदिवासी लोगों के लिये परियोजना स्तर पर सहकारी संघ बनाने का प्रस्ताव

4122. **श्री गजाधर माझी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण, विपणन और खपत के बारे में आदिवासी लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना स्तर पर सहकारी संघ बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय आदिवासी विकास ऐजसी के संरक्षण में कार्य-रूप दिये जाने वाले आदिवासी विकास परियोजना से इस को संबद्ध करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा आदिवासी विकास परियोजनाओं में सहकारिता संरचना संबंधी एक अध्ययन दल (बावा कमेटी) ने सिंग भूमि (बिहार) गंजम व कोरापुट (उड़ीसा) के लिए बड़े आकार की बहु-उद्देश्यीय समितियों और मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के लिए एक आदिवासी विकास सहकारिता संघ की स्थापना की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें कार्यान्वियन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) कोई केन्द्रीय आदिवासी विकास ऐजेंन्सी स्थापित करने का विचार नहीं है।

समाचार-पत्रों के प्रबन्धकों द्वारा समाचार-पत्रों की प्रतियों की संख्या में वृद्धि करना

4123. **श्री सो० के० जाफर शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समाचार-पत्रों के प्रबन्धकों ने समाचार-पत्रों की प्रतियों की संख्या में वृद्धि की है, अनेक अनुपूरक अंक जारी किये हैं और अपने दैनिक पत्रों की पृष्ठ संख्या में भी वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो उन समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान कानूनी के अन्तर्गत समाचारपत्रों के लिए अपने अधिकृत अखबारी कागज के कोटे में से अपनी खपत संख्या, पृष्ठ, पृष्ठाकार और आवधिकता के समंजन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

Applications for Telephone connections pending in Metropolitan cities

4124. Shri M. C. Daga : Willthe Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether applications for telephone connections in metropolitan cities are pending for 9 to 10 years and if so, the names of the metropolitan cities in which such applications are pending indicating the number of the pending applications and the respective number of years for which they are pending at present;

(b) the time by which the telephone problem of such applicants is likely to be solved and the scheme of Government therefor?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) Yes, Sir. The position of pending applications in respect of the four metropolitan cities is as follows : —

Name of the Metropolitan City	Number of applications pending	
	From 9 to 10 years	For more than 10 years
Delhi	4,722	29,363
Calcutta	250	4,200
Bombay	Nil	Nil
Madras	Nil	Nil

(b) The Department has made a short and long term forecast of telephone demand in the country. Taking this forecast into account the draft 5th Five-Year Plan provides for addition of 7.79 lakhs of additional telephone connections in the plan period which is expected to reduce the average waiting period in the country to 1.3 years by 1-4-79. It is also anticipated to make the waiting list current by 1982-83. To achieve these targets the indigenous production of equipment, underground cables and telephone instruments is planned to be suitably augmented. However, the actual achievement will depend on the resources allocated to the Department.

गांव कार्क में एक उप-डाकघर का खोला जाना

4125. कुमारी कमला कुमारी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार गांव कार्क, पी० एस० गढवां पोस्ट राव, जिला पालामऊ (बिहार) में निकट भविष्य में एक उप-डाकघर खोलने का है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : जी नहीं। अलबत्ता, एक प्रस्ताव की जांच कराई जा रही है।

प्रैस इन्फार्मेशन ब्यूरो द्वारा समाचारपत्रों का पंजीकरण

4126. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस इन्फार्मेशन ब्यूरो नये समाचारपत्रों को पंजीकरण संख्या देने में अधिक समय लगाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो समाचारपत्रों के पंजीकरण में न्यूनतम कितना समय लगता है और क्या उनके पंजीकरण के लिये कोई समय सीमा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समाचारपत्रों का पंजीकरण भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है और सामान्यतः इसमें लम्बा समय नहीं लगता ।

(ख) प्रैस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (अब तक संशोधित) में या समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाचारपत्र को पंजीकरण संख्या यथाशीघ्र और हर हालत में समाचारपत्र के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने के अन्दर-अन्दर अलाट हो जाए बशर्ते कि प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सभी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएं ।

बिहार में छोटा नागपुर से प्रकाशित समाचारपत्रों का पंजीकरण

4127. **कुमारी कमला कुमारी** : या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छोटा नागपुर से तथा विशेषकर इस क्षेत्र के पिछड़े जिलों से प्रकाशित होने वाले अथवा प्रकाशित हो रहे समाचारपत्रों के पंजीकरण में बहुत अधिक विलम्ब किया जाता है जिससे इस क्षेत्र के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) समाचारपत्र को पंजीकरण संख्या यथाशीघ्र और हर हालत में समाचार-पत्र के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने के अन्दर-अन्दर अलाट की जाती है बशर्ते कि प्रेस ट्रस्ट तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (अब तक संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित सभी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएं। सामान्यतः, बिहार के छोटा नागपुर से प्रकाशित समाचारपत्रों के प्रमाणपत्रों के जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है। तथापि, कुछ मामलों में देरी हुई है जो मुख्य रूप से सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों से घोषणा की प्रमाणीकृत प्रति के देर से मिलने तथा/या संबंधित प्रकाशकों से समाचारपत्र के प्रथम अंक के देर से मिलने के कारण हुई।

उत्तर बिहार में टेलीफोन व्यवस्था

4128. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में ट्रंक कालों के न मिलने स्थानीय कालों के गलत मिलने और अधिक राशि के टेलिफोन बिल बनाने जसी सामान्य शिकायतें मिली हैं ;

(ख) उत्तर बिहार टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने में के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (डॉ० शंकर दयाल शर्मा) : (क) टेलीफोन सेवा के संबंध में शिकायतें रही हैं ।

(ख) स्थानीय टेलीफोन सेवाओं के संबंध में शिकायतें अधिकतर बिजली की अस्थिर सप्लाई के कारण या बाढ़ या नागरिक आंदोलनों के फलस्वरूप लाइनों के क्षतिग्रस्त होने

के कारण प्राप्त हुई थीं। बाढ़ या आन्दोलनों के कारण जो स्थिति पैदा हो गई थी वह अब सामान्य हो गई है।

बिजली की अनियमित सप्लाई का जो प्रभाव पड़ता है उसमें सुधार के लिए अनेक स्थानों पर स्टैंड बोर्ड इंजन आल्टरनेटररों और उच्च क्षमता वाली बैटरियों की व्यवस्था की जाएगी।

अधिक रकम के बिलों के संबंध में भी कुछ शिकायतें मिली थीं। उन्हें शीघ्रता से निपटा दिया गया है।

Development of States

4129. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether some States in the country are very much developed; and

(b) whether Bihar is the most backward State in the country and if so, the steps being taken for alround development of the State?

The Minister of Planning (Shri D. P. Dhar) : (a) and (b) In terms of per capita State domestic product and certain other indicators of development, some of the States like Gujarat, Haryana, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal are ahead in economic development compared to the other States like Bihar.

The Five Year Plan and Annual Plan of the State Government are supposed to contribute significantly towards the all round development of the State. In the Fifth Five Year Plan, the State Government have proposed to include schemes which would contribute to breaking the economic stagnation, maximising productive employment, providing necessary facilities for various items of social consumption under the National Programme of Minimum Needs, strengthening of infrastructure and reduction of regional and inter-sectional disparities. Besides the measures envisaged in the Draft Fifth Five Year Plan of the State, the following steps are being taken for the economic development of the State :

(i) Continuance of investment in certain Central Industrial projects located in the State of Bihar.

(ii) Concessional finance by financial institutions in certain industrially backward districts in the State.

(iii) Investment subsidy for industrial development to the extent of 15 per cent, subject to a maximum of Rs. 15 lakhs in respect of the units having a total investment not exceeding Rs. 50 lakhs in certain selected districts.

(iv) Continuation and extension of special programmes for small and marginal farmers and agricultural labourers, dry farming etc.

(v) Continuation and reinforcement of special assistance to drought-prone and tribal areas in the State.

(vi) Preparation of sub-Plans for geographically and administratively viable areas of tribal concentration with the objective of —

(a) narrowing down the gap between tribal and other areas;

(b) improving the quality of life of the tribal community; and

(c) achieving social and cultural integration of tribals with the rest of the Society.

(vii) Allocation of Central funds as supplemental to the funds set apart by the States for the execution of Integrated Area Sub-Plan for the speedier development of the tribal areas.

(viii) Continuation and reinforcement of the measures already introduced regarding the reorientation of financial institutions to give special attention to backward areas, the preference accorded to such areas in the matter of licensing, investement, the

concessions allowed by way of capital and transport subsidy and setting up of a special mechanism for identifying investment opportunities.

(ix) Local planning will continue to be one of the main elements of the strategy for accelerated development of backward areas in the State during the Fifth Plan period.

राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अन्दमान की जेल कोठरियां

4130. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान की जेल कोठरियों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिवर्तित करने का इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर के सेल्युलर जेल के वर्तमान तीन स्कंधों और केन्द्रीय टावर को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित रखने का निश्चय किया गया है। चार लाख रुपयों की लागत से भवनों की आवश्यक मरम्मत करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इस समय सेल्युलर जेल भवन के अन्दर-जो कार्यालय, स्टोर तथा क्वार्टर हैं उनको स्थानान्तरित करने के लिए आवश्यक भवनों के निर्माण के लिए अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन ने प्रवाख्यागत कार्यक्रम भी बनाया है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

4131. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामले 1970 से अक्टूबर 1974 तक प्रर्वतन निदेशक को सौंपे गये ; और

(ख) उक्त अवधि में जिन व्यक्तियों और कम्पनियों के मामले सौंपे गये थे उनका ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा निहित थी ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेंहता) : (क) प्रवर्तन निदेशालय, अपने अधिकारियों द्वारा सीधे रूप में एकत्रित अथवा प्राप्त सूचना, अथवा उसे अन्य प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर, विदेशी मुद्रा विनियमों के कथित उल्लंघनों के मामलो में जांच पड़ताल करता है। जहां इस प्रकार की जांच पड़ताल के बाद प्रथमदृष्ट्या (प्राइमाफेसी) मामला बनता है तो न्याय निर्णयन सम्बन्धी कार्रवाईया आरम्भ की जाती हैं और प्रवर्तन निदेशक अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत, प्रवर्तन निदेशालय के अन्य अधिकारियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन मामलों का न्याय निर्णयन किया जाता है। न्याय निर्णयन सम्बन्धी कार्रवाइयों के आरम्भ किए जाने के प्रयोजन से, कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। 1-1-1970 से 31-10-1974 की अवधि के दौरान, उन मामलों की संख्या, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा न्याय निर्णयन सम्बन्धी कार्रवाइयां आरम्भ किए जाने की दृष्टि से ऐसे कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे, निम्न प्रकार है :—

1970	1862
1971	1726
1972	1868
1973	2735
1974	1974

(31-10-1974 तक)

(ख) उन व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम जिन्हें इन मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे अथवा इस प्रकार के प्रत्येक मामले में अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की धन राशि के सम्बन्ध में ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नाधीन अवधि में जिन मामलों में न्याय निर्णयन सम्बन्धी कार्रवाइयां जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गरा है, आरम्भ की गई थी, उनकी संख्या 9,165 तक है, इस लिए विस्तृत अपेक्षित सूचना एकत्रित करने और उसका संकलन करने में काफी मात्रा में समय और श्रम लग जाएगा। यदि उन विशेष मामलों जिनके सम्बन्ध में अथवा जिन व्यक्तियों तथा कम्पनियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के विवरणों की आवश्यकता है, का उल्लेख कर दिया जाए तो अपेक्षित सूचना को एकत्रित करके दिया जा सकता है।

यहां यह उल्लेख कर देना भी असंगत न हो गा कि विदेशी मुद्रा विनियमन (नामों का प्रकाशन) नियम 1970 में बनाए गए हैं, जिनमें यह व्यवस्था है कि कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे न्यायालय द्वारादोषसिद्ध, अथवा 10,000 रुपये अथवा उससे अधिक के मूल्य की भारतीय अथवा विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में किसी विभागीय न्यायनिर्णयन सम्बन्धी कार्रवाई में दण्ड दिए जाने पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम तथा अन्य विशिष्ट ब्यौरे, अपील फाइल करने की अवधि, जिन मामलों में अपील फाइल की जाती है, व्यतीत हो जाने के बाद अथवा अपीलीय कार्रवाइयों की समाप्ति पर, जैसी भी स्थिति हो, प्रकाशित कर दिए जाएं।

वर्ष 1974–75 के दौरान अमरीकी फिल्मों के आयात के लिये ठेके

4132. **श्री नरेन्द्र कुमार साधी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अमरीकी फिल्मों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1974–75 में उक्त फिल्मों के आयात के लिये ठेके देने तु कोई कार्रवाई की गई है ; और

(ग) फिल्मों के उक्त आयात के लिये सरकार ने क्या शर्तें निर्धारित की हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) अब अमरीका से फिल्में आयात करने का निर्णय कर लिया गया है और इस बारे में अमरीका के निर्यातकों से करार शीघ्र ही करने का प्रस्ताव है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के बारें में भारत और पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श

4133. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अनुसंधान परीयोजनाओं पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से भारतीय नाभिकीय और ऊर्जा विशेषज्ञो के तीन दल पश्चिम जर्मनी गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस पर 'बोन' सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या पश्चिमी जर्मनी सरकार ने भी भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन एककों का दौरा करने के लिए एक दल भेजा है; और

(घ) यदि हां तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के बारे में संयुक्त प्रस्ताव पर कोई समझौता हो सका है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ग) : जी हां ।

(क) और (घ) : नाभिकीय ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों के लिये सहयोग करने हेतु भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच अक्तूबर 1971 में एक समझोता हुआ था। इसके पश्चात फरवरी, 1974 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत नाभिकीय अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में सहयोगीय परियोजनाओं का पता लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गयी है ।

उत्तर प्रदेश के अकबरपूर गांव में एक हरिजन के मकान का जलाया जाना

4134. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**
श्री सरजू पांडेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवम्बर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश में अकबरपुर गांव में एक हरिजन के मकान के जलाये जाने तथा उसकी पत्नी के साथ अवांछनीय तत्वों द्वारा बलात्कार किये जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जांच के लिये इस मामले को विशेष सैल को सौंपेगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार ने 18 नवम्बर, 1974 के "टाइम्स आफ इंडिया" में संबद्ध समाचार देखा है। राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Installation of telephone for Girwa Panchayat Samiti in Udaipur

4135. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have sanctioned telephone for Girwa Panchayat Samiti in Udaipur District, Rajasthan; and

(b) if so, whether telephone has been installed?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) No, Sir. No demand for a telephone connection has been received from Girwa Panchayat Samiti in Udaipur District, Rajasthan.

(b) Does not arise.

दिल्ली में पेन-पिस्टल निर्माण करने वाला कारखाना

4136. **श्री शशि भूषण :**
श्री एम० वी० कृष्णप्पा :
श्री वरके जार्ज :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पैन-पिस्टल कारखाने का हाल ही में पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पकड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है और उनसे क्या क्या माल बरामद हुआ ; और

(घ) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हाल ही में दिल्ली में कुछ पैन की शक्ल की पिस्तोलें पकड़ी हैं।

(ख) से (घ) दिल्ली पुलिस के एक विशेष दल ने 17-11-1974 को सायं एक गुप्त सूचना का पता लगाते समय श्री इकबाल अहमद नामक एक व्यक्ति को चुनौती दी जो हाथ में एक ब्रीफ केस लिये जामा मसजिद क्षेत्र में घूम रहा था, ब्रीफ केस की तलाशी लेने पर उसमें से पेन की शक्ल की दो पूर्ण पिस्तोलें, इसी प्रकार की 13 अपूर्ण पिस्तोलें तथा उसके हिस्से पुर्जे जैसे बैरल, क्लिप, स्ट्राइकिंग पिन, नौब, स्प्रिंग आदि और 22 कैलीबर के 34 कारतूस बरामद किए। उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शस्त्र अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामले की जांच की गई। आगे की गई जांच-पड़ताल के दौरान बलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में 19-11-1974 को तलाशी ली गई जहां से बुन्दुखां तथा अलीमुद्दीन नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, और निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गई :—

एक पेन की शक्ल की पिस्तौल, पांच अन्य पिस्तौलें, .22 कैलीबर के 80 कारतूस, और अधिक कैलीबर के 14 कारतूस और आग्नेयास्त्र के कुछ अन्य हिस्से पुर्जे।

इस बरामदगी के आधार पर शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत बुलन्दशहर में अन्य आपराधिक मामला दर्ज किया गया था जिसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है।

गिरफ्तार किये गये उपर्युक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दोनों मामलों की अभी जांच हो रही है।

सुरकाचर कोयला खान, मध्य प्रदेश के यूनियन नेताओं को निकाला जाना

4137. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को सूराकाचर कोयला खान (जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश) को यूनियन के तीन नेताओं को निकाले जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) सभी कर्मचारियों के सेवा से निकाले जाने के आदेशों को वापस लेने तथा उन्हें पुनः काम पर लेने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) सुरकाचर कोयला खान के यूनियन नेताओं को तंग करने के आरोपों के बारे में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक की गई जांच से पता चला है कि सुरकाचर कोयला खान के 7 कामगारों ने फरवरी, 1973 में कोयला खान के प्रबन्धक के विरुद्ध उपद्रव, दुर्व्यवहार तथा मारपीट की थी। उक्त कामगारों को आरोप पत्र दिए गए और उनमें से 3 को निलम्बित कर दिया गया क्योंकि उनके अपराध गम्भीर थे। विभागीय जांच-परिणामों के आधार पर, जिसमें उन्हें अपने बचाव का पूरा मौका दिया गया था, उन तीनों कामगारों को बाद में बरखास्त कर दिया गया। शेष 4 कामगारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान

4138. **श्री रानेन सेन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदान मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितना अनुदान मंजूर किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : (क) जी, हां ।

(ख) 1973–74 के दौरान, दार्जिलिंग जिले के त्वरित विकास के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही पर खर्च करने के लिए 30 लाख रुपये की राशि पश्चिम बंगाल सरकार को मंजूर की गयी थी। चालू वर्ष के दौरान, समस्त राज्य योजना संसाधनों में से इन क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गये परिव्यय को पूरा करने के वास्ते 2.5 करोड़ रूपये का आवंटन विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में किया गया है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिये भारतीय मानक संस्था का प्रमाणपत्र

4139. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज के निर्बल वर्ग के उपभोग के लिए बनाई जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए भारतीय मानक संस्था का प्रमाणपत्र देने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या मिलावट के विरुद्ध यह गारंटी होगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) आई० एस० आई० प्रमाणिकरण तथा इसी प्रकार के किस्म नियन्त्रण और प्रमाणिकरण का प्रयोग जनउपयोग की अनेक आवश्यक वस्तुओं जैसे दवाइयों, पैक किए गए खाद्य तेलों आदि के लिये पहले से ही किया जा रहा है। खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में खाद्य सामग्रियों के संबंध में निम्नतम गुणप्रकार बनाये रखने का विनिर्देश है तथा मिलावट रोकने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को अधिकार दिए गये हैं ।

एकाधिकारी गृहों द्वारा पिछडे क्षेत्रों में नये एककों की स्थापना

4140. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकारी गृहों द्वारा देश में पिछड़े क्षेत्रों में नये एकक स्थापित करने पर लगे सब प्रतिबन्धों को हटा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन एकाधिकारी गृहों के नाम क्या है ; जिन्होंने राज्यवार एकक स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) फरवरी, 1973 के नीति विषयक वक्तव्य में गिनाये गये औद्योगिक एककों की स्थापना पर बड़े औद्योगिक गृहों पर लगाया गया प्रतिबन्ध उद्योगों के प्रकार से सम्बन्धित है न कि स्थापना स्थल से । अनुमति प्राप्त उद्योग क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक गृह पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित कर सकते हैं । औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्र

पर विचार करते समय अनुसूचित पिछड़े जिलों में स्थापित किये जाने वाले एकक को यदि वे अन्यथा उचित हों तो, प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) 1973 में पिछड़े जिलों में स्थापित किये जाने वाली योजनाओं के लिए बड़े गृहों की 9 औद्योगिक लाइसेन्स तथा 9 आशयपत्र दिये गये थे।

सी० एस० आई० आर० में पंजीकृत विदेशों में प्रशिक्षित भारतीय

4141. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० एस० आई० आर० में पंजीकृत विदेशों में प्रशिक्षित भारतीयों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ; और

(ख) उन्हें खपाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई): (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग के अन्तर्गत 31-10-74 तक विदेशों में प्रशिक्षित 19,743 भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रौद्योगिकीविद् एवं चिकित्सा कार्मिक के नाम दर्ज थे।

उनका श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नलिखित था :—

वैज्ञानिक	6,305
इंजीनियर	7,425
प्रौद्योगिकीविद	1,186
चिकित्सा कार्मिक	3,838
सामाजिक-वैज्ञानिक	367
व्यावसायिक प्रशासनिक	622
व्यवस्था	19,743

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग में पंजीकृत बेरोजगार वैज्ञानिकों को रोजगार प्रदान करने के लिये किये गये उपाय :—

(i) प्रवासी भारतीय अनुभाग में अंकित उन सारे व्यक्तियों के नामों का, जिनको भारत में कोई रोजगार नहीं मिला है, "वैज्ञानिक पूल" के अन्तर्गत चयन के लिये "स्वत: ही" विचार किया जाता है। उम्मीदवारों की योग्यता को ध्यान में रखकर उनका चयन किया जाता है।

(ii) प्रवासी भारतीय अनुभाग के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों का विवरण वर्गीकृत निर्देशिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है और उसका सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों में वितरण किया जाता है ताकि वह उससे पूर्ण लाभ उठा सके।

(iii) संघीय लोक सेवा आयोग एवं कुछ राज्यीय लोक सेवा आयोग अपने द्वारा प्रकाशित पदों के चयन के हेतु विदेशों में रह रहे पंजीकृत भारतीयों को "व्यक्तिगत सम्पर्क" का उम्मीदवार मानते हैं ।

(iv) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के टैक्निकल मैनपावर बुलेटिन में भारत में लौटकर आ रहे पंजीकृत व्यक्तियों का विवरण प्रकाशित किया जाता है और रोजगार के लिये उपलब्ध ऐसे व्यक्तियों के नामों पर विचार करने के लिये बुलेटिन के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों में वितरित किया जाता है ।

(v) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् रिक्त स्थानों के लिये विज्ञापित अधिसूचनाओं के प्रत्युत्तर में उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करती है ।

(vi) विदेशों में रह रहे विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक आदि को, जिनकी सेवायें देश को विकास और अनुसंधान प्रायोजनाओं में सहायक हो सकती है, त्वरित रोजगार प्रदान करने के लिये अधिसंख्यकपदों को निर्माण करने के लिये योजना का भारत सरकार ने अनुमोदन किया है । ये पद इनके लिए विशेष रूप से निर्माण किये जाते हैं और इन वैज्ञानिकों को उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुरूप वेतन दिया जाता है ।

(vii) जिस वैज्ञानिकों का विदेशों में भारतीय अनुसंधान संस्थानों में काम करने हेतु पदों के लिये चयन हो गया है और जिन्होंने उन संस्थानों में तीन वर्ष तक सेवा करने के लिये अपने को अनुबन्धित कर लिया है, उन चुने हुए प्रत्याशियों एवं उनके परिवारों को भारत की हवाई यात्रा संबंधी खर्च के हेतु यात्रा भत्ता प्रदान करने की व्यवस्था है ।

(viii) उन भारतीयों वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों और इंजीनियरों को, जो विदेशों में उत्पादन यूनिटों में कार्यरत हैं, आकर्षित करने, वापिस लाने तथा देश में निजि उद्योग शुरू करने के लिये, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनमें उन्होंने अधिक उत्पादन कौशल प्राप्त किया हो एक पैकेज योजना का अनुमोदन किया गया है।

पूना में एक ट्रैक्टर कारखाने का बन्द किया जाना

4142. श्री एस० आर० दामाणी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में एक ट्रैक्टर कारखाने, जिसके लिए 10000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बनाने का लाइसेंस दिया गया था, बन्द होने जा रहा है ; और

(ख) उक्त कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ हुआ था, कितने ट्रैक्टर बनाये गय हैं और उसे बन्द करने का निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) मे० राजा बहादुर मोती लाल पूना मिल्स लि०, पूना, को वर्ष 1972 में प्रतिवर्ष 10,000 की क्षमता में देशी डिजाइन के ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। उत्पादन सितम्बर, 1973 से आरंभ हो गया है। सितम्बर, 1973 और अक्तूबर, 1974 के बीच कुल 106 ट्रैक्टर निर्मित किए गए थे। अब पता लगा है कि म० राजा बहादुर मोती लाल पूना मिल्स लि० ने अपना यह उपक्रम मे० पित्ती टूल्स (प्राइवेट) लि० पूना को बेच दिया है जिनका कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण जारी रखने का विचार है ।

वर्ष 1974-75 में बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

4143. **श्री शुकदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974–75 के दौरान बिहार राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है तथा निर्धारित लक्ष्य कहां तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने 1974–75 के दौरान 1,500 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने 30–9–1974 तक 61 गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया है। इसमें सन्देह है कि क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय बिजली नीति का निष्पादन

4145, **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बिजली नीति बनाने और उसको क्रियान्वित करने में तालमल और मध्यस्थता करने के निर्धारित कार्य की पूरा करने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विफल रहा है ; और

(ख) इस संगठन को क्रियाशील बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में एक केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था थी। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का एक कार्य राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करना था। बहरहाल, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के लिए कोई पूर्ण-कालिक सदस्य नियुक्त नहीं किए गए थे, परन्तु केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के कुछ सदस्य केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के पदेन सदस्य थे।

बिजली उद्योग के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के एक भाग के रूप में, और केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के पूर्व क्रियाकलापों को देखते हुए सरकार ने पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्ति करके और उन्हें कार्य-संबंधी जिम्मेदारियां सौंप कर, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के कार्यों और जिम्मेदारियों में वृद्धि की जा रही है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के मुख्य कार्यों को लोकसभा में 24–7–1974 को अतारांकित प्रश्न सं० 351 के उत्तर में सूचित किया गया है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

4146. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री सी० जनार्दनन :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में विचार कर रही है जिन्होंने पुन्नप्रा वायालार आन्दोलन (केरल) तथा तेलंगाना आन्दोलन (आन्ध्र प्रदेश) में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा अन्तिम निर्णय कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) क्या पुन्नप्रा वायालार और तेलंगाना संघर्षों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में मान लिया जाय, यह प्रश्न विचाराधीन है। यह बताना संभव नहीं है कि इस मामले में कब तक निर्णय लिया जा सकेगा।

पटियाला जिले, पंजाब में स्थित नाभा में स्कूटर निर्माण करने वाला कारखाना

4147. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटियाला जिले में स्थित नाभा में लगभग 13 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से स्कूटर निर्माण करने वाला एक कारखाना स्थापित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इसमें उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में स्कूटर का निर्माण करने वाले बहुत से कारखाने, कुछ सरकारी क्षेत्र में और कुछ निजी क्षेत्र में, स्थापित किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार और सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र वार इनकी संख्या क्या है और इनकी उत्पादन क्षमता तथा इन कारखानों के पूरा होने की तारीख का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मे० पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को प्रतिवर्ष 24,000 स्कूटरों का निर्माण करने के लिए नाभा, जिला पटियाला में एक परियोजना स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है। इसके लिए उन्होंने मे० स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के साथ लाइसेंसिंग करार किया है। प्रथम अवस्था में जब इंजनों और गियर बाक्सों की सप्लाई मे० स्कूटर्स इण्डिया लि० द्वारा की जायेगी, 2 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन होने का अनुमान है। जब राज्य औद्योगिक विकास निगम अपने एकक में स्वयं ही इंजनों और गियर बाक्सों का निर्माण करेगा तो इस विनियोजन में वृद्धि होने की संभावना है। इस एकक के 1976 के मध्य तक उत्पादन प्रारंभ करने की आशा है।

(ग) तथा (घ) मे० स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, जो सरकारी क्षेत्र का एकक है और प्रतिवर्ष 1,00,000 स्कूटरों की क्षमता से स्कूटरों का निर्माण करने हेतु स्थापित किया गया है, में दिसम्बर, 1974 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की योजना है। गत तीन वर्षों में कोई अन्य नया एकक अभी तक वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन क्षमता स्थापित नहीं कर सका है।

रेनीगुंटा, चित्तुर जिला, आंध्र प्रदेश में तीन पहियों वाली छोटी कार का निर्माण

4148. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री सरजू पांडेय :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेनीगुटा, चित्तुर जिले में हल्के भार वाली तीन पहियों की छोटी स्कूटर कार बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तीन पहियों वाली मोपेड से यह कितनी भिन्न है ; और

(ग) क्या सरकार पेट्रोल की बहुत कम खपत करने वाली इस तीन पहियों वाली स्कूटर कार, जो आम जनता की कार है, का निर्माण करने के लिये हर संभव तरीके से सहायता देगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन पहिए वाले स्कूटर के विपरीत स्कूटर कार एक हल्के भार वाली यात्री कार है, जिसकी बाडी फाइबर ग्लास है की और इसमें आगे की ओर दो पार्श्वद्वार है तथा बैटरी चालित स्वतः चालू होने वाले यंत्र से युक्त है। इसमें आगे दो वयस्क व्यक्तियों और पीछे दो बच्चों के बैठने का स्थान है। इसमें आगे दो पहिए हैं और पीछे एकपहिया है, स्टीयरिंग और नियन्त्रण यंत्र कारों की भांति है। बताया गया है कि स्कूटर कार एक लीटर पेट्रोल से 28 किलोमिटर तक चल सकती है ।

(ग) जी, हां, हर उचित तरीके से ।

जनता से वास्तता रखने वाले मंत्रालयों और विभागों में शिकायत पुस्तकें रखा जाना

4149. **श्री राजाधर माझी :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग को इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि जनता के साथ वास्ता रखने वाले सभी मंत्रालयों तथा विभागों को शिकायत पुस्तकें रखनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की उपर्युक्त सिफारिश पर सरकार के निर्णय को सभी विभागों तथा मंत्रालयों को, उस पर कार्यान्वियन सम्बन्धी आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए भेज दिया गया है ।

चालू तथा नई परियोजनाओं के बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई जानकारी

4150. **श्री गजाधर माझी** : क्या **योजना** मंत्री राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को चल रही तथा नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिये अनुदेश के बारे में 27 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2220 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ।

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : राज्य वार्षिक योजना 1975–76, जिसमें जारी और नई परियोजनाओं/कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचना दी गई के बारे में प्रस्तावों के प्रारूप अभी उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं। इन पर 14 और 15 जनवरी, 1975 को विचार होगा जो तारीखें योजना आयोग में उनके प्रस्तावों पर विचार विमर्श के लिए निश्चित की गई ।

दिल्ली में अपराधों के मामले

4151. श्री नारायण चन्द पराशर :
श्री आर० वी० बड़े :
श्री एस० एन० मिश्र :
श्री आर० एन० बर्मन :
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से नवम्बर, 1974 तक दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में हत्या, डकैती, बलात्कार और चोरी के कितने मामले हुए ;

(ख) वर्ष 1971, 1972 और 1973 के इन्हीं महीनों में उक्त किस्मों के मामलों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या ऐसी घटनाओं में वृद्धि का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

1971, 1972, 1973 तथा 1974 में जुलाई से नवम्बर, तक के महिनों मे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में हुई हत्याओं, डकैतों, बलात्कार तथा चोरियों के अपराधों का विवरण।

	अपराध का शीर्ष	1-7-71 से 30-11-71 तक	1-7-72 से 30-11-72 तक	1-7-73 से 30-11-73 तक	1-7-74 से 30-11-74 तक
1.	हत्याएं	40	63	61	70
2.	डकैती	5	19	13	10
3.	बलात्कार	26	12	19	21
4.	चोरियां	7,341	8,582	8,069	8,350

पश्चिम बंगाल में डाक-तार डिवीजन के कर्मचारी

4152. श्री सरोज मुखर्जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, वर्षवार पश्चिम बंगाल में डाक-तार डिवीजन में नियुक्त किए गए राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : पश्चिम बंगाल सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की वर्षवार संख्या निम्नलिखित है :--

	1971	1972	1973
राजपत्रित	4	3	7
अराजपत्रित	425	913	910

गुजरात राज्य कपड़ा निगम द्वारा चलायी जा रही संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता

4153. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य कपड़ा निगम द्वारा गुजरात में चलाई जा रही संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको उदारतापूर्वक ऋण देकर सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तैयार माल की मांग धीमी पड़ जाने तथा ऋण मिलने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण सम्पूर्ण रूप से कपड़ा उद्योग की समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है। गुजरात के संकटग्रस्त कपड़ा एककों की दशा अपेक्षाकृत फिर भी बेहतर है तथा इन एककों में उत्पादन सामान्यस्तर पर रहा है। अतएव मिलों के वित्तीय दृष्टि से संकटग्रस्त होने का खतरा नहीं जान पड़ता है।

(ख) स्वीकृत सीमा तक बैंकों से पुनः ऋण प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

टेलिफोन कालें रिकार्ड करना

4154. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलिफोन विभाग द्वारा एक नई व्यवस्था की गई है जिसमें डायल किये गये नम्बर को रिकार्ड किया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या नई व्यवस्था में ट्रंक टेलिफोन काल का समय भी रिकार्ड किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या नई व्यवस्था से डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन की गई कालों के बारे में अधिक राशि के बिल भजने के मामले पकड़ने में सहायता मिलेगी ; और

(ङ) क्या नई व्यवस्था लागू कर दी गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) टेलीफोन एक्सचेंज में इस्तेमाल में लाने के लिए भारत इलक्ट्रानिक्स के सहयोग से एक प्रोटोटाइप उपभोक्ता प्रेक्षण यंत्र तैयार किया गया है।

(ख) और (ग) यह नया यंत्र उपभोक्ताओं की लाइनों से की गई स्थानीय कालों और उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग कालों को रिकार्ड करेगा। चूंकि यह यंत्र काल के शुरू होने का समय और उसके पूरा होने का समय रिकार्ड करेगा; इसलिए काल की अवधि निकाली जा सकती है। काल के दौरान मीटर के पल्सों को भी यह यंत्र रिकार्ड करता है।

(घ) जहां तक पिछली अवधि की कथित ज्यादा कालों का संबंध है नई प्रणाली से अधिक रकम के बिलों के बारे में पता लगाने में सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन जब कभी कोई उपभोक्ता अधिक रकम के बिल प्राप्त होने के बारे में शिकायत करेगा तब इस प्रकार का यंत्र एक्सचेंज में उसकी लाइन के साथ जोड़ा जा सकता है और उसके द्वारा बाद में की जाने वाली कालों के संबंध में कुछ प्रेक्षण किए जा सकते हैं। इसके बाद यंत्र को हटा दिया जाएगा। जिस समय इस यंत्र की सहायता से उसकी लाईन का प्रेक्षण जारी रहेगा, उस समय इस यंत्र के जरिए काल किये गए टेलिफोन नंबर, काल का समय आदि दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उपभोक्ता इस छपे हुए रिकार्ड के बारे में विवाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। चूंकि यह यंत्र समय और डायल किया हुआ टेलीफोन नंबर सूचित करता है, इसलिए यह सूचना उपभोक्ता को दी जा सकती है। उपभोक्ता यह पता लगा सकता है कि उस समय किस व्यक्ति ने टेलिफोन का इस्तेमाल किया होगा। इस तरीके से उपभोक्ता इस बारे में कुछ आश्वस्त हो सकता है कि उसकी जानकारी के बिना उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग कालों के लिए उसके टेलिफोन का संभावित दुरुपयोग किस प्रकार होता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसकी संभावना से अधिक रकम के बिल भेजे जा सकते हैं। अगर काल की अवधि के अनुसार आवश्यक संख्या से अधिक मीटर स्पंदन रिकार्ड होते हैं तो इससे विभाग को उपस्कर की खराबियों का पता लगाने में मदद मिलती है: इस प्रकार अधिक रकम के बिलों के कारणों का पता लगाने और भविष्य में अधिक रकम के संभावित बिलों की रोक-थाम के लिए नया यंत्र उपभोक्ता और विभाग दोनों की सहायता करेगा।

(ङ) अभी तक नहीं।

ऊर्जा स्रोतों सम्बन्धी कार्य के समन्वय के लिये एक विशिष्ट सैल की स्थापना

4155. श्री डी० डी० देसाई :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऊर्जा के संबंध में अपरम्परागत स्रोतों के विकास कार्य को समन्वित करने तथा उसमें तेजी लाने के लिए एक विशिष्ट सैल की स्थापना की है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने भारत में विद्युत सप्लाई पर तेल संकट के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले विद्युत केन्द्रों संबंधी आयोजना के बारे में कोई निष्कर्ष निकाले गये हैं ताकि उनको तेल की गौण ईंधन के रूप में भी आवश्यकता न पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषतायें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) ऊर्जा मंत्रालय के सृजन से पूर्व ही, एक विशेष कक्ष ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोतों के विकास को समन्वित करने के लिए स्थापित

किया जा रहा था। ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोतों के विकास का समन्वय कार्य अब ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : ईधन तेल के स्थान पर कोयले को प्रतिस्थापित करने का कार्यक्रम विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रो में कार्यन्वयन के लिए पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है। विद्युत केन्द्रों में अपक्षित तेल को गौण ईधन के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए अध्ययन किए जा रहें है।

रबी गेहूं संबंधी परियोजनाओं पर नई विद्युत योजना का प्रभाव

4156. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत की भारी कमी का प्रभाव न्यूनतम करने के लिये कोई नई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नई योजना से रबी की गेहूं की फसल की संभावनाएं बढ़ जायेंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) देश के कुछ भागों में विद्युत की थोड़ी कमी विदयमान है। वर्तमान केन्द्रों से विदयुत उत्पादन को अधिक तम करना अतिरिक्त विद्युत वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्रों में विदयुत का अंतरण और उन परियोजनाओं, जो पूर्णता के अग्रिम चरण में है, को पूर्ण करने में तेजी लाना आदि कार्यस्थिति का सामना करने के लिए उठाया जा रहे कदमों में से मुख्य कदम हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सभी राज्यों को बिजली की अनुत्पादक तथा अनावश्यक खपत को कम करने और कमी की स्थिति में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार विद्युत आबंटन करने के लिए निर्देश जारी किए थे। तदनुसार, कृषि के लिए विद्युत की सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है और मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को चालू रबी मौसम के लिए अधिकतम संभव सीमा तक पूरा किया जा रहा है।

Production in Gaya Cotton and Jute Mill Gaya

4157. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the production of the Gaya Cotton and Jute Mills, Gaya taken over as sick textile mill; and

(b) whether Government propose to augment the working of the capacity and production of the said mill and if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) During the months January to October, 1974 the mill produced 2.36 lakh kgs. of yarn valued at Rs. 34.66 lakhs and 16.28 lakh metres of cloth valued at Rs. 35.39 lakhs.

(b) Yes, Sir. A programme to modernise the existing machinery and to expand the capacity of the mill by additional 20,000 spindles at a cost of Rs. 193.90 lakhs is being processed.

बड़े एककों द्वारा छोटे एकक स्थापित किया जाना

4158. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री एस० ए० मुरुगन्तम :

क्या **उद्योग और नागरीक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बड़े एककों ने लघु क्षेत्र के दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग करने के लिये प्रत्यक्ष या परोक्षा रूप से लघु एकक स्थापित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ख) सरकार की नीति नई औद्योगिक क्षमता स्थापित करने में लघु तथा मंझौले उद्यमियों को तरजीह देने की है। बड़े औद्योगिक घराने सामान्यत: जहां उत्पादन मुख्य रूप से निर्यात के लिये किया जा रहा हो, को छोड़कर, दिनांक 2 फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति वक्तव्य की अनुसूचि 1 में सम्मिलित न किय गये उद्योगों से निकाल दिये जायेंगे।

बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा छोटे कारखाने स्थापित किये जाने पर कोई भी रोक नहीं है बशर्ते कि अलग कानूनी सत्ता हो। वास्तविक लघु एकक जिन सुविधाओं को पाने के हकदार है उनके दुरूपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि बड़े उपक्रमों द्वारा स्थापित अथवा उनके द्वारा नियंत्रित छोटे कारखानों को ऐसी कोई भी विशेष सहायता नहीं मिलेगी जिसके लिये वास्तविक लघु एकक छोटे उद्योगों के विकास के लिये सरकारी कार्यक्रम के अंतगत हकदार है।

भारतीय औद्योगिक उपक्रमों में अमरीकी हित

4159. **श्री सी० जनार्दन :**

श्री एम० कसामुतु :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका में भारतीय राजदूत द्वारा अमरीकी औद्योगिक हितों को की गई इस पेशकश की ओर दिलाया गया है कि यदि ये नये औद्योगिक उपक्रमों में आधी पंजी लगाने पर सहमत हों तो भारत उससे अधिक पूंजी लगाने के लिये तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे मे सरकार की क्या प्रति क्रिया हे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) भारत अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं के बारे में बातचीत करते हुए अमरीका में भारतीय राजदूत ने कहा था कि सरकार की सामान्य नीति विदेशी इक्विटी सहयोगिता को 40 प्रतिशत तक सीमित रखने की है फिर भी वे उद्योग जो पूर्णतया

निर्यातोन्मुख है अथवा जिनमें आयात की बचत होती है अथवा जिनमें भारत को समुन्नत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मिला सकती है तथा अनुसंधान व विकास के परिणामों का लाभ निरन्तर मिल सकता है तो सरकार अमरीकी पार्टियों के आधे से अधिक के प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। राष्ट्रहित में ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

राजस्थान औदयोगिक क्षेत्र-इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की कमी

4160. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1974 के दिल्ली के एक अंग्रेजी पत्र में "राजस्थान इंन्स्ट्रीयल एरियल्स–इनफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मैकिंग" शीर्षक के अन्तगत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए ऐसी सुविधाओं की कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक सहायता हेतु राजस्थान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(घ) सरकार दवारा आवश्यक सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) प्रश्न में उल्लिखित समाचार का सम्बन्ध राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों को कुछ स्थानीय समस्याओं से है। इन समस्याओं को सुलझाने का कार्य राजस्थान सरकार का है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में मदद करने के लिए इस मंत्रालय को राजस्थान सरकार में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

राजस्थान में भारतीय मानक संस्थान की प्रयोगशालाओं का स्थापित किया जाना

4161. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमाणीकरण, अंकन और किस्म सुधार कार्यक्रम के काम में द्रुत गति लाने के लिए देश में भारतीय मानक संस्थान को नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोग शालाएं कितनी संख्या में और किन किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी और ये प्रयोगशालाएं कब तक काम करना शुरू कर देंगी और देश में व्याप्त मिलावट की ये प्रयोगशालाएं किस हद तक रोक सकेगी ; और

(ग) इन प्रयोग शालाओं को राजस्थान में स्थापित न करने के क्या कारण है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) भारतीय मानक संस्थान के दिल्ली स्थित मुख्यालय में तथा 1969 से उसके कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास स्थित शाखा कार्यालयों में आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिन्होंकन योजना चल रही है और प्रयोगशालाओं में नमूने की जांच की जाती है । नमूनों के जांचे जाने की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए प्ररीक्षण की विद्यमान सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु आई० एस० आई० मुख्यालय स्थित पयोगशाला को यथा समय गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर देने का विचार है । भारतीय मानक संस्था

में एक केन्द्रीय प्रयोग शाला भवन बनाने हेतु योजनाएं तैयार की जा रही है तथा आशा है कि 1977-1978 तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा। मद्रास में एक कार्यालय एवं प्रयोगशाला भवन निर्माणाधीन है जिसके आगामी वर्ष में पूरे बन जाने की आशा है। इसी कार्य के लिए कलकत्ता तथा बम्बई में भी भूमि प्राप्त कर ली गई है व सम्भवत: 1976-77 के पूर्व ही निर्माण कार्य के प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।

आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिन्हांकन योजना ऐच्छिक योजना है तथा केवल वे ही निर्माता जो आई० एस० आई० योजना के अन्तर्गत लाइसेन्स देते हैं, उन्हें भारतीय मानकों के अनुरूप आई० एस० आई० के पर्यवेक्षण तथा जांच के किस्म नियंत्रण कराना होता है। खाद्य पदार्थ सामान्यत: एगमार्क योजना तथा कृषि मंत्रालय की परिष्कृत खाद्य आदेश (एफ० पी० ओ०) योजना में आते हैं; जबकि मिलावट रोकने का कार्य विशिष्ट रूप से स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों की खाद्य उपमिश्रण निवारण नियमावली के अन्तर्गत आता है।

(ग) इस समय दिल्ली स्थित मुख्यालय में ही राजस्थान सहित उत्तर भारत की आई० एस० आई० प्रमाणीकरण योजना के कार्य का नियन्त्रण किया जाता है। आई० एस० आई० मुख्यालय की प्रयोगशाला समूचे उत्तरी भारत निर्मित वस्तुओं की जांच की मांग को पूरा करने में समर्थ है। राजस्थान में आई० एस० आई० प्रमाणीकरण योजना के अधीन केवल 60 लाइसेन्स जारी किये गये हैं जबकि आई० एस० आई० के कुल कार्यशील लाइसेन्स 2,328 हैं। फिर भी, यदि लाइसेन्सों की संख्या में वृद्धि हुई तथा राजस्थान में अन्य कार्य आगे बढ़ा तो आई० एस० आई० द्वारा इस राज्य में भी जांच की सुविधाओं वाला एक शाखा कार्यालय खोलने पर उपर्युक्त रूप से विचार किया जायेगा।

'प्रेशर कुकर' की कीमत

4162. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान घरेलू "प्रेशर कूकर" की कीमतों में तीन बार वृद्धि की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और छोटे औद्योगिक एककों पर उसका कितना कुप्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या "प्रेशर कुकर" के प्रभावशाली निर्माणकर्ता इसकी कीमतों में और अधिक वृद्धि करने के बारे में विचार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हित में वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (घ) "प्रेशर कुकर" की कीमतों पर कोई नियन्त्रण नहीं है व सरकार इनकी कीमतों पर कोई निगरानी नहीं रखती है।

दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के फैडरेशन द्वारा आन्दोलन

4164. श्री मोहम्मद शरीफ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग का कर्मचारी संघ गत दो महीनों से मद्रास में आन्दोलन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) फिल्म एमप्लाईज केडरेशन आफ साउथ इण्डिया न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने तथा काम करने के घण्टो में सुधार करने के लिए आन्दोलन कर रही थी ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

दिल्ली बन्द के दौरान प्रधान मंत्री का कनाट प्लेस, नई दिल्ली जाना

4165. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 नवम्बर, 1974 को जब प्रधान मंत्री कनाट प्लेस नई दिल्ली में खरीददारी करने के लिए गई थी तब पुलिस अधिकारियों ने कुछ दुकानदारों को अपनी दुकानें, जो बन्द थी, खोलने के लिए मजबूर किया था ; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री के इन दुकानों से चले जाने के बाद ये दुकाने दिल्ली बन्द के कारण पुनः बन्द कर दी गई थी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जब 4 नवम्बर, 1974 को प्रधान मंत्री कनाट प्लेस गई थी तो पुलिस ने किसी दुकानदार को अपनी दुकान खोलने के लिए मजबूर नहीं किया था और ये दुकानें उनके चले जाने के बाद भी खुली रही ।

बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक वैज्ञानिक का गिरफ्तार किया जाना

4166. **श्री मधु दण्डवते :**
श्री हुकुम चन्द कछवाया :
श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक वैज्ञानिक अधिकारी को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की प्रयोगशाला की सम्पत्ती की चोरी के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ख) क्या जांच से इस मामले में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के किसी वरिष्ठ अधिकारी के अन्तर्ग्रस्त होने का पता चला है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक मंत्री तथा अन्तरिक्ष (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) प्लेटिनम की एक कुठाली, सोने की एक पत्ति तथा चांदी की एक सिली की चोरी के आरोप में 15 अक्तूबर, 1974 को बम्बई पुलिस ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक विज्ञान-अधिकारी को गिरफ्तार किया था ।

(ख) बम्बई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ।

विभागोत्तर डाक कर्मचारी

4167. श्री मधु दण्डवते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेतर डाक-तार कर्मचारियों ने अपनी अपर्याप्त परिलब्धियों तथा उनके साथ होने वाले भेद भाव पूर्ण व्यवहार के बारे में अपनी शिकायतें सरकार को पहुंचा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि विभागोत्तर एजेन्टों को महंगाई भत्ते की मंजूरी इस बिना पर दी जाए कि केन्द्रीय सरकार के नियमित कर्मचारियों को इस प्रकार की रियायत दी जाती है। विभागेतर एजेंटों के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के अनुसार उनकी परिलब्धियां हाल ही में तारीख 1-9-1973 को बढ़ाई गई हैं। विभागेतर एजेन्टों को कोई महंगाई भत्ता स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे ऐजेन्सी के आधार पर डाक संबंधी कार्य करते हैं और उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों के बतौर नहीं समझा जाता। तथापि, उन्हें मिलने वाले कुल परिश्रमिक का पुनरोक्षण हर दो वर्ष में किया जाता है।

श्री जयप्रकाश का आन्दोलन बाहरी शक्तियों से प्रभावित तथा समर्थित

4168. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने जयप्रकाश पर आरोप लगाया है कि उनका यह आन्दोलन बाहरी शक्तियां से प्रभावित तथा समर्थित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Staff for enforcement of Official Languages Act

4169. Shri Yamuna Prasad Mandal : Will the Miniser of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether for endorcing the Official Languages Act, the Ministry had asked the Ministries/Departments about the number of Hindi officers and Translators required for Hindi work; and

(b) if so, the facts thereof and the arrangements made for appointment of Hindi officers and Translators as per requirement?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) and (b) Hindi Officers and/or Hindi Translators were being appointed in various Ministries/ Departments according to their own assessment. As a result whereas in some Ministries/ Departments and other Central Government Offices, the Hindi Staff was found inadequate, in certain others, no Hindi staff had been provided at all. It was, therefore, felt that the staffing pattern in this regard should be standardized. Accordingly, a scale of minimum Hindi staff which could be provided in each Ministry/Department/Office was tentatively worked out and the Ministries were asked to ascertain their requirments on that basis as also the financial implications thereof. Final decision on the staffing pattern to be adopted for this purpose is yet to be taken.

Meanwhile, individual proposals for the provision of additional posts, were required, were being examined on merit; but, in view of the general ban since imposed on the creation of new posts due to financial stringency, the creation of even such posts is now being deferred.

Preparation of "Sansad Samiksha" Broadcast by A.I.R.

4170. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the correspondents who prepared "Sansad Samiksha" and those who were given an opportunity to broadcast programme from A.I.R. during the current year and the names of the newspapers and news agencies with which they are associated;

(b) the basis on which they are selected; and

(c) the names of those correspondents out of them who cover parliamentary proceedings regularly?

The Deputy Ministery in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A statement showing the names of the correspondents who prepared scripts of "Sansad Samiksha", is laid on the table of the Sabha. None of them broadcast the scripts.

(b) The correspondents who are selected to prepare the Sansad Samiksha scripts are drawn in weekly rotation from a panel of experienced journalists who cover Parliament from the Press Gallery for the newspapers or news agencies. Their ability to competently produce a broadcast script, within a short time, is also kept in view.

(c) All those listed in the statement referred to in part (a) of the answer above. The correspondent shown at S. No. 9 of the statement is now dead.

Statement

Names of Correspondents Who Prepared Scripts of 'Sansad Samiksha' During the Calendar Year 1974 (From February 18 Till Date i.e. December 5. 1974)

Sl No.	Name	Newspaper/News Agency affiliation
1	Shri Anand Jain	Nav Bharat Times
2	Shri L. P. Srivastava	Nav Bharat Times
3	Shri J. P. Chaturvedi	Lok Raj
4	Shri K. P. Srivastava	P.T.I.
5	Shri Vinod Mishra	Hindustan
6	Shri Yatindra Bhatnagar	Hindustan
7	Shri P. K. Tripathi	Jagran
8	Shri Hira Lal Chaubey	Sanmarg
9	Late Shri Brahmarshi Kumar Pandey	Hindustan
10	Shri Vinod Gupta	Samchar Bharati
11	Shri Gauri Shankar Sahai	Hindustan
12	Shri Vipin Sharma	Jan Yug
13	Shri Vijay Shankar	Jan Yug
14	Shri Satish Jugran	Samachar Bharati
15	Shri Madhu Sathe	Samachar Bharati
16	Shri Suman	Samachar Bharati

दरभंगा मधुबनी तथा समस्तीपुर जिलों के स्वतंत्रता-सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

4171. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी तथा समस्तीपुर जिलों के स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके मामलो को निपटा दिया गया है अथवा जिनके मामले को निपटाया जाना है तथा उसके क्या कारण हैं और कितनी पेंशन मंजूर की गयी है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Functioning of Telephones in Patna

4172. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether many complaints have been made to him about the functioning of Patna Telephones;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action Government have taken to redress those complaints?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma) : (a) and (b) The number of complaints received by the D.M.T. Patna in writing and verbally from January, 74 to Nov. 74 is 269 as against 427 received during the full year 1973. It may be seen from the above that there is a reduction in the number of complaints received during the current year.

(c) On receipt of complaint, action is taken to localise the fault and restore the telephone quickly. In a few cases complaints were also received when telephones had been disconnected for non-payment of telephone dues.

पंजाब और हिमाचल द्वारा नेपथा झाकरी विद्युत परियोजना की क्रियान्विति

4173. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच 180 करोड़ रुपये की नेपथा-झाकरी विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने सम्बन्धी बातचीत में अड़चन पैदा हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उचित लाइसेंस प्राप्त किये बिना टेलिफन्कन इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित टेप रेकार्डर

4174. **श्री मधु लिमये** : क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई कम्पनी औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही आशय पत्र के आधार पर किसी वस्तु का उत्पादन आरम्भ कर सकती है ;

(ख) जब व्यापार विकास महानिदेशक ने इलैक्ट्रोनिक्स विभाग से शिकायत की थी कि टेलीफंकन इण्डिया लिमिटेड ने औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त किए बिना ही 3607 टेप रिकार्डर बनाये हैं तब टेलीफंकन इण्डिया लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि इस मामले से सम्बन्धित फाइल उन कागजादों से गुम है जो इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के कब्जे में हैं ; और

(घ) सरकार किस आधार पर इस सम्बन्ध में दृढ़ है कि विभाग के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी नहीं है जब कि इन अधिकारियों ने इस अवैध कार्यवाही का समर्थन किया है कि कम्पनी ने बिना औद्योगिक लाइसेन्स के यह उत्पादन किया है जिसकी ओर व्यापारिक विकास महानिदेशक ने विभाग का ध्यान दिलाया था ।

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दीरा गांधी): (क) आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेन्स में रूपान्तरित कराये बिना केवल इस पत्र के आधार पर ही यदि किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो यह प्रत्यक्षत: उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन है ।

(ख) एवं (घ) प्रौद्योगिक विकास महानिदेशालय को एक रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स टेलीफंकन ने 1971 एवं 1972 में रेडियो सेटों के निर्यात के माध्यम से प्राप्त संपूर्ति लाइसेन्सों के जरिये 3607 टेप रिकार्डरों का उत्पादन किया था । 1973-74 और बाद से आयात नीति में इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के कहने पर संशोधन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि रेडियो सेटों के निर्यात के जरिए टेप रिकार्डर किटों के आयात की सम्भावना न रहे । मै० टेलीफंकन के विरुद्ध 1971 व 1972 में टेप रिकार्डरों के उत्पादन के सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू की जा रही है ।

(ग) इस मामले से सम्बद्ध कोई फाइल गुम नहीं है ।

मारुती लि० के लिए संयंत्र मशीनरी और उपकरणों का आयात

4175. श्री मधु लिमये : क्या **उद्योग और नागरीक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली को प्रस्तुत वर्ष 1973-74 के लिए मारुति लि० की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा के अनुसार स्थापित की गई और स्थापित की जा रही संयंत्र मशीनरी और उपकरणों का एक भाग, जैसा कि उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 16-17 में उल्लिखित है, विदेशों से आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की आयातित मदों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भाग (क) में उल्लिखित संयंत्र मशीनरी आदि की कुल कीमत का कितने प्रतिशत भाग आयात पर खर्च किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वार्षिक रिपोर्ट और लेखे में इस प्रकार का कोई विवरण नहीं दिया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भागलपुर डिवीजन में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण

4176. श्री मधु लिमये : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भागलपुर डिवीजन में विशेष कर मुंगेर, भागलपुर टाउन, देवघर (वैद्यनाथ) जमुई, झाझा, बांका, लखीसराय आदि जैसे स्थानों में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण ठीक न होने के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :(क) जी हां।

(ख) शिकायतो पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। जिन मामलों में अपेक्षित होता है सुधारात्मक कार्रवाई तत्काल की जाती है।

यह देखने में आया है कि बिहार के भागलपुर डिवीजन की स्थानीय टेलीफोन सेवाएं कुल मिलाकर संतोषजनक है। तथापि, उपभोक्ताओं को ट्रंक सेवाओं के बारे में कठिनाई हुई है। इस कठिनाई का मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में अक्सर और बड़े पैमाने पर तारों की चोरी होती है। यह बात राज्य सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में लाई गई है। ए-सी-एस आर तारों के बदले में तांबा झले तार लगाने के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। पटना बेगुसराय-मुंगेर-भागलपुर के बीच यू० एच० एफ०/माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने का मामला भी विचाराधीन है।

राज्यों को स्वायत्तता देना

4177. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडू के मुख्य मंत्री ने यह कहा है और इसे बार-बार दुहराया है कि अगर सिक्किम को एक सहायक राज्य के रूप में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन हो सकता है तो इसका संशोधन राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए भी किया जा सकता है ;

(ख) क्या उन्हों ने तमिल नाडू के मुख्य मंत्री से उनके इन वक्तव्यों के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा है ; और

(ग) क्या संविधान के 36 वें संशोधन के पश्चात देश में केन्द्र प्रसारी शक्तियों में प्रसन्नता की प्रवृत्ति पाई गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रैस रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) तथा (ग) जी नहीं, श्रीमान्।

अपनी गतिविधियों को चलाने के लिये भारत, बर्मा और बंगलादेश के विद्रोही संगठनों द्वारा समन्वित सामरिक नीति बनाया जाना

4178. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताव की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, बर्मा और बंगला देश के विद्रोही संगठनों द्वारा एक समन्वित सामरिक नीति बनाये जाने और अपनी गतिविधियों को एक ही कमाण्डर के अधीन संचलित किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार बर्मा और बंगला देश की सरकारों से इस बारे में सम्पर्क बनाए हुए हैं ; और

(ग) क्या मिजो नेशनल फ्रन्ट के विद्रोही ऐजल नगर और शेष संघ राज्य क्षेत्र में खुले आम आते जाते हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) सरकार के पास यह निश्चित सूचना नहीं है कि बर्मा, बंगला देश और भारत के विद्रोही तत्वों द्वारा समन्वित विद्रोह के लिए सामान्य सामरिक नीति बनाने की सम्भावना है।

(ख) भारत सरकार सीमान्त क्षेत्रों में विद्रोह से कारगर रूप से निपटने के लिए बर्मा व बंगला देश की सरकारों के साथ सहयोग के सभी उपायों की निरन्तर खोज करती है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

उद्योगों के लिये आवश्यक वस्तुयें और कच्चा माल

4179. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं और कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो आवश्यक वस्तुओं और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) यद्यपि इस समय जितने निविष्ट साधन और कच्चा माल उपलब्ध है वह उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसमें सुधार करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे है। विद्युत सप्लाई में सुधार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे है और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कई क्षेत्रों, खास तौर से दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में, विद्युत नियंत्रण में सुधार हुआ है। जहां उद्योग के लिए अपेक्षित कच्चे माल देश में उत्पादन पर्याप्त नहीं है उस कमी को पूरा करने के लिए जहां तक सम्भव होता है विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर लगी रोक को ध्यान में रखते हुए आयात की अनुमति दी जाती है।

कलकत्ता में टूल डिजाइन सेंटर स्थापित करने का अनुरोध

4180. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में टूल डिजाइन सेन्टर स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल के कुटीर एवं लघु उद्योग मंत्री से कोई अनुरोध उनके मंत्रालय को मिला है ;

(ख) क्या डेनिश सरकार इस प्रयोजन के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा देने पर सहमत है और मंत्रालय को भारतीय मुद्रा में लगभग 60 लाख रुपये की ही व्यवस्था करनी होगी; और

(ग) सरकार द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता में डेनमार्क की सहायता से टूल रूम की स्थापना करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का समनुरूप अंशदान लगभग 77.50 लाख रुपये होगा जबकि डेनमार्क सरकार का प्रस्तावित अंशदान 205.50 लाख रुपये हैं।

(ग) परियोजना की स्थापना करने के लिए रुपये में भुगतान करने के साधनों की उपलब्धता का पता लगाया जा रहा है।

नाटकीय प्रदर्शन (ड्रॉमेटिक परफोरमन्स) अधिनियम, 1876

4181. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम, 1876 (1876 का अधिनियम संख्या 19) जिसके अन्तर्गत पुलिस के किसी भी ऐसे कमरे या स्थान में दिन में अथवा रात में, आवश्यकता पड़ने पर जबरन

भी, प्रवेश करने का अधिकार का और वे वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते थे तथा वहां कि दृश्यावली पोशाकों तथा अन्य वस्तुओं आदि को अपने कब्जे में ले सकते थे, अभी भी देश का प्रचलित कानून है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में एक नया कानून बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री(श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख)"नाटकीय प्रदर्शनी" का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 राज्य सूची के विषय 33 में सूचीबद्ध किया गया है। अत: कुछ राज्य सरकारों ने अब तक केन्द्रीय अधिनियम का निर्सन करते हुए इस विषय में अपने आप कानून अधिनियमित कर लिए हैं जहां तक उनके क्षेत्र सम्बन्धित थे ।

ऐसे निरसद के बारे में राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Electrification of Villages in Bihar and U.P.

4182. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of villages in Bihar and Uttar Pradesh electrified as a result of rural electrification schemes in 1973-74; and

(b) the amount allotted for rural electrification schemes in Bihar and Uttar Pradesh in Fourth Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddeshwar Prasad) : (a) and (b) 684 villages in Bihar and 2,844 villages in Uttar Pradesh were electrified in 1973-74. An outlay of Rs. 36 crores for Bihar and Rs. 61 crores for Uttar Pradesh was provided under the States Plan outlay for rural electrification in the Fourth Plan. In addition, the States were expected to receive loan assistance from Rural Electrification Corporation Ltd. and other Financing Institutions.

ईरान द्वारा तापीय विद्युत संयंत्रों की खरीद

4183. कुमारी कमला कुमारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान 'टर्न-की' आधार पर चार तापिय विद्युत संयंत्र खरीदने की सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) और (ख) ईरान में तबरोज नामक स्थान पर स्थापित किए जा रहे बिजली घर के लिए 210 मे०वा० वाले दो तापीय विद्युत जनित्रण उपकरणों को सप्लाई करने, उनके लगाने और चालू करने के बारे में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के एक प्रस्ताव के अनुसरण में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने एक प्रतिनिधि मण्डल ने सम्बन्धित ईरानी प्राधिकारियों के साथ बात चीत की है, और उनके निर्णय की प्रतीक्षा है। यदि बातचीत का परिणाम अच्छा निकलता है तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को सम्बद्ध सहायक सामान सहित संपूर्ण विद्युत संयंत्र उपकरणों की सप्लाई करनी होगी और बिजली घर के कार्य को पूरा करने के लिए सिविल कार्य और संस्थापन कार्य का दायित्व भी लेना होगा। ईरान द्वारा उसी बिजली घर में बाद में 210 मे० वा० की क्षमता के दो और एककों के स्थापित किए जाने की भी सम्भावना है।

ऊंची जाति के जमींदारों द्वारा बिहार के मधुबनी जिले के सोहपुर ग्राम के हरिजनों को बन्दी बनाया जाना

1184. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पटना जिले में करोटा स्टेशन के निकट हेबतपुर ग्राम के कुछ ऊंची जाति के जमींदारों ने 10 नवम्बर, 1974 को बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी पुलिस थाने के अन्तर्गत सोहपुर ग्राम के आठ हरिजनों (मुशावरों) को जबर्दस्ती चलती रेल गाड़ी (भोजपुर शटल) से उतार लिया था और बिना कोई मजदूरी दिए गुलाम मजदूरों के रूप में अवैध रूप से बन्दी रखा था; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

आयात लाइसेंस कान्ड के बारे में श्री एल० एन० मिश्र के विरुध्द विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI L. N. MISHRA RE. IMPORT LICENCE CASE

अध्यक्ष महोदय : मुझे विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में दो सूचनाएं प्राप्त हुई है। एक सूचना श्री समर गुह की ओर से आकाशवाणी के महानिदेशक तथा 'न्यू वेव' के श्री गिरीश माथुर के विरूद्ध है। इसका संबंध 9 दिसम्बर, 1974 को आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम में श्री गिरीश माथुर की वार्ता से है। दूसरी सूचना श्री मधु लिमये द्वारा आन्ध्र प्रदेश के एक संसद सदस्य द्वारा भूमि हड़पने के बारे में है। एक दिन में चूंकि एक ही सूचना पर विचार किया जा सकता है अतः हम इस पर आगे किसी दिन विचार करेंगे।

आज हम श्री एल० एन० मिश्रा के विरूद्ध सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, ज्योतिर्मय बसु तथा श्याम नन्दन मिश्र की सूचनाओं पर विचार करेंगे। सामान्यता वक्तव्य के पश्चात इसकी अनुमति नहीं दी जाती परन्तु क्योंकि यह लोग पहले बोलना चाहते थे इस कारण उन्हें अवसर दिया जा रहा है। अतः इसे उदाहरण नहीं बताया जायेगा।

श्री वयालार रवी (चिरमिन्कील) : शोरगुल के पश्चात् सभा स्थगित कर दी गयी थी और भोजन काल के उपरान्त जब पुनः बैठक प्रारंभ हुई तो 6.30 बजे तक व्यवस्था के प्रश्न उठाय जाते रहे। श्री बाजपेयी ने भी एक पत्र पढ़ा। आप उन्हें अब फिर अवसर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुपस्थिति में जो कुछ हुआ मुझे उसका पता नहीं है। परन्तु जिन सदस्यों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी और कुछ कहना चाहते थे उन्हें अवसर दिया जायेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) वे व्यवस्था के प्रश्न उठा रहे हैं अथवा कुछ अतिरिक्त तथ्य बता रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : म आपके विचार की सराहना करता हूं। जो कुछ वह पहले कहना चाहते थ केवल वही कहने की अनुमति दी जायेगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब अनुरोध करने का अवसर दे दिया जाय तो अनुरोधकर्ता को जो कुछ कहना है उसे पूरा ही कहना है। उसे दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता वक्तव्य भी हो चुका है।

अब उनका कहना है कि वह कुछ और कहना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को भी उसको उत्तर देना होगा और फिर उससे कोई नई है बात उठ सकती है। विशेषाधिकार के मामल को एक बार निपटाये जाने पर, चाहे अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध हो, उसे फिर से नहीं उठाया जा सकता। संसदीय प्रक्रिया यही है। सदस्यों को बार बार अपने अनुरोध करने के अवसर दिय जा रहे हैं। यह सब एक-पक्षीय नहीं होना चाहिये। हमारे मुह बंद किय जा रहे हैं और वे बोले जा रहे हैं। यह अन्याय है। यह नियमों एवं ससंदीय प्रक्रियाओं के भी विरूद्ध है। इसको ध्यान में रखा जाये कि किन्ही व्यक्तियों की दीदीलेदार की जा रही है और उन्हें अपने बचाव के अवसर नहीं दिये रहे। (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय मंत्री द्वारा दो प्रकार के व्यक्तव्य दिये जाते है एक वक्तव्य स्वत: दिया जाता है और दूसरा वक्तव्य किसी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के उत्तर केरूप में होता है। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है "मैं श्री एस० एन० मिश्र पर तथ्यों को जान बूझकर कर तोडनेमरोड़ने का आरोप लगाता हूं" (**व्यवधान**)। हमारे द्वारा उठाई गई बातों को उत्तर में माननीय मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है। अत: इस के बारे में हम अपनी बात कह सकते है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उस दिन जो कुछ वह कहना चाहते थे और जो शोर के कारण नहीं कह सके उसके लिए उन्हें अवसर दिया ज़ायेगा। यदि सत्तारुढ़ दल के लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें की जायेंगी तो इसमें और अधिक समय लगेगा।

Shri Madhu Limaye (Banka): In his statement the hon.Minister has not replied to the points raised by me (*Interruption*). In his statement the Minister has said that he did not take any personal interest in the case nor he took the decision. May I submit. that a number of decisions have to be taken before actually deciding to issue a licence. The culmination of decisions is issuance of licence. May I know whether he took any decision in regard to the reopening of the case ?

सी० बी० आई० के चार्ज शीट में भी इस बारे में विरोधाभास है। चार्ज-शीट के अनुसार आयात तथा निर्यात के मुख्यनियन्त्रक ने 7 जून, 1972 के पत्र द्वारा श्री पिल्ले को सूचित किया कि मामला समाप्त किया जाता है। चार्ज शीट में आगे यह भी लिखा है कि पिल्ले से 17 मई, 1972 को अभ्यावेदन मिलने पर जून 1972 में मामला फिर से खोला गया। उस समय श्री एल० एन० मिश्र ही विदेश व्यापार मंत्री थे। 7 जून 1972 का पत्र भेजने के पश्चात मामले को फिर से खोलने के लिए किसने कहा ? कानूनी राय प्राप्त करने की तय किसने दी ? हम 23 अगस्त तथा 23 नवम्बर, 1972 को श्री मिश्र द्वारा की गई पूरी टिप्पणियों को जानना चाहते हैं ?

चार्ज शीट के अनुसार मुख्य नियन्त्रक ने मंत्री महोदय को अन्तिम परामर्श दिया कि मामले को फिर से न खोला जाये। यह 28 अगस्त, 1972 को हुआ। इसका अर्थ है कि श्री मिश्रा की टिप्पणी के पांच दिन के पश्चात इस परामर्श को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि पार्टियों द्वारा मुकदमें न्यायालय से वापस लिये जाते। श्री मिश्र के कहने के अनुसार श्री तुलमोहन इस द्वारा व्यापारियों

[श्री मधु लिमये]

को कहा गया कि मुकदमें न्यायालय से वापस ले। उन्होने मुकदमें वापस लेकर इसकी इत्तला श्री ललित नारायण मिश्रा को दी गई। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने 28 अगस्त 1972 को कोई आदेश नहीं दिय थे। वस्तुतः उस तिथि को उन्होंने मौखिक एवं लिखित आदेश दिय थे कि मामले फिर से खोले जाएं और घटना-स्थलपर जा कर जांच की जाए। इस जांच के आदेश किसने दिये ?

यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञापन श्री ललित नारायण ने लिखा था या नहीं ? चार्ज-शीट से स्पष्ट है कि विशेष कार्य अधिकारी श्री एन० के० सिंह ने श्री तुल मोहन राम को सुझाव दिया कि नया ज्ञापन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि मामले को फिरसे खोलने के लिए मंत्री महोदय के हाथ मजबूत हो सकें। इस ज्ञापन के मिलने के बाद श्री मिश्र ने मामले की फिर से जांच के आदेश दिये। उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने मामले में कोई विशेष अभिरुचि ली। दूसरी ओर मामले से यह स्पष्ट है कि मुख्य नियन्त्रक के परामर्श के बावजूद उन्होंने मामले को फिर से खुलवाया। यहीं नहीं जब उन्हें रेल मंत्रालय में अपने स्थानान्तरन का पता चला तो उन्होंने श्री एन० के० सिंह को आदेश दिया कि उसी दिन टिप्पणी लिखी जाये (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार सब का समय खराब हो रहा है।

श्री मधु लिमये : उन्होंने श्री के० एन० आर० पिल्ले और श्री रामन से, जिन्हें घटनास्थल पर जांच के लिये भेजा गया था, अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त की जिससे कि लाइसेंस जारी करने के लिए रास्ता साफ हो सके। लाइसेंस जारी करने संबंधी सभी कार्यवाही शुरू करने तथा पूरा करने में श्री एल० एन० मिश्र का हाथ रहा है। 5 फरवरी, 1973 को श्री एन० के० सिंह ने भी उन्हीं के कहने पर फाईल पर टिप्पणी लिखि।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री एल० एन० मिश्र ने कहा था कि जब वे विदेश व्यापार मंत्री थे, उस समय विचाराधीन लाइसेंस जारी नहीं किये गये थे और न ही उन्होंने इस आशय का कोई आदेश दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि दोष पत्र में कही गई बातों को ध्यान में रखतें हुए अभ्यावदन 22 नवम्बर, 1972 को मिला और आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक को 24-11-1972 को भेजा गया। 15-2-1973 को उन्होंने विदेश व्यापार मंत्रालय छोड़ दिया था। लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दोष पत्र में इस बात का उल्लेख है कि जब 23-11-72 को श्री तुलमोहन राम मंत्री महोदय से मिले, तो उसके बाद उन्होंने आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक की स्थिति की जांच करने के लिये कहा और उसे शीघ्र पेश करने के लिये कहा 'अभ्यावेदन सी० बी० आई० ई० को 24-11-72 को, अर्थात् उससे अगले दिन मंत्रीजी के निजी अनुभाग से भेजा गया। आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक की सलाह पर अपने 28-8-72 के टिप्पण में मंत्री महोदय ने तब तक पहले ही पांडिचेरी में मामले की घटनास्थल पर जांच के लिए निदेश दे दिया था।

उन्होंने यह भी कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय में मेरे सहयोग ने इस सभा में 9 सितम्बर, 1974 को पहले ही व्यक्तव्य दे दिये जिसमें उन्होने इस बात का उल्लेख कर दिया था कि किन परिस्थितियों में लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया था। अतिरिक्त विशेष लाइसेंसों को जारी करने की प्रथा सरकार ने 1959 में समाप्त कर दी थी और यह भी स्पष्ट है कि 7 आवेदक इस प्रकार के लाईसेंस के लिये शर्तें पूरी नहीं करते थे। 5 फरवरी को श्री मिश्र ने रेल मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला तथा सम्बन्धित फाइल में श्री एन० के० सिंह की यह टिप्पणी है कि मंत्री महोदय इस मामले को शीघ्र ही अंतिम रुप देना चाहते हैं क्योंकि यह लम्बे समय से विचाराधीन पडा है।

विशेष सहायक का काम मामले के उचित अनुचित के सम्बन्ध में सोचना नहीं है। उसका काम तो मंत्री महोदय की इच्छानुसार फाइलों को प्राप्त करना और उनके शीघ्र निपटारे के सम्बन्ध में पत्राचार करना है। मंत्री महोदय का विशेष सहायक के कार्यालय से भिन्न एक अलग कार्यालय था। इसलिए किसी प्रकार की कोई गलती होने की सम्भावना ही नहीं है।

ऐसा भी कहा गया है कि "विदेश व्यापार मंत्री चाहते हैं कि यदि प्रार्थी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उपचारात्मक कार्यवाही की जाए तथा आयात-निर्यात विनियमों के अन्तर्गत उन्हें सम्भव रियायतें दी जायें"

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि "यह पहले ही बताया जा चुका है कि अगस्त 1972 तक श्री के० रामन और श्री के० एन० आर० पिल्लाई समेत अनेकों अधिकारी लगातार इस बात पर दृढ रहे कि यमन और माही के आयातकों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है और इसलिए आयात लाईसेंस यदि देकर किसी प्रकार की राहत देने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामन और श्री पिल्लाई ने जुलाई-दिसम्बर, 1956 से विशेष अतिरिक्त लाईसेंस देने की ही सिफारिश नहीं की बल्कि वर्ष 1955 की अवधि के लिये भी लाईसेंसों की सिफारिशें की" . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है की मंत्री ने कुछ बातों का जवाब नहीं दिया है। मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि ये उन्हीं बातों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे जिनके बारे में मंत्री ने कुछ नहीं बताया ।

श्री ज्योतीर्मय बसु : यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट का अंश है, मैं इससे सिद्ध कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके बारे में नोटिस देना चाहिये था ।

श्री ज्योतीर्मय बसु : कृपया निष्पक्षता से काम लें ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिनके बारे में आपने नोटिस नहीं दिया । आप तो भाषण ही दे रहे है ।

श्री ज्योतीर्मय बसु : नियम 368 के अनुसार यदि मंत्री किसी ऐसे दस्तावेज से उद्धरण देते है जिससे सभा पटल पर नहीं रखा गया तो उसे सभा पटल पर रखा जायेगा । नियम 369 के अनुसार सभा पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज को पेश करने वाले सदस्य प्रमाणित करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य नयी नयी बातें कह रहे हैं और मुझसे सभा-पटल पर नये दस्तावेज रखने की अनुमति मांग रहे हैं ।

श्री ज्योतीर्मय बसु : यदि मैं इन दस्तावेजों को सभा-पटल पर रख दूं तो इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी ।

महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री महोदय द्वारा रमन और पिल्लाई दो अधिकारियों पर पांडिचेरी जाने का दबाव डालने और एक कहानी गढने से पहले वे लगातार कई वर्षों तक इन लाइसेंसों को दिये जाने के विरूद्ध थे ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें ।

श्री ज्योतीर्मय बसु : यह स्मरण रहे कि श्री पिल्लाई और श्री रमन ने 3 और 4 जनवरी को पांडिचेरी में बातचीत की । नियंत्रक की 22 फरवरी 1973 की रिपोर्ट में कहा गया कि यदि इन फर्मों को कुछ लाभ देना ही है तो वह उन्हें केवल उस समय के लिए दिया जा सकता है जिस समय के लिए उन्हें कोटे के प्रमाणपत्र दिये गये हैं ।

मैं समाप्त करते हुए इसे सभा-पटल पर रखता हूं । मैं इसे प्रमाणित कर रहा हूं . . . (**व्यवधान**) ।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय अपना बचाव ठीक ढंग से नहीं कर सके ।

[श्री श्यामनंदन मिश्र]

श्री वाजपेयी की बात का उल्लेख करते हुए 4 दिसम्बर को मंत्री महोदय ने कहा था कि उनके स्वर्गीय पिता का नाम पंडित रविनंदन मिश्र है और रविन्द्र नाथ मिश्र नहीं। क्या इसे एक अच्छा बचाव कहा जा सकता है? क्या नाम की गलतफहमी से इस प्रकार फायदा उठाया जा सकता है जिस प्रकार मंत्री जी ने उठाया है?

मेरी बात का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि "अब मैं अपने मित्र श्री श्यामनंदन मिश्र द्वारा 5-12-74 को लगाये गये आरोप लूंगा। श्री एल० एन० मिश्र ने कहा था कि मैंने 23-11-73 को फाइल पर नोट लिखा था। यहां भी मंत्री महोदय ने तारीखों के बारे में अपने को भ्रांति में डाला है। मैंने टेप सुना है और टेप की जानकारी के बिना भी मैं सच्चा हुं क्योंकि दो स्थानों पर उन्होंने अपनी बातों में इसका उल्लेख किया है। हो सकता है कि रिपोर्टर ने शोर में शब्दों को ठिक प्रकार से न सुना हो। अतः हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो परन्तु फिर भी जो वाक्य रह गये हैं और जो टेप में हैं, अंतिम हैं।

यह 23 अगस्त, 1972 को हुआ था। मैं मंत्री महोदय को संदेह का लाभ दे सकता हूं कि उन्होंने इस बात रिकार्ड नहीं किया था। फिर भी क्या मैंने यह उसी दिन अपने भाषण में नहीं कहा था? मैंने उसी दिन यह कहा था "कि क्या आप यह समझते हैं कि अधिकारी ने यह टिप्पणी इसलिये दी थी क्योंकि वह स्वयं इसे करना चाहता था या इस लिये कि 23-8-72 को मंत्री महोदय ने किया था? अतः मंत्री के लिये यह कहना कि मैंने तिथियों में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है, उचित नहीं है।"

मंत्री महोदय ने अपने ही शब्दों में यह अरोप लगाने का प्रयास किया है और इससे उन्होंने मेरे साथ अन्याय करने का प्रयास किया है। हमारे आरोप हैं कि मंत्री ने इस पर बल देकर कहा है कि उन्होंने अभ्यावेदन को साधारण रूप में सम्बन्धित अधिकारी या कार्यालय में भेज दिया था और इसी कारण वश हमने इसे सिद्ध किया है .... (**व्यवधान**)

मंत्री ने यह भी कहा है कि उन्होने कोई आदेश नहीं दिया था। लेकिन उनके 23-8-72 के ब्यौरे या कार्यवाही और 5 फरवरी 1973 को की गयी टिप्पणी के आधारों पर हमने सिद्ध कर दिया है कि मंत्री ने तुरन्त आदेश दिया था। मंत्री ने अपने वक्तव्य में भी इस बात से इन्कार नहीं किया है कि जैसा कि मैंने उध्दृत किया है, उन्होंने 23 अगस्त, 1972 को कोई टिप्पणी दी थी अब मंत्री ने परोक्ष रुप से कहा है कि यह टिप्पणी किसी को सहायता देने के आशय से नही की गई थी। लकिन रिट याचिकाओं के वापस किये जाने पर उच्च न्यायालय के आदेश से क्या सिद्ध हुआ है? उस आदेश में बताया गया है कि "क्योंकि मामले पर राजिनामा हो गया है, इसलिये श्री सिंह अपनी याचिकाएं वापस लेना चाहते हैं राजीनामा का क्या अर्थ है? यह 11-9-72 की बात है। अतः इस तिथि के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए"।

मंत्री महोदय ने ऐसा भी कहा है कि मैंने उनके विरूद्ध घृणित आरोप लगायें हैं। लेकिन मैंने दुर्भावना से कोई आरोप नहीं लगाये हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि मैंने जानबूझकर तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है। मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं यथार्थ की भाषा में बोलना चाहता था। अतः प्रत्येक तरीके से मंत्री के वक्तव्य से हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है और यह बात निर्विवाद सिद्ध हो गयी है कि मंत्री ने आदेश दिये थे और उन्होंने इस मामले को सामान्य तरीके से नहीं निपटाया है। इस मामले में मंत्री का अपना सक्रिय हित रहा है।

Shri Madhu Limaye : Kindly obtain the text of the compromise regarding withdrawl of petitions from the Government.

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी यहां नहीं हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Hon. Minister should give the statement after the speech of Shri vajpayee.

Mr. Speaker : It was fixed for today. He should have come today.

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं।

श्री श्यामनंदन मिश्र : वे परिसीमन आयोग की बैठक में गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मुझे तो सुचित करना चाहिये था।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिये और यह आज हो जाना चाहिये (**व्यवधान**)।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आप श्री वाजपेयी के बारे में इनकी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बारे में क्या कहना है ?

श्री एल० एन० मिश्र : श्री वाजपेयी ने आपको इस बारे में एक पत्र लिखा है कि या तो आप मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाए या मंत्री के बयान से पहले उन्हें इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाये।

श्री श्यामनंदन मिश्र : हां इसे कल ले सकते हैं (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : हम कल तक उनकी प्रतीक्षा कर लेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1972 के वार्षिक लेखे तथा 1971–72 के लेखापरीक्षित लेखे

उद्योग और नागरीक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं श्री टी० ए० पाई की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1972 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा वर्ष 1971–72 के लेखा-परीक्षक लेखे।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1971–72 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1973 के वार्षिक प्रति-वेदन की एक प्रति तथा वर्ष, 1972–73 के लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०** 8724/74]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री ओम मेहता की ओर से, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक (वेतन) चौबीसवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1260 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 30 नवम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1261 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1262 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8725/74]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

48वां प्रतिवेदन

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबरिया) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति का 48 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

ऋषिकेश स्थित हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स संयंत्र के कर्मचारीयों की बहाली सम्बन्धी निर्णय के कार्यान्वयन में विलम्ब के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Delay in Implementation of the Award about Reinstatement of Employees of Hindustan Antibiotics Plant, Rishikesh

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): नियोजकों और कर्मकारों के बीच (आई० डी० पी० एल० के अध्यक्ष और श्रम निरीक्षक, देहरादून द्वारा स्वीकृत) समझौता-ज्ञापन दिनांक 28-6-1972 को किया गया था। इस ज्ञापन की शर्तों के अनुसार दिनांक 10 अप्रैल, 1972 के मांग-पत्र में निहित तीन शेष मांगें पैट्रोलियम और रसायन मंत्री के निर्णयार्थ भेजी गयी थी, जिनमें से एक मांग एँटी बायोटिक्स संयंत्र ऋषिकेश के पदच्युत कर्मचारियों को बहाल करने से सम्बन्धित थी। भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ने श्रम मंत्री से इस मामले की जांच करने और उस सम्बन्ध में अपने निर्णय से उन्हें अवगत कराने का अनुरोध किया था। भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री, श्रम मंत्री का निर्णय मिल जाने पर, इससे सहमत हो गए थे और उस निर्णय की सूचना दिनांक 11 जून 1974 के अपने पत्र से श्री एस० एम० बनर्जी को दे दी थी। आई० डी० पी० एल० के प्रबन्ध निदेशक को इस निर्णय की सूचना पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में निदेशक द्वारा दिनांक 15 जून 1974 के पत्र द्वारा दी गई थी। प्रबन्धकों को अभी इस निर्णय को अमल में लाना है। मैंने इस मामले और अन्य मांगों पर यूनियन के साथ पहले भी कई बार बातचीत की है। मैं प्रबन्धकों और वर्कर्स यूनियन की एक बैठक अगले सप्ताह इस निर्णय को अमल में लाने के उपायों पर विचार करने के लिए बुला रहा हूं। इस सम्बन्ध में मैं दूसरा व्यक्तव्य चालू सत्र के समाप्त होने से पहले दूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् जी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में मैं पहले ही लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियम तो कोई नहीं है किन्तु आप आपनी बात कह सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह मामला कर्मचारियों और आई० डी० पी० एल० के चेयरमैन दोनों की सहमति से श्रम मंत्री को सौंपा गया था और मई 1974 में यह निर्णय दिया गया था कि बरखास्त किये गये सभी 12 कर्मचारियों को पुनः काम पर लिया जायेगा और उन्हें पिछली अवधि के लिए एक चौथाई मजूरी दी जायेगी। पेट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री बरूआ ने मुझे लिखा था कि बहाली के आदेश जारी किये जाने वाले हैं। परन्तु वह निर्णय अभी तक लागू नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि उन आदेशों को शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
Personal Explanation by Member

श्री वसन्त साठे (अकोला): कल 'टाइम्स आफ इंडिया' समाचार पत्र में यह समाचार छपा था कि मैंने यह कहा कि "विधेयक से सरकार की कपटता का पता चलता है" (दि प्रोविजन बिट्रेड अटर डिसओनेस्टी आफ दि गवर्नमेंट)। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने श्री स्टीफन द्वारा विधेयक में परस्पर विरोधी व्यवस्था के बारे में की गई टिप्पणी के बारे में कहा था कि "यह बिल्कुल कपटपूर्ण है" (इट इज अटरली डिस-ओनेस्ट)। मैंने सरकार की ईमानदारी पर कोई आरोप नहीं लगाया था। मैं चाहता हूं कि उक्त समाचार पत्र इसे ठीक करें।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे लिखना भी चाहिये था।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले वर्षाकालीन सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमन अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले वर्षकालीन सत्र 1975 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Shabha then adjourned for Lunch till thirty miniues past Fourteen of the clock.

लोक सभा 2 बजकर 30 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The House met at Thirty minutes past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक के बारे में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्नों पर विचार करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आज समाचार पत्रों में छपा है कि भारत में चालीस लाख नकली स्विस घड़ियाँ बेची गई हैं। स्विस उद्योग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये घड़ियां वहां नहीं बनी हैं और नकली हैं। इस बारे में मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को नहीं ले रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, While M. I. S. A. amendment was being discussed, I raisd an issue aboutM/s Mody Rubber Limited and sought the permission to lay a document on the Table. Though the same has been laid on the Table, yet I am to point out that shri N. K. P. Salve said on that day that the Managing Director of that firm alleged that it was a forged document. I challenge the Managing Director and ask him to prove that the said document was forged. Shri Salve should also ask the Managing Director to prove that the document was a forged One. I wrote a letter to him and he is circulating a concocted story of the Mody Rubber Company. There should be an inquiry about it. I am ready to face an enquiry.

श्री वयालार रवि. (चिर्रायंकील) : यह समाचार है कि संसद सदस्य श्रीमती गायत्री देवी के आभूषणों की अमरीका में चोरी हो गई है। किन्तु उन्होंने देश से बाहर जाते हुए कोई ऐसी घोषणा नहीं की थी कि वह कौनसी बहुमूल्य वस्तुएं देश से बाहर ले जा रही हैं। नियमानुसार उन्हें ऐसा करना चाहिए था। सदस्या के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

Shri Mohammad Isamil (Barrackpore) : On the night of 3rd December our office was burnt by congressmen. There is no law and order in Orissa. I want that the Home Minister should make a statement about it.

उपाध्यक्ष महोदय : घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, किन्तु विधि व्यवस्था का मामला तो राज्य सरकार के अधीन है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : 10 दिसम्बर के "टाइम्स आफ इंडिया" में यह समाचार छपा है कि एक हरिजन की पिटाई के कारण मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र राज्य विधान सभा में आज इसका उल्लेख किया गया। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : About 37 employees have been dismissed in Vehicle Factory Jabalpur, which is under Ministry of Defence. The dismissed employees were being prosecuted for the offence of theft, dacoity and murder. I request the Government to investigate into the matter and reinstate them and withdraw cases against them.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, yesterday it so happened. Some people including Brahmanand Reddy were proceeding towards India Gate to instal statue of Mahatma Gandhi there. But the police snatched away the statue from the hands of Shri Brahmanand Reddy and threw it on the ground. The statue broke into pieces. It is very shameful. The Minister should give a statement on it and action should be taken.

श्री पी० जी० भावलंकर (अहमदाबाद) : मैं केन्द्रीय सरकार से कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि वह गुजरात राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दे।

किन्तु सरकार की ओर से कोई उत्तर न मिला। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में आश्वासन दे कि राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडू के रामनाथपुरम, पुदूकोटाई, तिरूनेलवेली और मदुरै जिलों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है और वहां लोग भूख से मर रहे हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र से राहत कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह राशि तत्काल मंजूर की जाये। अन्यथा वह स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी।

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक
SICK TEXTILE UNDERTAKING (NATONALIZATION) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर चर्चा को पुनः शुरू करते हैं। कल खंड 5 के बारे में जो व्यवस्था का प्रश्न उठा था, उस पर पहले मंत्री महोदय के विचार सुनें।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : विधेयक के खंड 5 पर चर्चा के दौरान श्री सी० एम० स्टीफन ने यह प्रश्न उठाया था कि खंड 5 के उपखंड (3) का भाग (क) खंड 5 के उपखंड (2) के भाग (ग) का विरोधी है और इसलिए उस पर आगे चर्चा नहीं की जा सकती। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है और इनका अर्थ निकालते हुए संगत व्याख्या का सिद्धान्त को अपनाना चाहिए। उक्त उपबन्धों की व्याख्या इस प्रकार से करने पर यद्यपि संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं संदेह दूर करने के उद्देश्य से खंड पांच में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने उक्त संशोधन का नोटिस दिया है और उसे परिचालित कर दिया गया है। मेरे विचार से उठाई गई आपत्ती का अब निराकरण हो गया है और अब खंड 5 पर आगे चर्चा की जा सकती है।

अब श्री एस० एम० बनर्जी अपना संशोधन संख्या 232 पेश करें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इसे वापस लेता हूं। मैं इसे पेश नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय अपना संशोधन पेश करें।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,

पंक्ति 9 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(a) save as otherwise expressly provided in this section or in any other section of this Act, no liability, other than the liability specified in sub-section (2), in relation to a sick textile undertaking in respect of any period prior to the appointed day, shall be enforceable against the Central Government or the National Textile Corporation.".

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।
Summarised version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

["(क) इस अधिनियम की इस धारा अथवा किसी अन्य धारा में स्पष्टत: उपबन्धित के सिवाय नियत दिन के पूर्व किसी अवधि के बाबत किसी ऋण कंपड़ा उपक्रम के संबंध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट दायित्व के अतिरिक्त कोई अन्य दायित्व केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा।"]

[233]

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 5 पर सभी संशोधन पेश किये जा चुके हैं। डा० लक्ष्मी-नारायण पांडेय .....वह यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री एस० एम० बनर्जी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा पहला संशोधन संख्या 77 है। विधेयक के पृष्ठ 5 पर (ग) में जो व्यवस्था है, उससे कपड़ा मिलों के श्रमिकों और कर्मचारियों की वह मजूरी या अन्य राशि सुरक्षित नहीं होती जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व उन्हें देय थी। यह संशोधन श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों, अधिकारों तथा उन्हें देय राशियों आदि की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। माननीय मंत्री, श्री पाई, ने यह आश्वासन दिया था कि जिन श्रमिकों की सेवा राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को स्थानान्तरित की जायेगी, उनके हितों की रक्षा की जायेगी। उस आश्वासन की क्रियान्विति हेतु मैंने यह संशोधन पेश किया है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो उससे, पहले की सम्पूर्ण अवधि सुरक्षित हो जाती है, चाहे उस अवधि में श्रमिक सिंहानिया, बिरला अथवा थापर बन्धुओं में से किसी के यहां भी कर्मचारी रहा हो।

दूसरी बात संशोधन संख्या 100 के सम्बन्ध में है कि औद्योगिक विवाद प्राय: होते रहते हैं और उन पर न्यायालय या न्यायाधिकरण कर्मचारी के पक्ष में निर्णय भी देते हैं। परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता। उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए और श्रमिकों को देय राशि का भुगतान उन्हें किया जाना चाहिए चाहे वह राशि राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि की ही क्यों न हो। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे संशोधनों की भावना को समझकर उन्हें स्वीकार करेगी।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : Sir, I have amendments Nos. 83 to 87 to clause 5. It is provided to clause 5 that Central Government or the corporation will not be responsible for wages, salaries and other dues of employees of the sick textile mills in respect of any period prior to the management of such mills taken over. In my view this is the responsibility of Government. The workers have been complaining that their amount is not being deposited and they are not getting their salaries and there is gross mismanagement. That is why the need of taking over has arisen. Government should have taken steps to recover Rs. 1. core 12 lakhs which has been accumulated in the form of G. P. Fund with the mill-owner. If Government does not feel its responsibility, nationalisation cannot be a success. The Cooperastion of workers was sought at the time of taking over. They had said that they will work during rest interval also and increase production. Government is now saying that they are responsible after a particular date. In other words they do not want any responsibility in respect of any claim before 1-4-1964. After taking over the mill, a sum of Rs. 83 lakhs have been deposited with the mill and they are not prepared to take the responsibility of recovering it from the management of the Mill. It has been mentioned in the schedule that Government will pay a sum of Rs. 1,000 as compensation of the mill but what will happen to the dues of workers. Government should take care of the interest of workers. Government have reduced the assets. The workers must get their money. This is the intention of the Prime Minister as well. I want that 'just before the prescribed day' words should be deleted from clause 5. Government cannot say that workers cannot go to the court to realise their amount-'Cannot' word should also be deleted. I request that the two amendment should be accepted.

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापूर) : मैं संशोधन संख्या 140 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुबत्रुपुजा) : मंत्री महोदय ने अब जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि मेरे संशोधनों का प्रयोजन काफी हद तक सिद्ध हो गया है। अब राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने, अधिग्रहण के बाद की अवधि के बारे में ही नहीं, सेवा की पूरी अवधि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अब उसे उपदान, पेंशन तथा अन्य लाभों विशेषकर भविष्य निधि की पूरी राशि को हस्तांतरित करना होगा। यदि भविष्य निधि की किसी राशि का समय पर भुगतान नहीं किया गया तो अनुसूची में एक संशोधन किया गया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भविष्य निधि की बकाया राशि को मालिक को देय राशि में से वसूल कर लिया जायेगा। मूल बात यह है कि प्रबन्धक भविष्य निधि सम्बन्धी देयता को स्वीकार कर ले। समस्त भविष्य निधि नये प्रबन्ध को हस्तांतरित कर दी जायेगी और वे भविष्य निधि के बारे में श्रमिकों को जबाबदेह होंगे। जब निगम उपदान और पेंशन के बारे में जिमेदारी लेता है तो वह भविष्य निधि की राशि की जिम्मेदारी लेने से मुकर नहीं सकता। जब वह भविष्य निधि को देयता को स्वीकार करता है तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे। अब मजूरी और वेतन के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध अधिग्रहण से पहले की अवधि के बारे में स्थिति बिकुल स्पष्ट है। इसके लिये प्रबन्धक जिम्मेदार नहीं होंगे। अधिग्रहण के बाद की अवधि के लिये वे जिम्मेदार होंगे। अधिग्रहण की अवधि कुछ मामलों में वर्ष 1959 से है और कुछ में 1961, 1963 आदि। अन्तिम अवधि 1972 की है—अर्थात यह एक लम्बी अवधि है। मैं यह नहीं स्वीकार कर सकता कि संगठित कपड़ा श्रमिकों ने इतनी अवधि की बकाया राशि जमा रहने दी हो। यह कम अवधि की ही हो सकती है। यदि यह सच हो भी, तो इसके लिये अनुसूची में व्यवस्था कर दी गई है। फिर श्रमिकों को देय मजूरी की राशि को पूर्व प्रबन्धग्रहण श्रेणी में प्रथम स्थान देकर एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है।

मिल मालिकों को भी बहुत बड़ी धनराशि दी जाती है। यह ठीक है कि कुछ मिलों को केवल 1000 रुपया ही मिलेगा। वस्तुतः इन मिलों का कई वर्ष पहले अधिग्रहण किया गया था। इनमें मजूरी की राशि जमा होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी यदि कानून में संशोधन किया जाय तो श्रमिक प्रबन्धकों के साथ कुछ फैसला कर सकेंगे। बात केवल यह है कि यदि भूतपूर्व मालिकों पर श्रमिकों का दावा बनता है और इस बात को स्वीकार कर लिया जाये तो निश्चय ही अन्य देयताओं के बारे में कपड़ा निगम पर दबाव डाला जा सकता है। अतः प्रबन्धग्रहण से पहले और बाद की अवधि में विभाजन होना चाहिये। यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाये तो मजूरी और वेतन के लिये व्यवस्था की जा सकती है उसमें कोई जोखिम नहीं है। अब इस विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये है, सभा के सदस्यों की 80-85 प्रतिशत मांगें सरकारी संशोधनों के माध्यम से पूरी कर दी गई हैं। शेष बातें ऐसी हैं जो इन हालात में पूरी नहीं की जा सकती। मैं मंत्री महोदय का धन्यबाद करता हूं कि उन्होंने संसद की भावनाओं का आदर करते हुए यह कार्यवाही की है।

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे (बम्बई-मध्य) : मैं ने संशोधन संख्या 93-95 प्रस्तुत किये है। इस विधेयक में यद्यपि सरकार ने प्रबन्ध अधिग्रहण से पहले की अवधि की पेंशन और उपदान सम्बन्धी जिम्मेदारी अपने पर ले ली है, उन्होंने श्रमिकों की मजूरी, शेष बोनस और भविष्य निधि की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ली है। उनको भविष्य निधि का उपभोग इन मिलों के प्रबन्धकों ने किया है। अनेक मिलो में धोखा-धड़ी हुई है। सरकार को पता है मिल मालिकों ने इस धनराशि को अनेक अन्य उद्योगों में लगाया है। उन्होंने कोई घाटा नहीं उठाया। श्रमिकों के साथ धोखा-घड़ी हुई है। श्रमिकों ने राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है परन्तु वे इस बात से नाराज हैं कि सरकार मिल मालिकों द्वारा प्राप्त मजूरी की राशि और बोनस के भुगतान की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रही है। यह

[श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे]

बताया गया है कि अनुसूची में प्राथमिकता दी गई है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। वे बैंक भी इस धोखा-धड़ी में शामिल हैं जिन्होंने राष्ट्रीयकरण से पहले मिल मालिकों को ऋण दिये थे। अतः सरकार को उनके राशि के भुगतान की पूरी जिम्मेदारी अपने पर लेनी चाहिये। क्या सरकार चाहती है कि श्रमिक न्यायालयों में जाकर मुकदमे चलायें? यह सरकार की ही जिम्मेदारी है जिसने प्रबन्ध अधिग्रहण किया है। सरकार को उन मिलमालिकों की अन्य वाणिज्यिक कम्पनियों की कुर्की करनी चाहिये जिनमें उन्होंने श्रमिकों का धन लगाया है। उन्होंने धोखा-धड़ी कर के यह धन प्राप्त किया है। फिर लाखों रुपयों की भविष्य निधि है और सरकार ने उसके भुगतान के लिये कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अतः मेरा संशोधन अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री सेफियान (कुम्भकोणम) : मैंने संशोधन संख्या 103 प्रस्तुत किया है। संशोधित उपखंड 2 यह है कि केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय कपड़ा निगम अथवा राज्य कपड़ा निगम की अग्रिम राशियां तथा मंजूरी और वेतन आदि प्रबन्ध अधिग्रहण से पहले चाहे वे किसी भी अवधि के क्यों न हों। मेरा संशोधन यह है कि रुग्ण कपड़ा उपक्रमों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा राज्य कपड़ा निगम द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को दी गई गारंटी को समान रुप से प्राथमिकता दी जाये। यदि यह संशोधन न किया गया तो इस बात का ख़तरा है कि तमिल नाडू सरकार द्वारा दी गई अनेक गारंटियां ख़तरे में पड़ जायेंगी। तमिल नाडू औद्योगिक निवेश निगम ने ऋण दिये हुए हैं। सरकार असुरक्षित ऋणों को संरक्षण प्रदान कर रही है। ये सुरक्षित ऋण है जिनके लिये इस विधेयक में संरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था न की गई तो तमिल-नाडू निवेश निगम को 1.6 करोड़ रुपये की हानि होगी। मैं चाहता हूं कि संशोधन संख्या 52 को वर्तमान रूप से प्रस्तुत किया जाये। कर्मचारियों के बोनस आदि के बारे में निर्णय दिया जा सकता है। अतः संरक्षण की व्यवस्था क्यों न की जाये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैंने चार संशोधन दिये हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह उन्हें स्वीकार कर लें।

हमने सरकार को अनेक बार इस तथ्य से अवगत कराया है कि कपड़ा मिलों में बहुत कुप्रबन्ध है और मिलों की उपेक्षा की जा रही है। वर्ष 1958 में कोयम्बतूर में हजारों श्रमिक जेलों में गये। वे राष्ट्रीयकरण की मांग करते रहे परन्तु सरकार ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। श्रमिकों ने हताश होकर अपनी भविष्य निधि में से मालिकों को अग्रिम धनराशि दी ताकि मिलें दोबारा खुल जायें। हम सरकार से कहते रहे कि वह उनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें। अब उन धनराशियों की सुरक्षा के बारे में इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई। मंत्री महोदय ने हमारे विचारों को ध्यान में रख कर अनेक संशोधन प्रस्तुत किये हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। परन्तु उस राशि के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है जो विशेष मंजूरी लेकर श्रमिकों ने भविष्य निधि से निकाली थी और मिल मालिकों को दी थी ताकि वे मिल को चलायें। अब सरकार कहती है कि वह प्रबन्ध अधिग्रहण के बाद की अवधि के लिये जिम्मेदार है तो उस राशि का क्या होगा जिसको उन्होंने पहले बचत की थी? यदि सरकार इस बात को सुनिश्चित नहीं करती कि श्रमिकों को धनराशि श्रमिकों को मिलेगी तो उत्पादन और उत्पादकता पर भाषण देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। श्रमिकों ने उत्पादन बढ़ाने के लिये धन दिया था परन्तु मिल मालिक उस धनराशि को ही हज़म कर गये। सरकार को एक संरक्षक के रूप में गारंटी देनी चाहिये कि श्रमिकों को उस धन की वापसी अवश्य होगी। मैंने अपने संशोधन संख्या 135 में कहा है कि कुछ उद्योगपति मिल चलाने के लिये लोगों से

3500 रुपये या 5,000 रुपये की राशि प्राप्त करते हैं। जब वे बड़े मिल मिलिक बन जाते हैं तो वे उस रकम को वापस ही नहीं करते। इस प्रकार दिये गये धन की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

सरकार को सभी पंचाटों, डिग्रियों तथा आदेशों को क्रियान्वित करना चाहिये। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में श्रमिकों के पक्ष का समर्थन करती रही हैं। अतः उन्हें अपने वचनों का पालन करना चाहिये। जब वे उन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथों में लेते है तो वे डिग्रियों, आदेशों आदि की देनदारियों के लिये भी जिम्मेदार हो जाते हैं। अतः उन्हें मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री एम० आर० दामाणी (शोलापुर) : किसी उपक्रम के मूल्य का हिसाब लगाने के लिये कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। एक ही नगर में दो मिलों का अधिग्रहण किया गया है जिनकी क्षमता और आकार भी समान है फिर भी मुआवजे में लगभग 100 प्रतिशत का अन्तर है। मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

अनेक सदस्यों ने श्रमिकों की बकाया राशि विशेषकर भविष्य निधि की राशि का उल्लेख किया है। यह महत्वपूर्ण बात है। जब सरकार ने किसी उपक्रम को अपने हाथ में लिया है तो उसे भविष्य निधि सहित श्रमिकों की देय राशि का भुगतान करना चाहिये।

महाराष्ट्र सरकार ने पट्टे और लाइसेंस के आधार पर 7-8 मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है। सरकार का प्रयोजन उन श्रमिकों को रोजगार देना था जिन्हें मिलों के बन्द हो जाने पर निकाल दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार को इस काम के लिये न्यायालय में जाना पड़ा और इस अवधि में उसने 4.81 करोड़ रुपये की हानि उठाई। राज्य निगम द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि सुरक्षित ऋणों में शामिल हैं परन्तु सरकार ने अन्य राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अग्रिम धन आदि को उक्त कोटि में क्यों नहीं रखा जबकि महाराष्ट्र सरकार इन मिलों को पट्टे और लाइसेंस के आधार पर चला रही है। पट्टे और लाइसेंस की अवधि में महाराष्ट्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार ने जो धन लगाया या भुगतान किया उसे सुरक्षित ऋण माना जाना चाहिये।

श्रमिकों को मजूरी तथा अन्य देय राशि में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। मुझे आशा है कि इन परिवर्तनों के बाद श्रमिकों को उन्हें देय राशि तथा उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। हम जानना चाहेंगे कि किस श्रेणी के श्रमिकों को पूरी राशि मिल रही है और किसको कम मिल रही है? सरकार किस आधार पर इसका हिसाब लगाती है यह बताया जाना चाहिये।

राज्य सरकारों ने मिलों को चलाने के लिये अथवा अग्रिम राशि के लिये वित्तीय संस्थाओं को गारंटी दी हुई है। सरकार को इस की स्वीकार तथा उपबन्धित किया जाना चाहिये।

राज्य सरकार ने अनेक मिलों के श्रमिकों को इस विचार से महंगाई भत्ते का केवल 50 प्रतिशत भुगतान करने की गारंटी दी है कि उनकी छंटनी नहीं की जायेगी और मिलों को चलाया जायेगा क्योंकि वे अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान करने की स्थिति मे नहीं है। यह भी एक देनदारी है क्योंकि यह राज्य सरकार और श्रमिकों के बीच समझौते का प्रतिफल है। अतः इस समझौते का पालन किया जाना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I have demanded through My amendments Nos. 85, 86 and 87 that Government should be responsible to make payment with regard to the Provident Fund, salaries and gratuity. They should not leave it to the former millowners. No provision has been made to allow the workers to go to the court for realising their amount. Government should make some provision in this regard.

[Shri Hukum Chand Kachwai]

This is a stipshod legislation because Govrnment has to move a number of amendments. Government should have examined the liabilities of these mills. They were to pay a large sum. The workers have not committed any offence by contributing money to the mill-owners. Government should at least take the responsibility for getting the workers their due. The honble Minister should remove the fears of the workers in his statement and accept our amendments.

Governnent should not have double standards with regard to payment of Provident Fund. A case for not depositing the amount of Provident Fund cannot be filed against the controller of the mill which is under Government but a suit can be filed against the mill owners who defy this provision. The controllers are committing so many irregularities. Then, a member of mills had taken advances from state Finance Corporations and other financial institution.. These amounts were taken for the advancement of the mills. Government should have examined whether these sums were utilised properly or not. They should take responsibility. They can deduct this amount from the amount of compensation to be paid to the mill-owners.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : खण्ड 5 के सम्बन्ध में मैं ने संशोधन संख्या 172 और 173 प्रस्तुत किये हैं। केन्द्रीय सरकार काफी समय तक मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का जोखिम लेने के लिये तैयार नहीं हुई और वर्ष 1959 के बाद राज्य सरकारों से कहा गया कि वे यह जोखिम उठायें। तमिल नाडू, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्य सरकारों ने औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम के अधीन विभिन्न कदम उठाये थे। परन्तुक (क) के उपखण्ड में कहा गया है कि जब केन्द्रीय सरकार प्रबंध को अपने हाथ में लेगी उसके बाद ही अग्रिम राशि की देनदारी अपने ऊपर लेगी। यह बात वर्ष 1972 के विधान के अधीन ली गई मिलों के बारे में ठीक हो सकती है परन्तु उन अनेक मिलों की क्या स्थिति होगी जिन्हें राज्य सरकारों ने पट्टे और लाइसेंस के आधार पर अपने हाथ में लिया है? महाराष्ट्र सरकार ने संकटग्रस्त मिलों को लाभकारी मिलों में बदल दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 22 करोड़ रुपये लगाये हैं। वर्ष 1972 में जब केन्द्रीय सरकार ने 10 मिलों को अपने नियंत्रण में लिया था उनमें से 7 मिलें राज्य कपड़ा निगम द्वारा पट्टे और लाइसेंस के आधार पर चलाई जा रही थीं और महाराष्ट्र सरकार ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत इन 7 मिलों में 4 करोड़ रुपये लगाये थे। यह राज्य सरकार का धन है। पट्टे और लाइसेंस व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई गई धनराशि के लिये क्या गारंटी है? मंत्री महोदय को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। मैं ने इस खण्ड (क) में संशोधन करने की मांग की है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

4 करोड़ रुपये का विनियोजन कर्मचारियों को लगातार रोजगार देने के लिये किया गया था। बम्बई नगर में हजारों कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि अब इसके लिये धनराशि की व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार ने 22 कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लेते समय यह आश्वासन दिया था कि बम्बई में सब कपड़ा कर्मचारियों का काटा गया महंगाई भत्ता मिलों के लाभ पर चलने पर वापिस दे दिया जायेगा। अब कर्मचारी काटे गये महंगाई भत्ते की राशि को फिर दिये जाने की मांग कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार को इसे दायित्व के रूप में स्वीकार करना चाहिये।

वर्ष 1959, 1962 और 1968 में इन मिलों का प्रबन्ध किसी अन्य आधार पर गैर-सरकारी था। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना 1968 में हुई। यदि वह इसके प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने का निर्णय करता है, तो राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी के दायित्व से कैसे पीछे हट सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खंड 5 के संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मरमागोआ) : यदि सरकार किसी उद्यम को अपने अधिकार में लेती है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उस उद्यम द्वारा अर्जन से पूर्व अथवा अर्जन के बाद मजदूरी महंगाई भत्ता अथवा भविष्य निधि की देय रकमें कर्मचारियों को अदा की जायें।

हम उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इन मिलों में काम किया है और सरकार द्वारा इन मिलों को अपने अधिकार में लेने के बाद इन मिलों का पुनर्निर्माण किया है। यह कई करोड़ रुपये का मामला है और मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के बावजूद कर्मचारियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कर्मचारियों को सभा में विधेयक प्रस्तुत किये जाने के समय जो मिलता उससे अधिक मिल रहा था। लेकिन मैं सिद्धान्त की बात कह रहा हूं।

यदि एक व्यक्ति ने काम किया है और उसने उतना अर्जित किया है जो उसे देय है और यदि सरकार उक्त संस्थान को अपने अधिकार में लेती है और उन्हीं व्यक्तियों को पुनर्निर्माण के कार्य में लगाती है तो सरकार उनकी बकाया राशि के भुगतान की जिम्मेवारी लिये बिना उनसे कैसे सहयोग की आशा कर सकती है?

सरकार कर्मचारियों द्वारा अर्जित 3-5 करोड़ रुपये का भुगतान करने से मुकर रही है। मेरे संशोधन में कहा गया है कि संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को देय मजूरी, वेतन तथा अन्य राशियों के सम्बन्ध में चाहे वे राशियां अर्जन से पूर्व की हों या बाद की, यह सरकार पूर्ण दायित्व उठाये। यदि सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करती है तो क्या वह यह आशा कर सकती है कि देश में मजदूर कानूनों का कभी सम्मान हो सकेगा। यदि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के मामले में व्यवहार में एक बात करती है और कहती कुछ और है तो उनका क्या बनेगा?

***श्री एस० ए० मुरगनन्तम** (तिरुनेलवली) : मैं खंड 5 पर अपने संशोधन 135 और 136 के बारे में उल्लेख करूंगा। मुझे यह उल्लेख करते हुए दुःख होता है कि जिन लोगो ने कठिनाई से बचत कर अपनी धन राशि को इन उपक्रमों में सावधि जमा रकम के रूप में लगाया गया है उन लोगों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। पानवालों तथा चायवालो के अतिरिक्त इनमें सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने अपनी भविष्य निधि की राशि को सावधिक जमा राशि के रूप में निवेश किया है। कुछ धर्मार्थ संस्थानों ने भी इन उपक्रमों में सावधि जमा राशि के रूप में निवेश किया है। कुछ उपक्रमों ने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि को भी सावधिक जमा राशि में निवेश किया हुआ है। कानूनी कमियों के कारण इन गरीब लोगों को कठिनाई नही होनी चाहिये। ये लोग अपनी वैध देय राशियों के दावे के लिये न्यायालय में नहीं जा सकते। अतः केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह इन निर्धन लोगों को पूरा संरक्षण दे और उनकी सावधी निक्षेप राशि की उन्हें अदायगी सुनिश्चित करें। मैं सरकार द्वारा अपने संशोधन को स्वीकार करने पर जोर दूंगा।

विधेयक का स्वागत करते हुए मैं इस बात का संकेत देना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी मिलें हैं जो संकटग्रस्त हैं और बन्द होने वाली हैं। इससे निश्चित रूप से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। तमिलनाडु में बल्लाजाबाद कपड़ा मिल को सरकार को अपने

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतर

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

[श्री एस०ए० मुरुनन्तम]

अधिकार मे ले लेना चाहिये । इस मिल का राष्ट्रीयकरण करने की ओर मंत्री महोदय को निजी रूप से ध्यान देना चाहिये जिससे हजारो मजदूरों को बेरोजगारी से बचाया जा सके ।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the chair*]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : समस्त प्रबन्ध को अवधि को दो भागो में बांटा गया है--अधिग्रहण से पूर्व की अवधि और अधिग्रहण के बाद की अवधि। समस्त विधेयक अवधि के इस बंटवारे पर आधारित है । जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध हैं उनकी मजूरी, वेतन और अन्य देय राशि को दो भागो- अधिग्रहण से पुर्व और अधिग्रहण के बाद की अवधि में बांटा जा सकता है। सरकार ने अधिकार अधिग्रहण अवधि के बाद को अधिकांश बकाया राशि को स्वीकार किया हैं।

जहां तक पेंशन और उपदान सम्बन्धी लाभ का सम्बन्ध है ये लाभ समस्त सेवावधि से सम्बद्ध है चाहे यह अधिग्रहण पूर्व अथवा अधिग्रहण के बाद के हो। मजदूरो को लाभ मिलेंगे और उन्हें हानि नहीं उठानी पड़ेगी ।

जहां तक भविष्य निधि का सम्बन्ध है, 50 प्रतिशत भविष्य निधि की राशि को मजदूरों की गाढ़ी कमाई से काटा गया था । कानूनी व्याख्या के अनुसार भविष्य निधि एक देय की राशि नहीं है । यह वह राशि है जो मजदूरो के वेतन में से काटी जाती है । भविष्य निधि में काफी बड़ी राशि आती है । हमने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि अधिग्रहण पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में मजदूरो मजूरी और देय राशि श्रेणी 4 से श्रेणी 3 में अन्तरित की जानी चाहिये ।

श्रेणी में परिवर्तन के कारण अधिग्रहण से पूर्व की अवधि के मजदूरों को देय राशि का अधिकांश भाग पूरा किया जायेगा ।

जहां तक श्री सेज्जियान के संशोधन का प्रश्न है, यदि उनका संशोधन स्वीकार भी हो जाये, तो भी सरकार की भुगतान की राशि में परिवर्तन नहीं होगा ।

श्री कछवाय तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ एकको और मिलों के बारे में शिकायतें की हैं । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जहां तक सम्भव होगा, उक्त शिकायतें दूर की जायेंगी ।

जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है देय राशि या तो मजदूरो की थी अथवा राज्य कपड़ा निगम की थी । यदि वे अधिग्रहण पूर्व की अवधि की थीं तो उन्हें माना नहीं जा सकता । अधिग्रहण पूर्व की बकाया राशि, मजदूरों की मजदूरी अथवा वेतन अथवा राज्य के अथवा राज्य कपड़ा निगम अथवा संस्थानों अथवा व्यक्तियों के ऋणों के सम्बन्ध में हो सकती है । सरकार इनमें से किसी भी देनदारी को स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो यह भेदभावपूर्ण माना जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The hon. Minister has stated that it would be difficult to take the responsibility of dues before taking over of these undertaking. But I want to know what action Government proposes to take against these undertakings who were Government undertakings and against whom 30-40 lakh rupees were due. That amount belonged to labourers and not of any bank.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटोर) : मैं संशोधन संख्या 135 के बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगी । उन्होंने औद्योगिक न्यायाधिकरण के बारे में स्पष्ट क्यों नहीं किया ? मजदूरों को क्यों कठनाई हो ?

श्री राजा कुलकर्णी : महाराष्ट्र स्थित 22 मिलों में से एक मिल राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जाती है और बाकी सब 21 मिलों महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम द्वारा चलाई जाती हैं। इन सब 21 मिलों में अब लाभ होने लगा है। यहां तक कि इंडिया युनाइटेड मिल्स को भी 1973-74 में लाभ हुआ है।

राज्य व्यापार निगम मजदूरों के सहयोग से उक्त स्थिति में पहुंचा है। निगम ने मजदूरों को यह आश्वासन दिया है कि उनके महंगाई भत्ते में की गई कटौती वापिस की जायेगी। उक्त आश्वासन को पूरा किया जाना चाहिये।

श्री बी० पी० मौर्य : जहां तक श्री कछवाय का प्रश्न है, 103 मिलें पूर्ण रूप से हमारे संरक्षण में होंगी। इन में अलग-अलग मिलों की अलग अलग समस्याएं हैं। इस सम्बन्ध में जो सम्भव होगा वह किया जायेगा।

जहां तक श्रीमती पार्वती कृष्णन् के संशोधन संख्या 195 का सम्बन्ध है, वहीं कठिनाई सामने आती है। सरकार अधिग्रहण से पूर्व की कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिये तैयार नहीं है।

श्री इराज्मुद सेकैरा : मंत्री महोदय का कथन है कि अधिग्रहण पूर्व अवधि की जिम्मेवारी लेना भेद भावपूर्ण होगा। मेरा सुझाव यह है कि यदि विधेयक में यह व्यवस्था हो जाये कि केवल मजदूरों की बकाया राशि अधिग्रहण पूर्वी अवधि में स्वीकार की जायेगी और उक्त व्यवस्था केवल सामाजिक दायित्व मानकर की गई है, तो मेरे विचार से उक्त कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी।

श्री बी० पी० मौर्य : अधिग्रहण से पूर्व की किसी भी बकाया राशि स्वीकार करने पर न्यायालय द्वारा इसे भेदभाव पूर्ण कार्यवाही कहा जा सकता है।

Mr. Chairman : Now, I put the amendments to the vote of the House.

श्री बी० पी० मौर्य : मुझे अपना संशोधन संख्या 227 वापस लेने की अनुमति दी जाये।

Mr. Chairman : First of all I want to take the permission from the House to withdraw the amendment. The Government wants to withdraw amendment No. 227. I am pleased to say that the House is in favour of allowing the withdrawal of the Amendment.

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

श्री इराज्मुद सेकैरा : संशोधन संख्या 233 के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Mr. Chairman: How can a point of order be raised when the amendment has been put to vote ?

श्री इराज्मुद सेकैरा : : मेरा सुझाव यह है कि यदि आप इस उपखंड का संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि विधेयक में इसके लिये जो जिम्मेवारी निर्धारित की गई होगी उसका पालन नहीं किया जा सकेगा। अतः इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)** मैं अब सरकारी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :-

[सभापति महोदय]

पृष्ठ 5, पंक्ति 28, "1972" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय :—

"and includes the West Bengal State Textile Corporation Limited which has advanced amounts to sick textile undertakings in the State".

"अभिरक्षक के रूप में रखता है।" **के स्थान पर** "अभिरक्षक के रूप में रखता है और इसके अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल राज्य कपड़ा निगम लिमिटेड भी है जिसने राज्य में रुग्ण कपड़ा उपक्रमों को रकमें उधार दी है।"

[संशोधन संख्या 53]

पृष्ठ 4

'the marginal heading to Clause 5' (खंड 5 के पार्श्विक शीर्षक) के स्थान पर 'Owner to be liable for certain prior liabilities'. (कतिपय पूर्विक दायित्वों के लिये स्वामी का दायी होना) प्रतिस्थापित किया जाये

[संशोधन संख्या 117]

पृष्ठ 4, पंक्ति 37,

'Every liability' (प्रत्येक दायित्व) के स्थान पर "Every liability, otner than the liability specified in Sub-section (2)" (ऐसा प्रत्येक दायित्व, जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न हो) प्रतिस्थापित किया जाये

[संशोधित संख्या 118]

पृष्ठ 4, पंक्ति 41,

"Provided that any liability" (परन्तु) के स्थान पर "(2) Any liability"[(2) कोई दायित्व जो"] प्रतिस्थापित किया जाये।

[संशोधन संख्या 119]

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 और 5,

"be the libility of the National Textile Corporation and shall be discharged by that Corporation". (राष्ट्रीय कपड़ा निगम का दायित्व होगा और उक्त निगम द्वारा उसका उन्मोचन किया जायेगा) के स्थान पर

"the liability of the Central Government and shall be dischrged, for and on behalf of that Government, by the National Textile Corporation".

"के सम्बन्ध में प्रोद्भूत होता है, नियत दिन से ही केन्द्रीय सरकार का दायित्व होगा और उसका उन्मोचन उस सरकार के लिए और उसकी ओर से उस निगम द्वारा उसी समय किया जाएगा।"

प्रस्थापित किया जाये।

[संशोधन संख्या 120]

पृष्ठ 5, पंक्ति 8,

"(2)" के स्थान पर "(3)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संशोधित संख्या 121]

पृष्ठ 5, पंक्ति 16,

'claim or dispute' (दावे या विवाद) के पश्चात् "in relation to any matter not referred to in Sub-Section (2)" (उपधारा (2) में निर्दिष्ट है) अन्त: स्थापित किया जाये

[संशोधन संख्या 122]

पृष्ठ 5, पंक्ति 9 से 13, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(a) save as otherwise expressly provided in this section or in any other section of this Act, no liability, other than the liability specified in sub-section (2), in relation to a sick textile undertaking in respect of any period prior to the appointed day, shall be enforceabe against the Central Government or the National Textile Corporation.".

"(क) इस अधिनियम को इस धारा अथवा किसी अन्य धारा में स्पष्टत: उपबन्धित के सिवाय नियत दिन के पूर्व किसी अवधि के बाबत किसी रुग्ण कपड़ा उपक्रम के संबंध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट दायित्व के अतिरिक्त कोई अन्य दायित्व केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।"]

[233]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब मैं अन्य संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे संशोधन संख्या 77 को अलग से मतदान के लिये रखें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे संशोधन संख्या 85, 86 और 87 को अलग से मतदान के लिये रखा जाये ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 76, 83, 84, 90, 91, 93, 94, 95, 103, 109, 111, 131, 132, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 172, 173, 183, 184, 194, 195 और 196 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 76, 83, 84, 90, 91, 93, 94, 95, 103, 109 111, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 172, 173, 184, 194, 195 and 196 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 77 सभा में मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha Divided.

पक्ष में : 18	विपक्ष में 77
Ayes : 18	Noes : 77

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The Motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 85, 86 और 87 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments No. 85, 86, and 87 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 110 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 110 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया दिया गया ।

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब हम खंड 6 पर चर्चा आरम्भ करेंगे । संशोधन संख्या 54, 55, 56 और 123 सरकारी हैं ।

खंड 6

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 5, पंक्ति 24--

"as many" (कितने हो) शब्द का लोप कर दिया जाये ।

[संशो न संख्या 54]

पृष्ठ 5 और 6 और क्रमश: पंक्ति 45 और ।

"Liabilities of the National Textile Corporations, referred to in" (मे उल्लिखित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के दायित्व) के स्थान पर "liabilities required to be discharged by the National Textile Corporation under" (के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा उन्मोचित किये जाने के लिये अपेक्षित दायित्व) प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संशोधन संख्या 55]

पृष्ठ 6, पंक्ति 3 से 5,

"because, on and from the date or such transfer, the liabilities of the subsidiary Textile Corporation and shall be discharged" (समनुषंगी कपड़ा निगम के दायित्व ऐसे अन्तरण की तारीख से ही उन्मोचित किये जायें) के स्थान पर "be discharged, on and from the date of such transfer" (अन्तरण की तारीख से उन्मोचित किये जायेंगे) प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संशोधन संख्या 56]

पृष्ठ 5, पंक्ति 37 और 38,

"the proviso to Sub Section (1)" (जो धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट है) के स्थान पर "Sub Section (2)" (उपधारा (2) में निर्दिष्ट) प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संशोधन संख्या 123]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5, पंक्ति 24

"as many" (कितने ही) शब्द का लोप कर दिया जाये।

[संशोधन संख्या 54]

पृष्ठ 5 और 6 और क्रमश: पंक्ति 45 और 1,

"Liabilities of the National Textile Corporation referred to in" (में उल्लिखित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के दायित्व) के स्थान पर "liabilities required to be discharged by the National Textile Corporation under" (के अधीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा उन्मोचित किये जाने के लिये अपेक्षित दायित्व) प्रतिस्थापित किया जाये।

[संशोधन संख्या 55]

पृष्ठ 6, पंक्ति 3 से 5

"become, on and from the date of such transfer, the liabilities of the subsidiary Texilte Corporation and shall be discharged" (समनुषंगी कपड़ा निगम के दायित्व ऐसे अन्तरण की तारीख से उन्मोचित किये जायेंगे) के स्थान पर "be discharged on and from the date of such transfer" (अन्तरण की तारीख से उन्मोचित किये जायेंगे) प्रतिस्थापित किया जाये।

[संशोधन सख्या 56]

पृष्ठ 5, पंक्ति 37 और 38,

"the proviso to sub-section (1)" (जो धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट है) के स्थान पर "Sub-Section (2)" (उपधारा (2) में निर्दिष्ट) प्रतिस्थापित किया जाये।

[संशोधन संख्या 123]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

खंड 7

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 23,

"discharged" (दायित्व का उन्मोचन करे) के स्थान पर "taken over" (दायित्व ग्रहण किया) प्रतिस्थापित किया जाये।

[संशोधन संख्या 124]

पृष्ठ 6, पंक्ति 26,

"discharged" (दायित्व का उन्मोचन करें) के स्थान पर "taken over" (दायित्व ग्रहेण किया) प्रतिस्थापित किया जाये।

[संशोधन संख्या 125]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ संख्या 6, पंक्ति 23,

"discharged" (दायित्व का उन्मोचन करें) के स्थान पर "taken over" (दायित्व ग्रहण किया गया) प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संशोधन संख्या 124]

पृष्ठ संख्या 6, पंक्ति 26,

"discharged" (दायित्व का उन्मोचन करें) के स्थान पर "taken over" (दायित्व ग्रहण किया गया) प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संशोधन सख्या 125]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 7, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 7, as amended, was added to the Bill.

खंड 8

सभापति महोदय : अब हम खंड 8 पर चर्चा करेंगे । इस पर एक संशोधन है ।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 34,

"Vesting in it, under sub Section (1) of Section 3, of" (धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उस में निहित) के स्थान पर "Transfer to, and vesting in it, under Sub-Section (1) of Section 3 of such sick textile undertaking and". (उक्त रुग्ण कपड़ा उपक्रम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अन्तरित और निहित) प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संशोधन संख्या 57]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 34,

"Vesting in it, under Sub-Section (1) of Section 3, of" (धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत उस में निहित) के स्थान पर "Transfer to, and Vesting in it, under Sub-Section (1) of Section 3 of Such Sick Textile undertaking and"

(उक्त रुग्ण कपड़ा उपक्रम की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत अन्तरित और निहित) प्रतिस्थापित किया जाये।

[संशोधन संख्या 57]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 8, as amended was added to the Bill.

खंड 9

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 28 और 29,

"This Act receives the assent of the President" (जिसको राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है) के स्थान पर "The ordinance was promulgated" (जिसको अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था) प्रतिस्थापित किया जाये।

[संशोधन संख्या 58]

पृष्ठ 6, पंक्ति 33,

"This Act receives the assent of the President" (जिसको राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है) के स्थान पर "The ordinance was promulgated" (जिसको अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था) प्रतिस्थापित किया जाये।

[संशोधन संख्या 59]

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 9 पर सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 58 तथा 59 सभा में मतदान के लिये रखता हूं, प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 6, पंक्ति 45,

"This Act receives the assent of the President" ["राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है"] के स्थान पर "The ordinance was promulgated" ["अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 58]

पृष्ठ 7, पंक्ति 6,

"This Act receives the assent of the President" ["राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है"] के स्थान पर "The ordinance was promulgated" ["अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 59]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 9, संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया।
Clause 9, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 10 पर विचार करते है।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 18,

"This Act receives the assent of the President" ["राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है"] के स्थान पर "The ordinance was promulgated" ["अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 60]

पृष्ठ 7, पंक्ति 22–23,

"This Act receives the assent of the President" ["राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है"] के स्थान पर "The ordinance was promulgated" ["अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 61]

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 60 तथा 61 सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 18,

"This Act receives the assent of the President" ["राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है"] के स्थान पर "The ordinance was promulgated" ["अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 60]

पृष्ठ 7, पंक्ति 22–23,

"This Act receives the assent of the President" ["राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है"] के स्थान पर "The ordinance was promulgated" ["अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 61]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 10, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 11 पर कोई संशोधन नहीं है अतः प्रश्न यह है कि :—

"खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 11 was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 12 तथा 13 पर भी कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 12 तथा 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 12 तथा 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 12 and 13 were added to the Bill.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 14 पर विचार करते है ।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 9, पंक्ति 17 में "Conditions" ["शर्तें"] शब्द के बाद "of employment" ["नियुक्ति की"] शब्द का अन्तःस्थापन किया जाये ।"

[संशोधन संख्या 62]

"पृष्ठ 9, पंक्ति 38 में "National Textile Corporation" ["राष्ट्रीय कपडा निगम"] के स्थान पर "Central Government" ["केन्द्रीय सरकार"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 126]

"पृष्ठ 8, पंक्ति 35 में "in the employment of" ["के नियोजन में है"] के स्थान पर "employed in" ["में नियोजित है"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 216]

"पृष्ठ 9, पंक्ति 6 में "in the employment of" ["के नियोजन में है"] के स्थान पर "employed in" ["में नियोजित है"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 217]

"पृष्ठ 9, पंक्ति 27 में "employee" ["के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी"] के स्थान पर "employed in" ["में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति"] प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संशोधन संख्या 218]

"पृष्ठ 9, पंक्ति 35 तथा 36"

"payment by way of gratuity or retirement benefits or for any leave not availed of or any other benefits." ["वहां वह उपदान या निवृत्ति फायदों के रूप में किसी संदाय का या न ली गई किसी छुट्टी का या किन्हीं अन्य फायदों का हकदार है और ऐसा व्यक्ति"] के स्थान पर

[श्री बी० पी० मौर्य]

"arrears of salary or wages or any payment for any leave not availed of or other payment, not being payment by way of gratuity or pension" ["न ली गई छुट्टी के लिए वेतन का मजदूरी के बकाया का अथवा ऐसा अन्य संदाय का, जो उपदान या पेंशन के रूप में संदाय नहीं है, हकदार है, वहां वह व्यक्ति"] प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संशोधन संख्या 228]

श्री हुकमचन्द कछवाय (मुरैना) : मैं अपने संशोधन संख्या 88 तथा 89 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे (बम्बई मध्य) : मैं अपना संशोधन संख्या 96 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 105 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं अपना संशोधन संख्या 153 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इराज्मुद सैकैरा (मार्मागोआ) मैं अपना संशोधन संख्या 185 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राम सिंह भाई (इन्दौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 229 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : My amendment No. 88 seeks that the employees of the taken-over textile mills should be treated as the employees of National textile corporations employees from the very date of the take-over.

Shrimati Roza Vidyadhar Deshpande (Bombay Central) : My amendment No. 96 seeks that the Government should undertake the responsibility of paying the arrears to the workers in respect of their Provident Fund, E. S. I. C. and bonus etc. belonging to the pre-take over period.

The Mill-owners have been cheating the workers of their dues by showing false losses and diverting the money to other industries and making profits therefrom. Now after the take-over who would pay the arrears of these poor wokers? The Government should come to their help. They should attach all the industries of the mill owners who indulge in such activities.

Govt. should recover their dues from them, the millowners and then pay the arrears to the workers. The poor workers or their unions cannot go for litigation. Let the Government do it. Now the workers have shown that these mills, after take-over, are running in profit whereas those mill owners cheated and showed losses. So, instead of paying back the money which was borrowed by the mill owners to run the mills, to the nationalised banks. You should first pay the arrears of the workers. The arrears of the workers as well as the bank loans of the mill-owners both belong to the pre-takeover periods. So you should give priority to the payment of workers arrears. That is the intention of my amendment.

Shri M. C. Daga : As soon as, on 31st October, 1972, did the Textile Corporation take over certain textile mills, the mill-owners got the stay orders from the court and thereafter they terminated the services and dismissed many workers since the latter had struggled for take over therefore their case should be treated under the Industrial Dispute Act. You yourself have said it and that is why you should have no objection is accepting my amendment. The hon. Minister is famous for his having pro-labour therefore he should be expected to protect the interests of the poor workers, and thus accept my amendment.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 215 प्रस्तुत करता हूं जो कि मेरे संशोधन संख्या 174 का अनुवर्ती ही है ।

इसका आशय यह है कि उपदान के साथ साथ भविष्य निधि को भी इस में शामिल किया जाना चाहिये। बहुत से कपडा मिलों के मालिकों ने मजदूरों की भविष्य निधि की भारी राशि अदा नहीं की है। मजदूरों को उनकी यह राशि मिलनी चाहिये। यही मैंने अपने संशोधन में चाहा है।

नेपाल के प्रधान मंत्री का स्वागत
WELCOME TO PRIME MINISTER OF NEPAL

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : यह हमारे लिये बडी प्रसन्नता और गौरव की बात है कि महामहिम नेपाल के प्रधान मंत्री आज हमारी संसद में पधारे है। मैं अपनी तथा माननीय सदस्यों की ओर से उनका तथा उनके सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करता हूं।

हम दोनों देशो के संबंध बहुत पुराने है, हमारी संस्कृति का स्रोत भी एक है, तथा दोनो देशों ने बहुत सी बातों में परस्पर सहयोग किया है।

वह समयाभाव के कारण हमारी लोक सभा में थोडी ही देर के लिये आ पाये है। हम उन्हें यह सन्देश दें कि हम उन्हें अपने में से ही एक समझते है, अपना भाई समझते है।

मेरे लिये तो एक गारव का बात यह भी है कि वह सभा अध्यक्ष के पद से प्रधान मंत्री के पद पर पहुंचे है। वह राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष थे। धन्यवाद।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमारे यहां भी ऐसा ही होना चाहिये।

सभापति महोदय : नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कहिये।

रुग्ण कपड़ा उपक्रम राष्ट्रीयकरण विधेयक
SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : खण्ड 14(1) में भविष्य निधि का उल्लेख नहीं है, केवल उपदान, पेन्शन तथा "अन्य मामलों" का उल्लेख है। मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि उनको प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसार "अन्य मामलों" में भविष्य निधि भी शामिल है। परन्तु इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद कुछ नियोक्ता तो भविष्य निधि को अन्य मामलो में शामिल मानेंगे तथा कुछ नहीं मानेगे, और बेचारे मजदूर क्यों कि अपने अल्प धन साधनों के कारण इन शब्दों की सही व्याख्या प्राप्त करने के लिये न्यायालयों के द्वार नहीं खटखटा सकेंगे, अतः नियोक्ता गण उनकी भविष्य निधि का अपवंचन करते रहेंगे। इन नियोक्ताओं में राष्ट्रीयकृत कपडा निगम भी शामिल है। अतः खण्ड 14(1) में भविष्य निधि को शामिल करने हेतु मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय ताकि कानून की अभिव्यक्ति में कोई भ्रम या अस्पष्टता न रहे।

[**श्री इसहाक सम्भाली** पीठासीन हुए
MR. ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

यदि मंत्री महोदय उन्हें प्राप्त कानूनी राय से संतुष्ट है तो मैं प्रताव करना चाहता हूं कि महान्यायवादी को यहां सभा को संबोधित करने तथा इसकी व्याख्या करने को कहा जाय।

श्री इराज्मुद सैकैरा : मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि कपडा मिलों के मजदूरो के जो अधिकार उक्त मिलों के अधिग्रहण से पूर्व थे उनका उपयोग राष्ट्रीय कपडा निगम के विरुद्ध भी हो सकने की व्यवस्था इस अधिनियम में होनी चाहिये । अर्थात पेन्शन, उपदान तथा अन्य मामलों संबंधी जो अधिकार मजदूरों को पहले प्राप्त थे के राष्ट्रीय कपडा निगम द्वारा मिलों को अपने अधिकार में लिये जाने के बाद भी प्रभावी रहने चाहिये ।

भविष्य निधि को भी शामिल करने के बारे में मैं श्री एम० एस० बनर्जी के मत से सहमत हूं। मजदूर अपनी गाढे पसीने की कमाई अपनी भविष्य निधि में जमा कराते है तथा उनके नियोक्ताओं को भी 7 या 8 प्रतिशत जमा कराना पडता है । परन्तु भविष्य निधि अधिनियम के अधीन यह सुनिश्चय करना सरकार का काम है कि नियोक्तागण उक्त राशि जमा करायें अथवा फिर सरकार उनपर मुकदमा चलाये । परन्तु सरकार अपने इस दायित्व को पूरा करने में सर्वथा असफल रही है और अब वह इन गरीब कपडा मजदूरों को इसकी अदायगी का भार अपने ऊपर नहीं ले रही है । मेरे विचार से सरकार को ही भविष्य निधि का पूर्ण दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये ।

अत: आप मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : The purpose of my amendment is to ensure that a worker of a taken-over mill is treated to be in continuous Service of the National Textile Corporations also and not that he would be treated in service of the corporation from the date the mill is taken over. In this case he might loose gratuity benefits which he could get only after rendering continuous service for not less than five years. Also I seek that the provident Fund should also be included alongwith gratuity, pensions and other matters, to the effect that a worker would continue getting these benefits in future as also he would set his arrears for the pre take-over period.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं तो इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि जब तक इस खण्ड में स्पष्ट रूप से भविष्य निधि का उल्लेख नहीं होगा, मजदूरों को उसका लाभ नहीं मिल सकेगा क्यों कि वे गरीब न्याय के लिये अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकेंगें।

मेरे दूसरे संशोधन का आशय यह है कि मिल मालिकों को मुआवजा देने में पूर्व उनकी राशि में मजदूरों को देय बकाया राशि काट लीजिये । यह आपके अपने संशोधन से मेल खाता है । अत: आप स्वयं ही ऐसी व्यवस्था वाला संशोधन पेश कर दीजिये । मिल मालिकों को तो आप पहले ही अत्यधिक लाभपूर्ण मुआवजा दे रहे है । उन लोगों का भी तो खयाल कीजिये, जिनको अपने खून पसीने की कमाई भी नहीं मिली।

अत: कृपया मेरा संशोधन स्वीकार कर लें ।

Mr. Chairman : The speaker has must now approved and sent a note that Shri K.C. Pant would give a statement. As far as I have read it, you would be happy to listen to that.

कोयला उद्योग में मजूरी के पुनरीक्षण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE-REVISION OF WAGES IN COAL INDUSTRY

उर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कोयला खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय वेतन बोर्ड की स्वीकृत बहुमत सिफारिशों के आधार

पर, कोयला उदयोग में वेतनों में व्यापक संशोधन पिछली बार अगस्त, 1967 में किए गए थे। इस उदयोग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय श्रमिक संघों और कोयला उत्पादन कम्पनियो के प्रबंधकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके अगस्त 1973 में एक संयुक्त द्विपक्षीय बात चीत समिति स्थापित की गई थी। यह समिति तब से विचार विमर्श करती रही है । मुझे यह सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि यह समिति अब एक समझौते पर पहुंच गई है ।

2. इस समझोते को ध्यान में रखते हुए श्रमिक संघो ने 16 दिसम्बर, 1974 से इस उदयोग में अनिश्चित काल के लिए हडताल करने का नोटिस वापस ले लिया है ।

3. इस समझौते से कोयला उदयोग के लगभग 5-1/2 लाख कार्मिकों को लाभ पहुंचेगा।

4. देश की अर्थ व्यवस्था में, विशेषकर ऊर्जा संकट के संदर्भ में कोयला उदयोग की आज जो महत्वपूर्ण स्थिति है, सदस्य उसे समझेंगे । राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने कोयला उत्पादन में भारी वृद्धि करने अर्थात 1973–74 में 78 मिलियन टन के स्तर से पांचवी योजना के अन्त तक 135 मिलियन टन प्राप्त करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभाली है । श्रमिक संघों के नेताओं ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस समझौते के अनुसार कार्मिक अपनी पूरी शक्ति से कोयले के उत्पादन और उत्पादन क्षमता को बढाने में पूरा सहयोग देंगें ।

मैं इस आश्वासन का स्वागत करता हूं ।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : On my behalf and on behalf of the coal mine workers, I heartily welcome this statement. Aslo I congratulate Shri K. C. Pant for bringing about such an historical agreement in the labour fraternity.

रुग्ण कपडा उपक्रम राष्ट्रीयकरण विधेयक

SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL

Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supply (Shri B. P. Maurya): The major points raised by most the members are to the effect that no provision has been made for the Provident Fund of the workers. In fact the Bill was aimed at saving about 1,60,000 textile workers from becoming jobless and thereby making provision for thei livelihood. It would therefore, be a wrong notion to even think that the Government was going to do something against the interest of the workers. As I have said, that the word "Provident Fund" has been added in the schedule Part B relating to the pre take over and secured loans have been placed in the fourth place instead of the third place, which has been allotted to the arrears of pay, provident fund etc. of the workers. Thus a major portion of the Provident Fund arrears pertaining to the pre-take-over period would come out and efforts would be made to deal with the rest also.

Clause 14 (1) concerns only the conditions of employment and no governing powers are involved therein. It is not correct to say that the solicitor General is given his opinion that pension and gratuity include provident Fund also. He had, however opined that the pension and gratuity would be related to the entire service including the pre-take over service.

Shri Ram Singh Bhai: At the time of nationalisation on 7th October, 1974 there was a notice which said that according to the opinion of the solicitor General the workers would continue getting gratuity and provident fund. And they have been getting it till to date. So, was that notice a forged one. Let him clarify. that. I have sent a copy thereof to the authorities.

Shri B. P. Maurya : The words other matters do not include provident fund. That is the opinion of the Solicitor General also. As regards the circular, I would inquire, I would also inquire into the cases cited by Shri M. C. Daga, regarding victimisation of the workers.

With these words I request for having not in a position to accept these amendments.

श्री बी० पी० मौर्य : मेरा यह कहना है कि यदि आप प्रबंध ग्रहण की पूर्व की अवधि की किसी देनदारी को लेते है तो इस विधेयक को चुनौती दी जायगी, इस विधेयक में प्रबंध ग्रहण की पूर्व की अवधि और बाद की अवधि विभाजित की गई है, यदि हम प्रबंध ग्रहण की पूर्व की अवधि के किसी देनदारी को लेते है और इसकी पूर्ति अनुसूची 2 में उपबंधित राशि से की जाती है तो यह न्यायालय में भेदभावपूण सिद्ध होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : पहले स्थिति यह थी कि विधेयक में सुरक्षित ऋण अनुसूची के मद 3 में रखा गया था और मद 4 में कर्मचारियों की देय राशि आदि रखी गयी थी, मंत्री महोदय ने उसमें परिवर्तन किया है उनका कहना है कि सुरक्षित ऋण मद 2 में आता है और मद 1 में कर्मचारियों की मजूरी आदि आती है जिसमें भविष्य निधि भी शामिल है। उनका कहना है कि यदि यह संशोधन स्वीकार किया जाता है तो अधिकांश मामलों में भविष्य निधि वसूल करके कर्मचारियों को दी जायेगी, वे यह नहीं कहते है कि समूची रकम दी जायेगी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब इस विशेष संशोधन में 'उपदान' तथा 'पेंशन' आया है तो 'भविष्य निधि' को इसमें शामिल करके समूचा ढांचा कैसे बदल सकता है ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के महान्यायवादी को सभा में यह स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य देने का अनुरोध किया जाये कि रूग्ण कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974 के खंड 14(1) मे "और अन्य मामलों" में भविष्य निधि भी शामिल है"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

सभापति महोदय : मत विभाजन का परिणाम यह रहा है : पक्ष में 12 और विपक्ष में 64।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The Motion was negatived.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : मैं संशोधन संख्या 96 का मत विभाजन चाहती हूं।

सभापति महोदय : मैं पहले सरकारी संशोधन संख्या 62, 126, 216, 217, 218 और 228 मतदान के लिए रखूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : संख्या 96 से पहले वाले संशोधनों को, चाहे वे सरकारी हों या गैर सरकारी, सर्वप्रथम लिया जाये, नहीं तो मेरे संशोधन की क्या उपयोगिता रहेगी।

Mr. Chairman : Since you have raised a constitutional objection, so I take amendment No. 62 first.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 9, पंक्ति 17,

"Conditions" ('शर्तों') शब्दों के बाद "of employment" ('रोजगार का') अन्तःस्थापित किया जाये। [संख्या 62]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 96 मतदान के लिए रखता हूं,

लोकसभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 13	विपक्ष में : 60
Ayes 13	Noes 60

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was Negatived.

सभापति महोदय : मैं सरकारी संशोधन संख्या 126, 216, 217, 218 और 228 सभा में मतदान के लिए रखता हूं प्रश्न है :

पृष्ठ 9, पंक्ति 38 में,

"National Textile Corporation" ('राष्ट्रीय कपडा निगम') के स्थान पर Central Government ('केन्द्रीय सरकार') प्रतिस्थापित किया जाये, (संख्या 126)

पृष्ठ 8, पंक्ति 35 में,

"in the employment of" (से नियोजन में है) के स्थान पर "employed in" 'में नियोजित है'

किया जाये, (संख्या 216)

पृष्ठ 9, पंक्ति 6 में,

in the employment of (के नियोजन में है) के स्थान पर "employed in" (में नियोजित है) प्रतिस्थापित किया जाये, (संख्या 217)

पृष्ठ 9, पंक्ति 27,

"employee of" (के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के स्थान पर "person employed in" नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाये, (संख्या 218)

पृष्ठ 9, पंक्ति 35 और 36 में,

"Payment by way of gratuity or retirement benefits or for any leave not overload of or any other benefits".

"वहां वह उपदान या निवृत्ति फायदों के रूप में किसी संदाय का या न ली गई किसी छुट्टी का या किन्हीं अन्य फायदों का हकदार है और ऐसा व्यक्ति" के स्थान पर

"arrears of Salary or wages or any payment for any leave not availed of or other payment, not being payment by way of gratuity or pension".

"न ली गई छुट्टी के लिए वेतन या मजदूरी के बकाया का अथवा ऐसे अन्य संदाय का जो उपदान या पेंशन के रूप में संदाय नहीं है, हकदार है, वहां वह व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाये ।" (संख्या 228)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

Shri S. M. Banerjee : My amendment no 174 should be taken separately.

Mr. Chairman : If you wish then I Put amendment no 153 to volte separately.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 153 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 153 was put an negatived.

Shri Mool Chand Daga : In view of the assurance by the hon Minister I withdraw my amendment no 105.

संशोधन संख्या 105 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
Amendment No. 105 was by leave, withdrawn.

Mr. Chairman ; Now I put amedments no. 88, 89, 185 and 229 for vote.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 88, 89, 185 और 229 मतदान के लिए रखे गये गये तथा अस्वीकृत हुए
Amendment Nos. 88, 89, 185 and 229 wese put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न है :

'कि खंड 14 संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 14 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 14, as amended, was added to the Bill.

खंड 15 भवीष्य निधि तथा अन्य निधि--

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 41 में,

"where" (जहां रुग्ण कपडा उपक्रम ने) के पश्चात the owner of जहां रुग्ण कपडा उपक्रम के स्वामी ने अन्तःस्थापित किया जाये

[संख्या 219]

पृष्ठ 9, पंक्ति 42 और 43 मे,

"its employees" अपने कर्मचारियों के स्थान "the persons employed. in such sick textile undertaking" (ऐसे रुग्ण कपडा उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों प्रतिस्थापित किया जाये,

[संख्या 220]

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं संशोधन संख्या 188 और 198 प्रस्तुत करता हूं :

भविष्य निधि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि काटा गया है, और उसका भुगतान नहीं दिया गया है तो इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी, खंड 15 दूसरे किस्म के भविष्य निधि के बारे में कहता है तो कानून के अन्तर्गत भविष्य निधि से भिन्न किस्म का है, इसके

लिए मैंने अपना संशोधन संख्या 188 प्रस्तुत किया है विधेयक में पूरी रकम हस्तान्तरण करने की बात नहीं की गई है केवल वही रकम हस्तान्रण की जाएगी जो कर्मचारियों से संबंधित है, मैं नहीं जानता कि शेश रकम का क्या होगा, आपको भविष्य निधि की समूची रकम हस्तांतरित न होने का कोई कारण मैं नहीं देखता हूं, यदि कर्मचारियों को रकम हस्तांतरित करनी की बात होती तो कठिनाई समय में आ सकती है परन्तू खंड के अनुसार रकम आपको सौपी जानी है और यह आप पर होगा की आप उसका उपयोग जैसा चाहे वैसा करें, इस लिए मैं इस बारे में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हू, मेरे संशोधन संख्या 198 पर भी विचार किया जाना चाहिये इन दो संशोधनों में वह संशोधन अधिक महत्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत समूची रकम हस्तांतरित की जानी चाहिए यदि सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है तो वह स्पष्टीकरण दे कि शेष रकम का क्या होगा;

श्री बी० पी० मौर्य : संशोधन संख्या 188 को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्यों कि इसमें कहा गया हैं कि "उन कर्मचारियों से संबंधित धन जिनकी सेवाए हस्तांतरित की गई है, को हटाया जाये । संशोधन संख्या 198 को भी इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्यों कि उद्देश्य उसी रकम को हस्तांतरित करनी की है जो निश्चित दिये भविष्य निधि के नाम है,

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 188 और 198 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : म संशोधन 188 और 189 वापिस लेने के लिए सभासे अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 188 और 189 सभा की अमुमति से वापिस लिया गया ।

Amendment nos. 188 and 189 were by leave withdraed

सभापति महोदय : मैं अब सरकारी संशोधन संख्या 219 और 220 सभा में मतदान के लिए रखता हूं प्रश्न है :

"पृष्ठ 9, पंक्ति 41 में,

'Where' (जहां) रुग्ण कपडा उपक्रम ने के पश्चात 'the owner of' जहां रुग्ण कपडा उपक्रम के स्वामीं में अन्त:स्थापित किया जाय ।

[संख्या 219]

पृष्ठ 9, पंक्ति 42 और 43 में,

'Its employees' अपने कर्मचारियों के स्थान पर 'the persons employed in such sick textile undertaking' (ऐसे रुग्ण कपडा उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों प्रतिस्थापित किया जाये)

[संख्या 220]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न है

"कि खंड 15 संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 15 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 15 as amended, was added to the Bill.

खंड 16 भी विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 16 was also added to the Bill

सभापति महोदय : खंड 16 क, श्रीमती सुभद्रा जोशी यहां नहीं है,

खंड 17

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ) : मैं इस खंड का विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि भुगतान आयुक्तों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करते समय सरकार वर्तमान कर्मचारियों को ही नियुक्त करके काम चलाएगी न कि राजकोष पर अतिरिक्त भार डालेगी ।

श्री बी० पी० मौर्य : हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार अच्छे तरीके से किया जा सकता है ।

सभापति महोदय : प्रश्न है

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 17 was added to the Bill.

खंड 18 भी विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clause 18 was also added to the Bill.

खंड 19

श्री बी० पी० मौर्य : मैं संशोधन संख्या 63 और 221 प्रस्तुत कर रहा हूं । मैं संशोधन संख्या 127 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

संशोधन किये गये ।

पृष्ठ 11 पंक्ति 37–38 में, 'This Act receives the assent of the President' किन्तु उस तारीख के पूर्व जिसको राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है के स्थान पर, 'the ordinance was promulgated' इस अध्यादेश के प्रख्यापन की तारीख के पूर्व प्रतिस्थापित किया जाये

[संख्या 63]

पष्ठ 11, पंक्ति 38 में,

'Any liability of' रुग्ण कपडा उपक्रम के किसी के पश्चात 'the owner of' रुग्ण कपडा उपक्रम के स्वामी के किसी अन्तस्थापित किया जाये,

[संख्या 221]

श्री बी० पी० मौर्य

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड 19 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 19 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 19, as amended, was added to the Bill

खंड 20 विदेयक में जोड़ दिया गया
Clause 20 was added to the Bill

खंड 21

संशोधन किये गये :-

पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में

'shall be discharged' निष्पादन किया जायेगा के थान पर 'Shall be discharged, subject to the priorities specified in this section इस धारा में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अधीन रहते हुए निष्पादन किया जायेगा प्रतिस्थापित किया जाये

[संख्या 65]

पृष्ठ 12, पंस्कि 12 में

'Priority of' ('कि प्राथमिकता') के स्थान पर 'priority, inter se of' प्राथमिकता, परस्पर का प्रतिस्थापित किया जाने ।

[संख्या 66]

पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में,

iii के स्थान पर iv प्रतिस्थापित किया जाये

[संख्या 204]

पृष्ठ 12, पंक्ति 17

iii के स्थान पर iv प्रतिस्थापित किया जाये

[संख्या 205]

[श्री० वी० पी० मौर्य]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 21 संशोधित रूप में विधेयक को जोड़ दिया गया
Clause 21, as amended, was added to the Bill

खंड 22 से 24 भी विधेयक में जोड़ दिए गए
Clauses 22 to 24 ware also added to the Bill

खंड 25

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं अपना संशोधन संख्या 108 प्रस्तुत करता हूं। मैं खंड 25(1) के साथ यह परन्तुक जोड़ना चाहता हूं कि "बशर्ते कि इस प्रकार से भुगतान की गई रकम संबंधित मिल को ग्रहण करने की तिथि से उसकी परिसम्पति के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होगी", मैंने यह परन्तुक इसलिए रखा है क्यों कि तामिलनाडु में स्वयं सरकार ने मिलों को ग्रहण करने के पश्चात कुछ रकम दी है, इसलिए निर्धारित तिथि पर उसका मूल्य बढ़ गया है इस लिए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री बी० पी० मौर्य : कानूनी तौर पर इस प्रकार की शर्त निर्धारित करना संभव नहीं है। व्यावहारिक रुप से मालिकों को दी जाने वाली राशि, जो सब तरह के भुगतान करने के उपरान्त बचेगी, मिल को ग्रहण करने की तिथि से उसके परिसंपत्ति के मूल्य से अधिक नहीं होगी इसीलिए यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 108 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए
The amendment no. 108 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न है

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 25 was added to the Bill.

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 26 was added to the Bill

खंड 27

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 14, पंक्ति 35 में,

"discharge (दायित्व का उन्मोचन करे) के स्थान पर take over (दायित्व को ग्रहण करे) प्रतिस्थापित किया जाये"

[संख्या 128]

पृष्ठ 14, पंक्ति 28 में,

'liability of' (रुग्ण कपडा उपक्रम का कोई) के पश्चात 'the owner of' (रुग्ण कपडा उपक्रम के स्वामी का कोई) प्रतिस्थापित किया जाये

[संख्या 222]

[श्री बी० पी० मौर्य]

सभापति महोदय : प्रश्न है

"कि खंड 27 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 27 संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 27 as amended, was added to the Bill.

खंड 28

संशोधन दिये गये :

पृष्ठ 14, पंक्ति 41-42,

"This Act receives the assent of the President". 'उस तारीख से पूर्व जिसको राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है के स्थान पर "the Ordinance was promulgated". 'इस अध्यादेश के प्रख्यापन की तारीख के पूर्व' प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संख्या 67]

(श्री बी० पी० मौर्य)

सभापति महोदय : प्रश्न है :—

"कि खंड 28 संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 28 संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

खंड 29

सभापति महोदय : खंड 29 के लिए कोई संशोधन नहीं है ।

श्री इराज्मुद सेकैरा : मेरा यह कहना है कि हम खंड 29 के द्वारा सदन को न्यायालय के साथ संघर्ष में डाल रहे है । यदि हमें संविधान में कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है तो न्यायालय को भी संविदान क अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है जिसके साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए । इसलिए में विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री बी० पी० मौर्य : यह इस खंड की भावना नहीं है ।

सभापति महोदय : प्रश्न है,

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने ।"

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 29 was added to the Bill

खंड 30

सभापति महोदय : अब हम खंड 30 लेंगे । यहां सरकारी संशोधन संख्या 68, 69, 70, 71, 129 और 130 है ।

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 15, पंक्ति 19

'a Contract' संविदा के स्थान पर 'a contract, and shall not make any alteration or modification in a contract' 'किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोग और किसी संविदा में कोई परिवर्तन या उपांतरण तब तक' अन्तःस्थापित किया जाये ।

[संख्या 68]

[श्री बी० पी० मौर्य]

पृष्ठ 15, पंक्ति 22-23 में,

'ratify a contract or' 'संविदा का अनुसमर्थन किया जाता है अथवा 'ratify a contract. and, shall not' ('संविदान का अनसमर्थन किया जाता है तथा नहीं किया जायेगा) अन्तस्थापित किया जाये ।

[संख्या 69]

पृष्ठ 15, पंक्ति 23 में,

'therein' ('उसमें') के पश्चात (,) लगाइये ।

[संख्या 70]

पृष्ठ 15, पंक्ति 26 में,

'Contract' ('संविदा') के पश्चात 'or for making any alteration or modification therein' (अथवा उसमें कोई परिवर्तन अथवा उपान्तरण करने के लिए) अन्तस्थापित किया जाये

[संख्या 71]

पृष्ठ 15, पंक्ति 11 और 12 में,

'One hundred and twenty days' (एक सौ बीस दिन) के स्थान पर 'One hundred and eighty days' (एक सो अस्सी दिन) प्रतिस्थापित किया जाये

[संख्या 129]

पृष्ठ 15, पंक्ति 15 और 16 में,

'Corporation may' ऐसे परिवर्तन का उपान्तरण कर सकेगा के बाद 'with the previous approval of the Central Government' ऐसे परिवर्तन का उपान्तरण मे केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से कर सकेगा, अन्त:स्थापित किया जाय । [संख्या 130]

सभापति महोदय : श्री इराज्मुद सेकैरा के नाम संशोधन संख्या 189 है।

श्री इराज्मुद सेकैरा : मैं संशोधन संख्या 189 प्रस्तुत करता हूं। इस खंड के अनुसार समान अनुबंध को 120 दिन के बाद पुष्टि कराना होता है अन्यथा वह समाप्त समझा जायेगा। चूंकि रुग्ण कपड़ा निगम मिलों को चला रहा है और इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है इसलिए कपड़ा निगम यदि यह समझता है कि कोई अनुबंध गलत है तो वह अनुबंध करने वाली पार्टी को नोटिस दे कर तथा सुनवाई का अवसर देकर अनुबंध समाप्त करा सकता है। मेरे अनुबंध का उद्देश्य भ्रष्टाचार के अवसरों को न्यूनतम करने का है।

श्री बी० पी० मौर्य : माननीय सदस्य का संशोधन ऐसा है जिसमें समय बहुत लगेगा । सलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय : प्रश्न है

पृष्ठ 15, पंक्ति 19 में,

'Contract' 'किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप तब तक' के स्थान पर 'a Contract and shall not make any alteration or modification in a Contract'

('किसी संविदा का अनुसमथन करने में लोप और किसी संविदा में कोई परिवर्तन का उपांतरण तब तक') प्रतिस्थापित किया जाए ।

[संख्या 68]

पृष्ठ 15, पंक्ति 22-23 के

'ratify a contract or' ('संविदा का अनुसमर्थन किया जाता है अथवा') के स्थान पर 'ratify a contract, and shall not' ('संविदा का अनुसमर्थन किया जाता है और उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण नहीं होगा') प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संख्या 69]

पृष्ठ 15, पंक्ति 23 में,

'therein' (उसमें) के पश्चात (,) लगाइये ।

[संख्या 70]

पृष्ठ 15, पंक्ति 26 में,

'Contract' (संविदा) के पश्चात or for making any alteration or modification therein'. (अथवा उसमें कोई परिवर्तन अथवा उपान्तरण करने के लिए) अन्त:स्थापित किया जाये ।

[संख्या 71]

पृष्ठ 15, पंक्ति 11 और 12 में,

'Corporation may' ('ऐसे परिवर्तन या उपान्तरण कर सकेगा') के पश्चात् 'with the previous approval of the Central Government' ऐसे ('परिवर्तन या उपान्तरण केन्द्रीय सरकार से पुर्वानुमोदन से कर सकेगा' अंत:स्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 189 मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वरा संशोधन संख्या 189 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No 189 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न है

"कि खण्ड 30 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

.पस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 30 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 30, as amended, was added to the Bill.

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 31 was added to the Bill.

खंड 32

सभापति महोदयः खंड 32 का एक सरकारी संशोधन है :

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 16, पंक्ति 7—

'any property' ('कोई भी संपत्ति') के बाद "forming part' (अंग बने) अंत:स्थापित किया जाये ।

(श्री बी० पी० मौर्य)

सभापति महोदय : प्रश्न है

'कि खंड 32 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 32 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 32, as amended, was added to the Bill.

खंड 33 और 34

सभापति महोदय : खंड 33 और 34 का कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न है

"कि खंड 33 और 34 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 33 और 34 विधेयक में जोड़ दिये गए ।
Clauses 33 and 34 wee added to the Bill.

खंड 35

सभापति महोदय : खंड 35 का एक संशोधन है :

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 16, पंक्ति 45 में,

'shall lie' ('होगी') के पश्चात् 'or be proceeded with' (अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी' या चलायी नहीं जाएगी') इसके अन्त:स्थापित किया जाये ।"

[संख्या 72]

श्री इराज्मुद सेकैरा : जहां तक कपड़ा निगम द्वारा मिलों को ग्रहण करने का संबंध है, सभी परिसंपत्तियां पहिले ही ग्रहण कर ली गई हैं तो क्यों कंपनी को बंद किया जाता है। इससे अंशधारी प्रभावित होते है ।

श्री बी० पी० मौर्य : इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

पृष्ठ 16, पंक्ति 45 में,

'shalllie' ('होगी') के पश्चात् 'or be proceeded with' (अधिकारी का अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगो या चलाई नहीं जाएगी') शब्द अन्तःस्थापित किया जाये ।

[संख्या 72]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 35, संशोधितरूप में , विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 35, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 35, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 36, 37 और 38 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 36, 37 और 38 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 36, 37 and 38 were added to the Bill.

नया खण्ड 38 क

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 16, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

'Declaration as to the policy of the State.

"38A. It is hereby declared that this Act is for giving effect to the Policy of the State towards securing the principles specified in clause (b) of article 39 the Constitution.

Explanation.—In this section, "State" has the same meaning as in article 12 of the Constitution".

राजनीति के बारे में घोषणा

38क इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित् करने के लिये राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिये है ।

स्पष्टीकरण —इस धारा में "राज्य" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में है ।]

[संख्या 224]

श्री इराज्मुद सकैरा : संविधान के अनुच्छेद 39(घ) के अनुसार संसाधनों का वितरण और उन पर नियंत्रण इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे जनता का अधिकाधिक लाभ हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक से, जिसके द्वारा मालिकोंको 39 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, मजदूरों का क्या हित होगा जिनको धनराशि मालिकों की ओर बकाया है ?

श्री बी० पी० मौर्य : माननीय सदस्य को यह भ्रम है कि यह राशि केवल मालिकों को दी जा रही है। वास्तव में इस राशि में से श्रमिकों को देय राशि तथा ऋण आदि सभी का भुगतान किया जाएगा और उन पर मालिकों के लिये बहुत कम राशि बचेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 16—पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये —

'Declaration as to the policy of the State.

"38A. It is hereby declared that this Act is for giving effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clause (b) of a article 39 of the Constitution.

Explanation.—In this section, "State" has the same meaning as in article 12 of the Constitution".

'राज्य नीति के बारे में घोषणा

[38क इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित् करने के लिये राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिये है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "राज्य" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में है।]

[संख्या 224]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 38क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नया खण्ड 38 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

New clause 38A was added to the Bill.

खण्ड 39

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 16, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"Repeal and savings"

39. (1) The Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance, 1974 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any-thing done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.".

[निरसन और व्यावृत्ति 39(1) रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित इस अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।"]

[संख्या 73]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 16, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये—

Repeal and savings 39.(1) The Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance, 1974, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any-thing done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act."

निरसन और व्यावृत्ति 39(1) रुग्ण कपड़ा उपक्रम राष्ट्रीयकरण अध्यादेश, 1974 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित इस अध्यादेश के अधिन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधिन की गई समझी जाएगी ।

[संख्या 73]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 39 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

। खण्ड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

New clause 39 was added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 20,

मद 58 के स्तम्भ 3 में "Vartaj Road Bhawnagar (Gujrat)" [वारतेज

[श्री० बी० पी० मौर्य]

रोड, भावनगर (गुजरात)" के स्थान पर "Beawar Rajasthan"
बेवार (राजस्थान) प्रतिस्थापित किया जाए ।

[संख्या 74]

पृष्ठ 20,—
मद 64 के स्तम्भ 2 में "Ltd." [लिमिटेड[शब्द का लोप कर दिया जाए ।

[संख्या 75]

Shri Madhu Limaye : The details of the compensation to given to the various Mill owners are given in the schedule but the hon. Minister has not indicated the criterion of fixing the amount of compensation to the Mills. May I know whether it is a fact that the influential persons have managed to secure much more amount in the shape of compensation in comparison to their assets, I would like to refer to the cases of three mills.

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासिन हुये SHRI NAVAL KISORE SINHAI *In the chacr*]

In the case of Azamshahi Mills, Warangal, Andhra Pradesh, the Ministry has given Rs. 92,95,000 under the political influence to the said concern though according to the experts, opinion the assets of this Mill are not large.

Similar is the case with the Appollo Mill. The owners of which is Gokul Chand Morarka (*Interruption*) also has earned large profits. What are the reasons for which Government are going to give Rs. 1.20 crore to them ?

Thirdly, the case of Mahaboob Sahai Gulbarga Mills was pleaded by a Minister of the Central Government. I know his name but I do not want to mention it because the hon. Speaker do not want his name to mentioned now. A heavy amount of Rs. 1,34,84,000 has been given to this Mill. I want that the hon. Minister should give the figures relating to the looms and spindles of this mill. He should also tell us the criterion of fixing the amount of compensation.

श्री सेझियान : मैं समझता हुं कुछ तत्कालीन मिल मालिकों को अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। अपने अधिकार में लिये जाने के बाद यदि राज्य सरकार अथवा राज्य कपड़ा निगम ने मिलों के आधुनिकीकरण पर कोई धनराशि खर्च की है तो उसका लाभ तत्कालीन मिल मालिकों को क्यों दिया जा रहा है। तमिलनाडु विधान सभा में इस विषय पर चर्चा के दौरान सभी दलों ने यह विचार व्यक्त किया कि जनता की धनराशि का लाभ मिल मालिकों को नहीं मिलना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रख कर मुआवजे की राशि निर्धारित करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 20—

मद 58 के स्तम्भ 3 में "Vartej Road, Bhawnagar, (Gujarat)" [वारते रोड, भावनगर (गुजरात)] के स्थान पर "Beawar (Rajasthan)" [बेवार, (राजस्थान)] प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संख्या 74]

पृष्ठ 20—

मद 64 के स्तम्भ 2 में "Ltd." (लिमिटेड) शब्द का लोप कर दिया जाये ।

[संख्या 75]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि मुआवजा निर्धारित करने की कसौटी क्या है ?

Shri B. P. Maurya : Frist of all I would like to state that after the amendment in the Constitution the word 'compensation' has been substituted by the word 'amount'. This amount has been fixed on the basis of the value of the assets of the undertaking and on the basis of liabilities of the post take over managements as specified in sub clause 5(2).

Some hon. Members have expressed then concern on the taking over of the sick mills which become burden on the Government unnecessarily. I also feel that this situation should not be allowed to be developed and no mill should be given an apportunity to become a burden on the Government. But this situation has developed in a state of helplessness. Now, we should take a lesson from it.

So far as the cases referred to by the hon. Members are concerned I will certainly collect the information and if necessary I will let the hon. Member know that information. But one this in certain that no political interest is involved in fixing the amount.

One hon. Member has pointed out that the benefit of the improvement effected in the mill with the help of the state Government should not go to the eastwhile owners. He has referred to the deliberations in the Tamil Nadu Assembly. In this context I would like to state categorically that this point has already taken into account while fixing the amount.

श्री सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि प्रथम अनुसूचि, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची संशोधकृत रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।
The first Schedule as amended, was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 26, पंक्ति 19 में—

"Category III" (प्रवर्ग III) के स्थानपर

"Category IV" (प्रवर्ग IV)प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संख्या 207]

पृष्ठ 26, पंक्ति 21 में—

"Category IV" (प्रवर्ग IV) के स्थान पर

"Category V" (प्रवर्ग V) प्रतिस्थापित किया जाये ।

[संख्या 208]

पृष्ठ 26 में—

पंक्ति 22 का लोप किया जाये

[संख्या 209]

[श्री० बी० पी० मौर्य]

पृष्ठ 26, पंक्ति 23 में

"[b]" ["(ख)"] का लोप किया जाये ।

[संख्या 210]

पृष्ठ 26 पंक्ति 29 में

"Category V" (प्रवर्ग V) के स्थान पर "Category VI" (प्रवर्ग VI) प्रतिस्थापित किया जाये।"

[संख्या 211]

पृष्ठ 26,

पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"Category III

Arrears in relation to provident fund, salaries and wages, and other amounts, due to an employee".

[प्रवर्ग III

भविष्य-निधि, वेतन और मजदूरो को बाबत बकाया और अन्य रकमें, जो किसी कर्मचारी को देय हों ।]

[संख्या 225]

पृष्ठ 26 में–

पंक्तियां 26 से 28 तक का लोप किया जाये ।

[संख्या 226]

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : मैं संशोधन संख्या 97 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 102 प्रस्तुत करता हू ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : मैं संशोधन संख्या 136 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मैं संशोधन संख्या 176 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं संशोधन संख्या 190, 191 और 193 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Madhu Limaye : Sir, the main object of my amendment is that the wages salaries and other dues to an employee should be given first priority and the other claims should be dealt with after the dues to employees have been paid to them because they are the most deserving claimants.

Secondly, I would like to suggest that people should be allowed and encouraged to invest their small savings in the Public Sector Undertakings. Individuals, who deposit their small savings in Post offices and in Banks should be permitteds to invest their savings in the undertakings. Persons having small amounts invested in these sick mills should be made shareholders without giving them right to vote. This suggestion should have been given earlier by me but I forgot. Any how, it is a healthy suggestion and it will not, if implemented, against the policy of nationalisation.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मंत्री महोदय ने मेरे सशोधन का एक भाग तो स्वीकार कर लिया है तथा उसे अपने संशोधन में सम्मिलित कर लिया है किन्तु दूसरे भाग को स्वीकार नहीं किया । वास्तव में दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि दूसरे भाग को भी स्वीकार किया जाये जिससे सैनिकों की विधवाओं द्वारा इन मिलों में लगाई गई धनराशि उनको वापस मिल सके । ऐसे व्यक्तियों के हितों की रक्षा होनी चाहिये जिन्होंने थोड़ी-थोड़ी बचत करके इनमें धनराशि लगाई है ।

श्री राजा कुलकर्णी : मंत्री महोदय ने श्रमिकों की भविष्य निधि के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। यद्यपि ट्रेड यूनियनों ने तथा राज्य सरकारों ने यह वायदा किया था कि इस मद के अन्तर्गत काटी गई कर्मचारियों की राशि को वापस दे दिया जायेगा किन्तु इस विधेयक में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसी उद्देश्य से मैंने अपने संशोधन में कहा है कि श्रमिकों की मजदूरी और वेतन तथा उन्हें देय अन्य राशियों को प्रथम प्रवर्ग में रखा जाये।

Shri B.P. Maurya : It is not possible for me to accept the amendment of Shri Madhu Limaye regarding pre take-over management period and post take-over management period because of the fact that in that case the very purpose of the Bill will be defeated. He has made a good suggestion to the effect that the persons who have deposited small amount should also be made shareholders (*Interruptions*). I am going to remove the doubts of the hon. Members.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व) : हमारे संदेह को दुर करने के लिये मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि यद्यपि धनराशि का भुगतान नहीं किया जायगा तो भी दायित्वों को स्वीकार किया जायेगा। सरकारी ऋणों तथा ऐसे ऋणों के दायित्व को स्वीकार किया जाना चाहिये। यह आवश्यक नहीं कि भुगतान भी तुरन्त ही किया जाय। इनका भुगतान बाद में तथा श्रमिकों के दय का भुगतान किया जा सकता है।

श्री बी० पी० मौर्य: दो चीजें अलग अलग हैं। एक है कुल राशि और दूसरी है किसी विशिष्ट मिल से संबंधित एक राशि, जब हम श्रमिकों को कुल बकाया राशि की बात करते हैं तो पता चलता है कि यह एक अच्छी खासी धनराशि है और मैं सदन में आश्वासन देना चाहता हूं कि अधिग्रहण पूर्व की श्रमिकों की बकाया राशि के रूप में धन राशि का भुगतान किया जायेगा।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मधु लिमये का संशोधन संख्या 102 मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में	. .	13
Ayes	. .	13
विपक्ष में	. .	53
Noes	. .	53

प्रस्ताव अस्विकृत हुआ।
The motion was negatived.

सभापति महोदय : अब मैं दूसरी अनुसूची के लिये श्री बी० पी० मौर्य द्वारा प्रस्तुत सरकारी संशोधन संख्या 207, 208, 209, 210, 211, 225, 226 मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि पृष्ठ 26, पंक्ति 19—

"Category III" (श्रेणी तीन) के स्थान पर "Category IV" (श्रेणी चार) रखी जाये।

[संख्या 207]

पृष्ठ 26, पंक्ति 21,—

"Category IV" (श्रेणी चार) के स्थान पर "Category V" (श्रेणी पांच) रखी जाये।

[संख्या 208]

[सभापति महोदय]

पृष्ठ 26,

"Omit line 22" (पंक्ति 22 का लोप किया जाये) [संख्या 209]

पृष्ठ 26, पंक्ति 23,

"Omait"b"(ख) का लोप किया जाये) [संख्या 210]

पृष्ठ 26, पंक्ति 29,

"Category V' (श्रेणी पांच) के स्थान पर "Category VI".(श्रेणी छः) रखा जाये। [संख्या 211]

पृष्ठ 26,

After line 18 (पंक्ति 18 के बाद) 'category III' Arrears in relation to Provident Fund, Salaries and wages and other amounts due to an employee" (श्रेणी तीन कर्मचारो के देय भविष्य निधि, वेतन और मजूरी तथा अन्यराशि के संबंध में बकाया राशि शब्द जोड़ दिये जायें।)

[संख्या 225]

पृष्ठ 26,

Omit line 26 to 28 (पंक्ती 26 से 28 तक का लोप किया जाए) [संख्या 226]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब मैं दूसरो अनुसूचो के सभो संशोधन मतदान के लिये रखुंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हूये

Amendments were put and negatived !

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि दूसरी अनुसूचो संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

The second schedule, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "खण्ड I विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड I, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "अधिनियम मूग विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया।
The Enacting Formula was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब हम विधेयक के नाम में किया गया संशोधन लेंगे ।

संशोधन किया गया :
Amendment made:

पृष्ठ 1,

In the long title (शीर्षक में) "transfer of the right title and interest (अधिकार स्वामित्व और हित का (अंतरण) के स्थान पर "transfer of the sick tixtile undertakings, and the right, title and interest". (रुग्ण कपडा ऊाक्रम, तथा अधिकार, स्वामित्व और हित) रख दिया जाए।

[संख्या 38]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

विधेयक का नाम, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
The long title, was amended, was added to the Bill.

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री सेझीयान।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा उद्देश्य विधेयक से पारित होने में रूकावट डालना नहीं है परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि नियमों को सदैव के लिये माना जाये। विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करने से पहले इस मामले में अध्यक्षपीठ को अनुमति लो जानी चाहिये। इस विधेयक का पारित किया जाना नियम 93(2) के अन्तर्गत आता है और इसके अनुसार यदि अध्यक्ष अनुमति नहीं देता है तो संशोधित विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव विधेयक पर विचार करने वाले दिन नहीं किया जा सकता, अतः इस मामले में अध्यक्षपोठ को अनुमति ली जानो चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : माननोय सदस्यों को इस विधेयक को पास करने की शीघ्रता के बारे में पता है। हम इस विधेयक को काफो समय से पारित नहीं कर सके है इसके पश्चात् विधेयक राज्य सभा में जाना है।

यदि हम इसे आज नहीं करते तो यह वहां समय पर नहीं पहूंच सकता।

सभापति महोदय : मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सेझियान : इस विधेयक को स्थिति में आने से पूर्व उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और रुग्ण कपड़ा उपक्रम अध्यादेश के अंतर्गत राज्य सरकारें मिलों का राष्ट्रीयकरण करतो रहो है। उदाहरणतः तमिलनाडु कपड़ा निगम पूरी तरह एक सरकारी निकाय है। यह 12 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध कर रहा है जिसमें 7 मिलें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत और 5 रुग्ण कपड़ा उपक्रम अध्यादेश के अंतर्गत हाल में लो गई। राष्ट्रीयकरण के बाद इन मिलों को आधुनिक और सुगठित करने के लिये सरकारी खजाने से रुपया लिया गया। पूराने मालिकों को भुगतान करने की नीति गलत है।

[श्री सेझियान]

केन्द्र को राज्य कपड़ा निगमों के अंतर्गत चलने वाली सभी मिलों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए तामिल नाडु में राज्य कपडा निगम इतना अच्छी प्रकार कार्य कर रहा है की मिले लाभ पर चलाने लगी है। जहां राज्य कपडा निगम सुधारु रुप में कार्य कर रहे है ऊनके काम में व्यवधान न डाला जाये।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आरम्भ विधेयक में के बारे में सन्देह व्यक्त किये गये थे। चर्चा एवं विचार के समय विधेयक में सुधार लाया गया और विधेयक स्वीकार्य स्थिति तक पहुंच गया।

सरकार ने 103 मिलों को अधिकार में ले लिया है, परन्तु यह उनका राष्ट्रीयकरण नहीं है।

केवल 20% उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है और उनमें से भी केवल संकटग्रस्त मिलों की ही अधिकार में लिया गया है। अक्तूबर, 1972 में 103 मिलें अधिकार में ली गई थी। 1973 और 1974 में उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई।

सरकार को प्रबन्ध के पहले पर भी विचार करना चाहिये। राष्ट्रीयकरण को केन्द्रीयकरण के रूप में न लिया जाया क्योंकि इससे कपड़ा नीति का उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। जहां कहीं भी राज्य कपड़ा निगम किसी मिल को चला रहा हो उसे चलान दिया जाए। प्रबन्ध जहां तक हो सके विकेन्द्रीकरण किया जाए।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ): यह विधेयक इस मामले में अद्भुत है कि इससे विचित्र मामलों सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। इस विधेयक के द्वारा सरकार कपड़ा मिलों के मालिकों के 40 करोड़ रुपये का उत्तरदायित्व अपने उपर ले रही है। जबकि उनमें से अधिकतर ने अपनी अपनी कम्पनी को धोखा दिया है। परन्तु दूसरी ओर वह कर्मचारियों की मजूरी जो उन्होंने कमाई है, तथा भविष्य निधि को जिस में उन्होनें योगदान दिया है, का भुगतान करने का उत्तर दायित्व लेने को तैयार नहीं है।

इतने मात्र से सन्तुष्ट न हो कर अपने संशोधनों से सरकार ने कर्मचारियों के बीच भेद पैदा कर दिया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (पांडिचेरी) : यह प्रसन्नता का विषय है कि यह विधेयक अधिनियम बनने जा रहा है। कपड़ा मिलों के कारीगरों ने सिद्ध कर दिया है कि वे अपने परिश्रम से संकट-ग्रस्त मिलों को लाभकारी बना सकते हैं। इन कर्मचारियों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। मंत्री महोदय बार बार कहते रहें है कि उनकी सहानुभूति श्रमिकों के साथ है।

कई और मिले भी संकटग्रस्त हैं। तमिलनाडु में पालाजा मिल्स है। हमने इस मिल के राष्ट्रीयकरण की मांग की है। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए। जहां कहीं मिल बन्द होने को हैं सरकार को उस उद्योग और वहां के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। सरकार को आवाहन देना चाहिए कि हथकरघा उद्योग को लाभप्रद मूल्य पर धागा देकर उसका विकास किया जायेगा। इन मिलों की स्थिति करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

श्री के० गोपाल (करुर) : सरकारी उपक्रम समिति राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विस्तार से जांच कर रही है। समिति में सब दलों के सदस्य हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि जब तक उक्त समिति प्रबंध के ढांचे के परिवर्तन के बारे में अपनी सिफारिशें न दें वे इसमें कोई परिवर्तन न करें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यद्यपि संशोधनों से विधेयक में और सुधार हुआ है फिर भी विधेयक को समान स्थिति सुव्यवस्थित नहीं है। श्रमिकों को भविष्य निधि जैसी बकाया राशि संबंधी मांग पूर्णतया पूरी नहीं हुई है।

सदन् को यह मान कर गलती नहीं करनी चाहिये कि यह विधेयक राष्ट्रीयकरण के लिये है। हमें संकटग्रस्त एककों की स्थिति सुधारने और उनका राष्ट्रीयकरण करने में भेद स्थापित करना चाहिये। सरकार को राष्ट्रीयकरण के लिये एक आदर्श विधेयक लाना चाहिये।

मंत्री महोदय द्वारा उल्लीखित 103 उपक्रमों में कुछ ऐसे उपक्रम हैं जो न तो संकटग्रस्त हैं और न ही कपड़ा मिलें हैं वे 'हौजरी' एकक है। जब तक सरकार 'कपड़े' की परिभाषा विस्तार न कर उसे उन एककों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिये। यदि सरकार संकटग्रस्त मिलों के मालिकों को कुछ धनराशि देने को इच्छुक है तो वह जब श्रमिकों का प्रश्न आता है तो ऐसा करने से क्यों हिचकिचाती है? विधेयक में जिस प्रकार सुधार किया गया है उसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I congratulate the hon.Minister for showing great sympathy towards the labour.

The management of the nationalized Textile Corporation should not be left on State Textile Corporation. The condition of 130 sick textile mills is not satisfactory. The Government should import modern machinery for these mills. It should also make arrangement for working capital for these mills. We should produce such cloth in those mills which we want to export. These mills should work in profit and the condition of the labour should be improved. So far as the question of colltrolled cloth is concerned, it should also be produced in those mills which are producing super fine cloth.

श्रीमती रोजा देशपाण्डे (बम्बई मध्य) : मेरा यह सुझाव है कि 'कपड़े' की परिभाषा में 'रेशम' को भी शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि आजकल साड़ियों के किनारों पर भी रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मजदूरों की बकाया राशि के बारे में नियमित रूप से आपत्तियां की गई हैं। मैं यह बात बार बार कहा चुका हूं कि हमनें श्रमिकों से अधिग्रहण पूर्व अवधि की बकाया राशि के भुगतान के लिये जो कुछ किया जा सकता था कर दिया है। इस मामले में श्रमिकों को बकाया राशि को सुरक्षित ऋण से भी अधिक प्राथमिकता दी गई है। ऐसा करने से मजदूरों को अधिग्रहण पूर्व अवधि की। बकाया राशि का एक बड़ा भाग पूरा किया जा सकेगा।

सरकार ने विधेयक को अधिक स्पष्ट और विशिष्ट बनाने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये हैं। शब्द 'रुग्ण मिल' का अपना महत्व है। विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए शब्द 'रुग्ण कपड़ा' उपक्रमों का प्रयोग मालिकों के हितों के लिये किया गया है। संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करते समय हम उनका उसी रूप में अधिग्रहण कर रहे हैं और स्वामित्व के सब अधिकार उपाधि और सब अस्तियां को भी अधिग्रहण कर रहे हैं। विधेयक को अधिक स्पष्ट करने के लिये यह अत्यावश्यक था। जो भी विशिष्ट संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं वे कर्मचारी वर्ग के हितों को ध्यान में सरकार किये गये हैं। अतः इस बारे में माननीय सदस्यों द्वारा की गई आलोचना पर आश्चर्य होता है। सब माननीय सदस्य, चाहे वे किसी भी दल के हों इस बात से सहमत हैं कि यह एक आदर्श विधेयक है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

कि "विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

इसके पश्चात लोकसभा गुरुवार 12 दिसम्बर, 1974/21 अग्रहायण, 1896 शक के ग्यारह बजे म० पा० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday December 12, 1974/Agrahayana 21, 1896.

भा०स०मु०ना०—सें० 8—43 लोक सभा/74—4-4-75—200.

P.L.S. 48. XLVI. 20.74(N)
200

© 1974 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422 006 द्वारा मुद्रित ।

© 1974 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422 006.